राजस्थान विधान सभा

सत्ताईसवीं बैठक, दिनांक २ अप्रेल, १९५३

सदन का कार्य ८ बज कर ११ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८९२

श्री तेजपाल—क्या व्यापार तथा व्यवसाय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) भरतपुर जिले के बन्ध बारैठा और बांसी पहाड़पुर की पत्थर की खानों से पत्थर निकालने की मोनोपोली पुराने एकाधिकार प्राप्त व्यक्ति को ही क्यों दी गई ?

(२) क्या इस कार्य के लिये कोऑपरेटिव सोसायटी अथवा हथौडा सिस्टम (प्रति हथौडा पर राज्य को लगान देकर सीधा मजदूरों द्वारा ही इस व्यवसाय को चालू करना) पर नहीं किया जा सकता था ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री)—(१) नहीं।

(२) अभी इस ठेके का प्रश्न गवर्नमेन्ट के सम्मुख है।

(३) इस प्रश्न का उत्तर गवर्नमेन्ट के निश्चय पर निर्भर है।

प्रश्न संख्या ९३

श्री तेजपाल—क्या व्यापार तथा व्यवसाय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) भरतपुर जिले में इस वर्ष सारा और सज्जी की पैदावार कितनी हुई है ?

(२) गत पांच वर्षों से यह कितनी अधिक या कम है ?

(३) यदि कम है तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री)—(१) भरतपुर जिले में दिसम्बर सन् १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में कच्चे सारे का उत्पादन करीब २५०० मण था।

(२) गत पांच वर्षों में सबसे ज्यादा उत्पादन सन् १९४९ में हुआ था जो ९४२ मण था। उस तुलना में सन् १९५२ का उत्पादन अढाई गुणा ज्यादा है।

(३) कम उत्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ८६४

श्री **सन्तोषसिंह कछवाहा**—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि जयपुर का यंत्रालय (जंत्र-मंत्र) बहुत ही जीर्ण दशा में हो गया है ?

(२) क्या सरकार इसको जरूरी नहीं समझती ?

(३) क्या सरकार इसकी मरम्मत के लिये कभी भी विचार करने के लिये तैयार है ?

(४) क्या सरकार इसकी मरम्मत के वास्ते फंड स्पेयर नहीं कर सकती ?

(५) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे यंत्रालय के हर ५० वर्ष बाद ग्रहों की चाल में कुछ फर्क हो जाने से, मेजरमेन्ट्स में भी कुछ कुछ फर्क आ जाता है ?

(६) क्या सरकार अब इस यंत्रालय को फिर से दुरुस्त करवाने के वास्ते जल्दी से कोई कदम उठायेगी ?

श्री **नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)**–(१) नहीं, जयपुर का यंत्रालय जीर्ण दशा में नहीं है।

(२) समझती है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता , अलबत्ता ऐसी आवश्यकता हुई तो मरम्मत अवश्य कराई जावेगी।

(४) आवश्यकता होने पर कर सकती है ।

(५) हां, प्रायः ७० वर्ष बाद इतना अन्तर आता है कि उसके लिहाज से यंत्र चिन्हों में थोड़ा सा हेर फेर करने की आवश्यकता हो। मौजूदा यंत्र सन् १९०१ में जांच कर ठीक किये गये थे। उनमें हेर-फेर करने का प्रश्न अब प्रायः सन् १९७० तक उठने की संभावना है ।

(६) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ८६५

श्री **मनफूलसिंह**—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

१. क्या ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया संस्था का शिक्षा मंत्री ने निरीक्षण किया है?

२. इस संस्था में हाईस्कूल के अतिरिक्त कितनी प्रवृत्तियां काम कर रहीं हैं ?

३. क्या ऐसी संस्थायें राजस्थान में और भी हैं, अगर हैं तो कितनी ?

४. इस संस्था का वार्षिक बजट लगभग एक लाख का है । इतना बजट ऐसी किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं का है ? इसके जैसी बड़ी संस्थाओं को कितनी एड मिलती है ?

Page No.3

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--१. हां, किया है ।

२. हाईस्कूल के अतिरिक्त निम्न प्रवृत्तियां इस संस्था में चल रही हैं:—

१. छात्रावास ।

२. इन्जीनियरिंग विभाग ।

३. सिंचाई विभाग ।

४. प्रौढ़ शिक्षा ।

५. आयुर्वेदिक विद्यालय ।

६. बुनाई विभाग ।

७. मरु भूमि सेवा-कार्य विभाग ।

८. खाती विभाग ।

३. ऐसी संस्थायें और भी हैं किन्तु उनमें उपरोक्त सारे काम नहीं कराये जाते । किसी में दो, किसी में तीन ।

४. इस संस्था का बजट एक लाख के करीब है । सन् १९५१-५२ का स्वीकृत खर्चा ३२३०५) रु० माना गया है और नियमानुसार इसी खर्चे पर इस वर्ष सरकार द्वारा ६० प्रतिशत के हिसाब से १९३८०) रु० की सहायता दी गई है । इसके अलावा करीब १३०००) रु० इस संस्था को केन्द्रीय सरकार से और दिलाया जा रहा है और अगले वर्ष यह सहायता २००००) रु० तक हो जाने की संभावना है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार हर साल इसकी जांच करा कर ६० परसेंट खर्चा देने को तैयार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—देते हैं ।

एक सदस्य—क्या अगले वर्ष भी २००००) रुपया एड का मिल जायगा, यह पक्की चीज है?

श्री नाथूराम मिर्धा—१३०००) रुपये तो केन्द्रीय सरकार ने दिये हैं । अगले साल और मिलने की संभावना है ।

प्रश्न संख्या ८६६

श्री छतरसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. जसवन्तपुरा तहसील जो १९५१-५२ में फेमिन इलाका था उसमें कितने रुपये अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये मंजूर किये गये ?

श्री छतरसिंह)

२. यह रकम किस तरह वितरण की गई और कौन कौन सी जगह ?

३. सन् १९५१–५२ में तकाबी के रुपये जसवन्तपुरा तहसील के काश्तकारों को कितने दिये गये ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—१. जसवन्तपुरा तहसील में फेमिन रिलीफ के काम के लिये सन् १९५१–५२ में ८२०००) रु० मंजूर किये गये थे ।

२. यह रकम तालाबों और नालियों पर खर्च की गई । ७२,९४७) रुपये इस तहसील के निम्नलिखित गांवों में खर्च किये गये:—

१ बोलारा	२ चेकला
३ डोरडा	४ रामसीन
५ भीमाल	६ जसवन्तपुरा
७ फाडनी	८ पाओटी
९ सिणदरी	१० आबतरी
११ दांतलवास	१२ जसवन्तपुरा
१३ थोर	१४ चांदोर
१५ तावर	१६ मुडथलासिली
१७ जाविया	१८ भागल सेवाला
१९ बागोड़ा	२० जाडा
२१ बोरटा	२२ सवाली
२३ मटरा की पाल	२४ पादेर
२५ जेतू	२६ सिकवाडा
२७ बोलाना	२८ चेकला जोगा
२९ भीनमाल	

३. फेमिन तकाबी के लिये जसवन्तपुरा तहसील में सन् १९५१–५२ में ४०,५००) रुपया किसानों को दिया गया ।

श्री **छतरसिंह**—लोगों में यह रकम किसके जरिये वितरण करवाई गई ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—सरकार के द्वारा ।

श्री **छतरसिंह**—किस एजेन्सी द्वारा ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—सरकारी एजेंसी द्वारा सरकार की निगरानी में यह रकम वितरित की गई ।

श्री छतरसिंह—क्या कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की मारफत यह खर्चा कराया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ऐसी जानकारी मुझे नहीं है ।

प्रश्न संख्या ८६७

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या वाणिज्य एवं व्यवसाय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में सबसे ज्यादा और अच्छी ऊन कितनी-कितनी और किस-किस जगह पैदा होती है ? पिछले दो वर्षों की पैदावार के आंकड़े व निकासी बतावें?

(२) राजस्थान में ऊन की बड़ी बड़ी मंडियां कहां कहां पर हैं, और वहां से वार्षिक कितने मन ऊन फरोख्त होती है ?

(३) सरकार ने ऊन की क्वालिटी (quality) और तादाद बढ़ाने के क्या क्या साधन किस किस जगह किये हैं और उन पर सरकार का वार्षिक खर्चा क्या आता है ? अगर नहीं किया, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)—राजस्थान में सबसे अधिक ऊन जोधपुर डिविजन में होती है और अच्छी किस्म की ऊन चूरू, झुन्झुनू और सीकर जिलों में पाई जाती है।

(ब) पिछले दो वर्षों की ऊन की पैदावार और निकासी के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

सन्	पैदावार	निकासी
१९५०-५१	२,३०,००० मन	२,०४,००० मन
१९५१-५२	१,७०,००० मन	१,४८,००० मन

(२) राजस्थान की ऊन की बड़ी मंडियां बीकानेर और पाली में हैं और वहां पर क्रमशः ३०,०००मण और २५,००० मण ऊन हर साल इकट्ठी की जाकर व्यापार किया जाता है।

(३) सरकार ने ऊन की किस्म के सुधार के लिए और तादाद की बढ़ोतरी के लिए निम्नलिखित साधन किये हैं:—

१. भेड़ व ऊन प्रसरण (Extension)—भेड़ व ऊन प्रसरण के लिये २० क्षेत्र जोधपुर डिविजन में और १० क्षेत्र जयपुर डिविजन में खोले जा चुके हैं। वहां पर भेड़ों को पालने के, ऊन को इकट्ठा करने के तथा ऊन के कतरण व श्रेणी-विभाजन के आधुनिक तरीके बताये जाते हैं।

आगामी वर्ष में इस प्रकार के १० और क्षेत्र बीकानेर डिविजन में खोले जायेंगे ।

Page No.6

(श्री रामकिशोर व्यास)

२. भेड़ प्रजनन (Breeding)—अच्छी और बढ़िया भेड़ें पैदा करने के लिये और उनको भेड़ पोषकों को बाटने के लिये एक मेंढा प्रजनन क्षेत्र बीकानेर में खोला जा चुका है और इसी प्रकार के दो और क्षेत्र सन् १९५३–५४ में जोधपुर और जैसलमेर में खोले जावेंगे ।

३. भेड़ अन्वेषण व ऊन अनुसंधान (Research)—जयपुर में एक भेड़ अन्वेषण केन्द्र और एक ऊन अनुसंधानशाला खोली गई है जहां पर क्रमशः निम्न् प्रकार की भेड़ों के उत्पादन की वृद्धि के लिए और ऊन की किस्म के विकास के लिए अनुसंधान किये जावेंगे ।

इसी प्रकार एक भेड़ पालन व अन्वेषण केन्द्र अगले साल ५३–५४ में बीकानेर में खोला जायेगा, जहां पर खास तौर से चीकला भेड़ की ऊन को तथा तादाद को अधिक उन्नत किया जावेगा ।

उपरोक्त क्षेत्र व केन्द्र जब पूर्णतया स्थापित हो जावेंगे तो इन पर सरकार का खर्चा करीब तीन लाख वार्षिक होगा ।

श्री **धर्मपाल**—क्या बीकानेर में जो भेड़ें हैं उनको जोधपुर में नस्ल सुधारने के लिये भेजा जायगा ।

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जयपुर की भेड़ों के लिये मेंढे मंगाने की जरूरत है ?

श्री **सन्तोषसिंह**—पोकरण, फालोदी और ओसियॉं का एरिया क्या सरकार के ध्यान में ऊन की मंडी नहीं है ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—बड़ी मंडियों के बारे में प्रश्न पूछा था इसलिए मैंने बतलाया कि बड़ी मंडियें दो हैं ।

प्रश्न संख्या ८६८

श्री **सन्तोषसिंह**—क्या वाणिज्य एवं व्यवसाय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर में वूलन फैक्ट्री खोलने का क्या कोई प्रपोजल है ? क्या सरकार ने उसकी किसी को मोनोपोली दी है, अथवा देने का विचार रखती है, या सरकार खुद अपनी नेशनल वूलन फैक्ट्री बनवायेगी ?

(२) अगर मोनोपोली दे दी है तो किसको, कितने वर्षों के वास्ते और किस-किस शर्त पर ?

(३) क्या सरकार को मालूम है कि जयपुर में वूलन फैक्ट्री के वास्ते कच्चा माल व मजदूर बहुत ही मंहगे मिलेंगे ?

[श्री सन्तोष सिंह]

(४) सरकार जयपुर में वूलन मिल किस-किस आधार पर बनवा रही है ? कृपया पूर्ण विवरण दें ?

(५) क्या सरकार इस मिल के लिये राजस्थान में और कहीं दूसरी जगह जहां कच्चा माल व मजदूर सुगमता से व सस्ते मिल सकते हों, तजवीज करने को तैयार हें ?

श्री **रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)**—(१) जयपुर में वूलन फैक्ट्री बनाने का प्रपोजल नहीं है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) हां ।

(४) सरकार कोई जयपुर में वूलन मिल नहीं बना रही है ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**— क्या ऐसी फैक्ट्री बीकानेर में चलाने का सवाल उठ सकता है ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—हां, उठ सकता है । यदि ऐसा कोई सवाल हो तो सरकार मदद दे सकती है ।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—सरकार कब तक ऐसी फैक्ट्री खोलेगी ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—सरकार खुद नहीं खोलती पर मदद कर सकती है ।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या कोई ऐसा आदमी सरकार के ध्यान में है जो ऐसी फैक्ट्री खोल सके ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—सरकार ऐसे आदमी की तलाश कर रही है । मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी ऐसे आदमी की तलाश करें ।

प्रश्न संख्या ८६६

श्री **मनफूलसिंह**—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सार्दूल पब्लिक स्कूल की शिक्षा प्रणाली वैसी ही है जैसी अन्य हाई स्कूलों की ?

(२) क्या ऐसे स्कूल और भी राजस्थान में हैं जिनके नियम, उप-नियम इस स्कूल से मिलते जुलते हों ?

(३) अगर इस स्कूल में विशेष प्रकार की शिक्षा प्रणाली है और विशेष योग्यता के तथा अधिक वेतन के अध्यापक रखे जाते हों तो यहां के अध्यापकों का तबादला दूसरे स्थानों पर क्यों किया जाता है ?

Page No.8

(श्री मनफूल सिंह)

(४) इस संस्था का कार्य सुचारु रूप से चालू रखने के लिये क्या शिक्षा विभाग एक मैनेजिंग कमेटी पब्लिक के योग्य व्यक्तियों की बनाने को तैयार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--(१) नहीं । इसमें हाईस्कूल कक्षाओं की पढ़ाई के अलावा पब्लिक स्कूल होने से पी . टी. आदि विशेष रूप से कराई जाती हैं ।

(२) सरकारी कोई नहीं ।

(३) यहां के अध्यापकों का तबादला केवल उनकी तरक्की देकर और उनके हित को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है ।

(४) मैनेजिंग कमेटी तो पब्लिक के व्यक्तियों की नहीं बनाई जा सकती । अलबत्ता एडवाइजरी बोर्ड कायम किया जा सकता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--वह एडवाइजरी बोर्ड कब तक कायम किया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा--अभी आपने मूव किया है । जल्दी ही कायम हो जायगा ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--आज मैंने मूव किया है क्या आज से ही प्रयत्न चालू समझा जायगा ?

प्रश्न संख्या ८७०

श्री छतरसिंह--क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या सरकार की ओर से प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा विभाग खोला गया है ?

(२) यदि (१) का उत्तर हां में है तो जसवन्तपुरा तहसील में इस कार्य के लिये कितनी रकम दी गई है ?

(३) इस विभाग द्वारा जसवन्तपुरा तहसील के ग्रामीणों को क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है?

(४) इस विभाग द्वारा कितने कर्मचारी इस तहसील में लगाये गये हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--(१) हां ।

(२) जसवन्तपुरा जोधपुर जिले में स्थित है और जोधपुर जिले में ४ प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने का निश्चय हो चुका है । इस समय जसवन्तपुरा तहसील में कोई केन्द्र नहीं है । हो सकता है कि पर्याप्त सुविधा न मिलने से व्यवस्था नहीं हो सकी हो । स्थानीय सुविधा के अनुसार समाज शिक्षा प्रदर्शक जोधपुर केन्द्र खोलते हैं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

Page No.9

श्री छतरसिंह—क्या सरकार जसवन्तपुरा के लोगों के लिये जो कि पिछड़े हुए हैं, एज्युकेशन जरूरी नहीं समझती ?

श्री नाथूराम मिर्धा—यह मैंने कभी नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि जोधपुर के केन्द्रीय संचालक इसकी व्यवस्था करते हैं। आप उनसे मिलें या उनको लिखें।

श्री छतरसिंह—जसवन्तपुरा जालौर डिस्ट्रिक्ट में है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं भूल गया था, जसवन्तपुरा जोधपुर डिविजन में है।

श्री छतरसिंह—क्या जल्दी से जल्दी खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा— इस बारे में आप जोधपुर डिविजन के संचालक से मिलें, यह मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री जवानसिंह—क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते ?

श्री नाथूराम मिर्धा—यदि वे कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप मेरे पास आ सकते हैं।

श्री जवानसिंह—आपको जब निवेदन किया जा रहा है तो आप इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

श्री नाथूराम मिर्धा-आपको प्रापर चेनल (Proper Channel) से चलना चाहिये।

श्री जवानसिंह—क्या आपसे निवेदन करना इम्प्रोपर (improper) चेनल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—यदि सीधा मैं ही काम करने लगूं तो फिर दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी (administrative machinery) की क्या आवश्यकता है।

प्रश्न संख्या ८७१

श्री धर्मपाल—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

भाखरा बंध योजना के अन्तर्गत बंजड़ भूमि का कुछ कोटा हरिजनों की वर्तमान अवस्था को उन्नत करने के लिये (जिला गंगानगर में) निश्चय किया गया है, या किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या और कितनी भूमि कम मुआवजे पर देना निश्चय किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—भाखरा बंध योजना के अन्तर्गत गंगानगर जिले में बंजड भूमि के वितरण के नियम अभी निश्चित नहीं हुए हैं। सरकार ने एक कमेटी नियत की है, वह सभी भूमिहीन काश्तकारों के बारे में जिनमें हरिजन भी शामिल है, भूमि एलाटमेंट के मुताल्लिक पूरी छानबीन के बाद अपनी तजवीजें सरकार के सामने पेश करेगी।

Page No.10

श्री धर्मपाल—क्या हरिजनों को कुछ विशेष सुविधायें सरकार नहीं देगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—विशेष सुविधाओं से आपका क्या मतलब है ?

श्री धर्मपाल—उनको जमीन का कुछ कोटा ज्यादा दिया जाय और इसी प्रकार की और विशेष सहुलियतें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस बारे में कमेटी छानबीन करके नियम बनावेगी और उसी के अनुसार काम किया जायगा ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—वह कौनसी कमेटी है और कब मुकर्रर हुई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह पांच सदस्यों की कमेटी है जिसके मेम्बर हैं: चेयरमेन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यु, सेटलमेन्ट कमिश्नर, कमिश्नर बीकानेर, जागीर कमिश्नर, और कोलोनाइजेशन ऑफिसर, हनुमानगढ़ । इस कमेटी को बने हुए डेढ माह हो चुका है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—वह कब तक निश्चित करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह कमेटी जल्दी ही महीने दो महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या उस कमेटी में कोई एम. एल. ए. भी मम्बर है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने जो नाम अभी पढ़ कर जो सुनाये हैं उनमें शायद आपने किसी एम.एल.ए. का नाम नहीं सुना होगा ।

एक सदस्य—क्या इसमें किसी भावी डिप्टी मिनिस्टर का नाम भी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जब किसी एम.एल.ए. का नाम भी इस कमेटी में नहीं है तो फिर भावी डिप्टी मिनिस्टर का नाम कैसे हो सकता है ?

प्रश्न संख्या ८७२

श्री सन्तोषसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. बिलाड़ा तहसील में किस किस स्थान पर और कितने समय से सरकारी डिस्पेन्सरियां अथवा बड़े शफाखाने (हास्पिटल) और आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

२. इनमें से कितने बंद और कितने चालू हैं और जो चालू हैं उनमें से कितनों में दवाइयां नहीं मिलती हैं ?

३. क्या सरकार इतनी जन संख्या होते हुए, ये डिस्पेन्सरियां, शफाखाने और औषधालय काफी समझती है ?

Page No.11

श्री रामकिशोर व्यास—१. बिलाड़ा में एक नो बेड्स की डिस्पेन्सरी है जो मार्च सन् १८९० में खोली गई थी। इसके अतिरिक्त बिलाड़ा तहसील के मावी, हरी आदान एवं भूपालगढ़ में एड पोस्ट आयुर्वेदिक औषधालय हैं और वे भूतपूर्व जोधपुर रियासत के समय से ही चल रहे हैं।

२. बिलाड़ा में सरकारी डिस्पेन्सरी बराबर चल रही है। औषधि के न होने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं है। तीनों एड पोस्ट औषधालयों को औषधियां जयपुर फार्मेसी से सप्लाई की जा रही हैं।

३. वैसे तो सरकार ५००० की जन संख्या वाले स्थानों पर एक डिस्पेन्सरी की आवश्यकता समझती है परन्तु अभी धनाभाव के कारण यह संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री शिवदानसिंह।

प्रश्न संख्या ८७३

श्री शिवदानसिंह—Will the Minister-in-charge, Mines Department, kindly state:—

(a) Whether it is true that the lease of Pushalal Man Singh Co. Ltd., Bhilwara, relating to the Mica Mines of Rajasthan and Bhilwara District expired on 31st October 1952, but they have been allowed to continue to work on 23 mines without license ?

(b) Also is it true that one M/s Jewan Mal Meridatha of Tatagarh applied on 3-11-52 for P.L. (Prospecting License) and M. L. (Mining Lease) in respect of the areas previously granted in lease to Pushalal Man Singh Co. Ltd., Bhilwara ?

(c) Is the Government aware that his applications which were in time were not entertained by the Mining Engineer, Udaipur. If he is aware, will he kindly apprise the House with reasons for ignoring the applications, particularly when Pushalal Man Singh Co. Bhilwara, did not apply for renewal of license in time ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)—(a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes. Applications could not be entertained because the area has not been declared free for regrant of mineral concessions. Moreover, the grant of a suitable area to Shri Pushalal Man Singh ka was under consideration after which the policy regarding grant of fresh leases was to be considered.

श्री **शिवदानसिंह**–जब लीज खत्म होगई थी तो दूसरों को देने के लिए क्यों नहीं कार्यवाही की गई ?

श्री **रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)**—उनकी लीज को टरमिनेट कर दिया गया था। उनके पास बड़ा एरिया था,इसलिए उसके छोटे २ टुकड़े किए गए । छोटे २ टुकड़ों का डिमार्केशन हो रहा है । जब डिमार्केशन पूरा हो जायगा तो ये टुकडे फ्री (free) कर दिये जावेंगे और फिर उनको लीज पर दिया जायगा ।

श्री **तेजमल बापना**—तो २३ माइन्स उनको किस बेसिस पर दी गई थीं ।

श्री **अध्यक्ष**—Order ? Order?? The Hon'ble Member who has tabled the question has a prior right to ask a supplementary.

श्री **शिवदानसिंह**—तो उनको २३ माइन्स क्यों दी गई ?

श्री **रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)**–मिनरल कन्सेशंन रूल्स के अनुसार उनको दस मील का टुकड़ा दिया जा सकता है और इस दस मील के टुकड़े में ही ये सब माइन्स आगई हैं क्योंकि उन्होंने एप्लाई कर दिया था ।

श्री **शिवदानसिंह**–दो दिन के अन्दर एक दूसरी कम्पनी वाले ने भी एप्लाई किया था तो उनको क्यों दिया गया था ?

श्री **रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)**—उसको लीज अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है । एप्लीकेशन्स मांगी जायंगी और फिर उनका अॅलाटमेन्ट किया जायगा ।

श्री **रामदयाल उपाध्यक्ष**—क्या इस प्रकार की शिकायतें इन्जीनियर के खिलाफ आई हैं कि एप्लीकेशन्स को एन्टरटेन नहीं किया जाता ?

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८७४

श्री **छतरसिंह**—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

१. जोधपुर डिविजन की जसवन्तपुरा तहसील में कितने प्राइमरी, कितने मिडिल व कितने हाईस्कूल हैं ?

(ब.) क्या इस एक लाख की आबादी की तहसील में ये स्कूलें काफी हैं ?

अगर उत्तर 'ना' में है, तो क्या सरकार जल्दी से जल्दी वहां स्कूलें खोलने की कृपा करेगी ?

Page No.13

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--१. जसवन्तपुरा तहसील में १६ प्राइमरी स्कूल २ मिडिल स्कूल व १ हाईस्कूल हैं।

२. काफी तो नहीं हैं फिर भी इतनी कम नहीं हैं।

३. इस विषय में राजस्थान सरकार की आर्थिक दशा को दृष्टिकोण में रखते हुए तथा उपयुक्त धन-राशि प्राप्त होने पर अन्य ऐसे मामलों के साथ विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८७५

श्री मोहब्बत सिंह--Will the Education Minister be pleased to state within what period the roof of the Saraswati Public Library at Sirohi would be completed?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--उपयुक्त फंड्स प्राप्त होते ही कार्य शुरू करा दिया जावेगा।

श्री मोहब्बतसिंह--उपयुक्त फंड कब तक प्राप्त होने की आशा है?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--आशा तो जल्दी ही रखनी चाहिये।

श्री जवानसिंह--वह उपयुक्त फाइनेन्स कहां से आने वाला है?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--सरकारी खजाने से।

श्री जवानसिंह--मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह उपयुक्त फंड, सेन्टर से जो सहायता मिलती है उसमें से है या इसके लिये बजट में कोई प्रोविजन रखा गया है?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--इसका संबंध तो राजस्थान सरकार के बजट से ही है। सेन्टर से इसका क्या संबंध है।

श्री जवानसिंह--क्या इस साल के बजट में इसका प्रोविजन रखा गया है?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--इस प्रकार की सब बातों के लिए प्रोविजन रखा जाता है।

श्री जवानसिंह--क्या इस वर्ष यह काम पूरा हो जायगा?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--आशा तो करनी ही चाहिये।

श्री जवानसिंह—मुझे यह बताया जाय कि इस वर्ष यह काम पूरा हो जायगा या नहीं ? जब प्रोविजन है तो पूरा हो ही जाना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—इसके साथ साथ दूसरे काम भी हैं, उनको भी कम्पलीट करना है ।

श्री मोहब्बत सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय की सिरोही के साथ नाराजगी है और बीकानेर के साथ मोह, इसलिए सिरोही को इस प्रकार का जवाब मिल रहा है ?

श्री जवानसिंह—इस लाइब्रेरी की छतें बनना इतने अर्से से क्यों पड़ी हुई हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—इस संबंध में कई दफा जवाब दिए गए हैं । यह पहले सरकारी प्रोपर्टी (Property) नहीं थी, किसी प्राइवेट आदमी ने बनाई थी, फिर सरकार के पास आई है। अब सरकार इसको पूरा करने की ओर कदम उठा रही है । फंड होते ही जरूर बनाएगी ।

श्री जसवन्त सिंह—अभी यह बताया गया है कि बीकानेर से माननीय मंत्रीजी को मोह है, मैं आपको बताऊं कि वह मोह यह है कि वहां स्कूल की बिल्डिंग्स की छतें तीन-तीन, चार-चार वर्ष से बगैर बने पड़ी हैं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८७६

श्री हनुवन्तसिंह—क्या फेमिन विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान के कौन २ से डिविजनों में सन् १९५२-५३ में कैसा कैसा अकाल तथा परसेन्ट था ?

(आ) क्या इन डिविजनों के अभावग्रस्त क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किसी कमेटी द्वारा कराया गया या कैसे ?

(इ) क्या यह सत्य है कि इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में उदयपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा रकम दी गई ?

(ई) इन अभावग्रस्त क्षेत्रों को कितनी कितनी रकम और कब कब दी गई ?

Page No.15

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री) -(1) Scarcity conditions existed in the following divisions during 1952-53.

Udaipur Division	Banswara and Dungarpur districts and some parts of Udaipur district.
Bikaner Division	Ganganagar district excluding canal areas, Bikaner District whole and Churu district excluding Churu and Sujangarh.
Jodhpur Division	Jodhpur district excluding Bilara tehsil.
	Barmer District—Tehsil Shiv.
	Nagaur District—Tehsil Didwana and Nagaur.

The loss to the kharif crops has been estimated ranging from 10 annas to 14 annas in a rupee condition of crops varies from village to village.

(2) The conditions in these divisions have been examined by District Officers and no special committee was appointed.

(3) Yes. A sum of Rs. 11,21,000/- was sanctioned for Udaipur Division.

(4) The following amounts have been sanctioned in each Division.

1. Udaipur 11,21,000/-
2. Jodhpur 3,51,000/-
3. Bikaner 6,07,000/-

The following have been sanctioned during the following months:

Divisions	Savings of other works	November	January	February	Total
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Udaipur ..	29,500	3,00,000	5,06,500	2,85,000	11,21,500
2. Jodhpur ..		1,25,000	1,46,500	80,000	3,51,500
3. Bikaner ..	..	2,25,000	1,97,000	1,35,000	6,07,000
				TOTAL ..	20,80,000

श्री संतोष सिंह—विलाड़ा तहसील में माननीय मंत्रीजी ने कितनी दफा दौरा किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैं वहां नहीं गया ।

श्री संतोष सिंह—तो आपको कैसे मालूम हुआ कि विलाड़ा में फेमिन नहीं पड़ा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैंने यह नहीं कहा था कि मैंने वहां पर जाकर जांच की है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८७७

श्री शिवदान सिंह—Will the Minister-in-charge, Industries Department, kindly state:—

(a) Whether it is true that Coir Board Washers were purchased by the Industries Department, Udaipur, without inviting quotations publicly ? If so, for what reasons ?

(b) Is it true that Leather Belting (Indian) was purchased by the Industries Department, Udaipur, although quotations for Leather Belting (English) were invited. If so, why ?

(c) Is it true that Industries Department, Udaipur, placed order for Hess-in-Cloth 50" × 10" with a dealer whose quotation was for Rs. 43-12-0 per 100 yards although a dealer of Bombay quoted Rs. 43-8-0 per 100 yds. If so, for what reasons ? If the aforesaid allegations are true, will the Government contemplate to deal suitably with the official at fault?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—(a) No. This is not correct. Coir Board Washers were purchased after inviting quotations and giving wide publicity. The purchase was made after getting approval of the rates and quality from the Store Purchase Committee consisting of Collector and Treasury Officer etc.

(b) Yes. The quotations were invited for English leather belting but the suppliers quoted the rates of English as well as Indian leather belting. The store purchase Committee deemed it advisable to purchase some Indian and some English after seeing the quality and rates.

(c) Yes. The order for Hessian cloth was placed with the local dealer as the rate quoted by the Bombay dealer did not include the sales tax which is charged on the sale of articles by the Bombay Dealers. Moreover the rate quoted by the local dealer was comparatively less if the rates of 40" × 50" of Hessian were taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८७८

श्री कस्तूरचंद—क्या न्याय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि भीलवाड़ा में २-३ मजिस्ट्रेट इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरी जगह बिना मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट के कोर्ट सूना पड़ा है ?

(२) अगर ध्यान में है तो क्या भीलवाड़ा से उन अफसरों को हटा कर बनेड़ा मॉडलगढ भेज दिया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—यह तो एक प्रस्ताव के रूप में है, प्रश्न के रूप में नहीं। भीलवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त भीलवाड़ा टाउन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट हैं जो आवश्यक हैं और उनमें से किसी को मुन्सिफ के काम पर लगाने का विचार नहीं है। मुन्सिफी बनेड़ा और मांडलगढ़ को हाईकोर्ट द्वारा काम की अधिकता नहीं होने से स्थगित रखा गया है। इन अदालतों को तोडने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस विषय में जल्दी ही निर्णय किया जाने वाला है।

श्री कस्तूर चन्द—क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि भीलवाड़ में कुल कितने मजिस्ट्रेट हैं और उनके पास कुल कितने मुकद्दमे हैं ?

श्री अध्यक्ष—This is a separate Question.

(विराम)

Next. Shri Raghuraj Singh.

प्रश्न संख्या ८७९

श्री रघुराजसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state:—

(*a*) What is the Government doing to preserve the ancient places of of archaeological and historical importance ?

(*b*) What are the plans for preserving the Gagron, Shergarh and Shahabad Forts in Kotah District.

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—(अ) राजस्थान सरकार ने पुरातत्व एवं ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन स्मारकों की रक्षा के हेतु भरसक प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया है। इस वर्ष २१ स्मारकों की विभिन्न इकाइयों में मरम्मत प्रारम्भ कर दी गई है और यह काम अब प्राय: समाप्त हो जावेगा।

(ब) कोटा जिले के गागरौन, शेरगढ़ तथा शाहबाद के दुर्गों की सुरक्षा योजना सरकार के विचाराधीन है। इन्हें प्राचीन स्मारकों के सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षित किया जा रहा है।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

तदनन्तर इन स्थानों पर मरम्मती कार्य प्रारम्भ करने की योजना बनाई जावेगी। अभी उनसे भी अधिक जीर्ण-शीर्ण तथा पहले के सुरक्षित स्मारकों की रक्षा की ओर सरकार का ध्यान है। क्रमशः इनके संरक्षण का भी नम्बर आवेगा।

श्री रघुराजसिंह—क्या ये फोर्ट्स की गिनती में नहीं आते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—मैंने अभी कहा है, आते हैं।

प्रश्न संख्या ८८०

श्री हनुवन्तसिंह—क्या मंत्री, फेमिन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) जैसलमेर सब-डिविजन में सन् ५१-५२ में तकावी लोन कितना दिया ?

(आ) यह लोन किन किन को दिया गया ?

(ई) कितने ऐसे रह गये जिन्होंने तकावी लोन लेने की रिपोर्ट की थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—1. A sum of Rs. 25,000/- was sanctioned for Taccavi advances in Jaisalmer Sub-division in the year 1951-52 out of which Rs. 19,500/- was advanced.

2. The advance was made to the cultivators according to rules.

3. The required information is not available as no record of rejected cases is kept.

प्रश्न संख्या ८८१

श्री केशरीसिंह कापरेन–Will the Minister for Industry be pleased to state:—

(*a*) How many factories are there in Rajasthan which pay royalty to the State Government ?

(*b*) What amount of royalty does each one of them pay to the Government ?

(*c*) How much royalty does A.C.C. Factory, Lakheri in Bundi, pay ?

(*d*) How much of that income does the Government spend on the labourers of that Factory.

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)—(*a*) 61.

(*b*) Satement showing amount of royalty has been placed on the Table of the House ?

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)।

Page No.19

[श्री रामकिशोर व्यास]

(c) About Rs. 3000-0-0.

(d) No amount is spent on labourers out of the royalty paid by this factory, Labour Department looks to the welfare of the labourers.

प्रश्न संख्या ८८२

श्री धर्मपाल—क्या न्याय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) गत वर्ष जनरल इलेक्शन में जोधपुर डिविजन में कितने हरिजन चुने गये ?

(२) क्या यह सच है कि हरिजनों की काफी सख्या होते हुए भी उनके लिए वहां एक भी सीट सुरक्षित नहीं रक्खी गई ?

(३) क्या आने वाले चुनावों में उनके लिए सुरक्षित सीट रखने की कोई योजना है ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—(1) No member of the Scheduled Castes was elected to the Rajasthan Legislative Assembly from the Jodhpur Division. In Jodhpur Division no seat was reserved in any of the Assembly Constituencies for the Scheduled Castes.

(2) The delimitation of constituencies and the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes before the last General Elections was done by the Parliamentary Advisory Committee.

श्री कंवरलाल जेतिया—माननीय अध्यक्षजी, प्रश्न हिन्दी में है और उत्तर अंग्रेजी में दिया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—दोनों में ही पढ़ दूंगा ।

जिस जिले में अनुसूचित जातियों का अनुपात कुल आबादी का ५ प्रतिशत है कमेटी ने उनके लिए रिजर्वेशन की बात रक्खी है। जोधपुर डिविजन में जितनी कम से कम आबादी की आवश्यकता थी उससे भी कम अनुसूचित जाति की आबादी थी ।

(३) भविष्य में अनुसूचित जातियों की सीटों के रिजर्वेशन का मामला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कमेटी के द्वारा तय किया जावेगा, जिसका निर्माण अभी किया गया है। इसका काम होगा कि वह सन् १९५१ की आबादी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करें ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री रघुराजसिंह ।

Page No.20

प्रश्न संख्या ८८३

श्री रघुराजसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state:—

In view of the assurance given during the last session will the High School at Baran be raised to the standard of the Intermediate College in 1953-54 ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—इस विषय में राजस्थान सरकार की आर्थिक दशा को दृष्टिकोण में रखते हुए तथा उपयुक्त फंड्स प्राप्त होने पर अन्य ऐसे मामलों के साथ विचार किया जावेगा।

श्री रघुराजसिंह—मेरा प्रश्न तो यह था कि ५३-५४ में दिया जावेगा कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—बजट अभी पास हुआ है। उसके आंकड़े विभाग को प्राप्त होने पर इस पर भी विचार किया जावेगा।

श्री रघुराजसिंह—क्या आपने सिरोंज और टोंक के प्रश्न पर, जो मैंने किया था, वह आश्वासन नहीं दिया था कि देने का आइन्दा बजट में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—बजट आपने देखा है। अगर मेरिट्स के आधार पर कोई गुंजाइश हुई तो अवश्य विचार करेंगे।

श्री रघुराजसिंह—और प्रोपेजलों के मुकाबले में क्या इसको तरजीह दी जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा—यह सब तो मैरिट्स के आधार पर देखने पर ही कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ८८४

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए सन् ५२-५३ में किस किस डिविजन में क्या क्या कृषि उत्थान कार्य व अन्य कृषि हितैषी कार्य किये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—इस प्रश्न का उत्तर टेबल पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ८८५

श्री छतरसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जसवन्तपुरा तहसील में कितने सफाखाने हैं और कहां कहां पर है ?

(२) भीनमाल सफाखाने में सालाना कितना व्यय होता है ?

[श्री छत्तरसिंह]

(३) कर्मचारियों के वेतन में कितना व्यय होता है ?

(४) दवाइयों में कितना व्यय होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) जसवन्तपुरा तहसील में जसवन्तपुरा, भीन-माल और सांचोर में सरकारी शफाखाने हैं।

(२) भीन माल शफाखाने में ९४३३ रुपये सालाना व्यय होता है।

(३) कर्मचारियों के वेतन में ५०२८ रुपये व्यय होते हैं।

(४) दवाइयों में १९०० रुपये व्यय होते हैं।

श्री छतरसिंह—माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि जसवन्तपुरा में शफाखाना है पर वहां कोई शफाखाना नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास—जसवन्तपुरा में नहीं है ? मेरे पास तो जो कागज हैं उनमें "है" लिखा है, फिर इसकी जांच करूंगा।

श्री छतरसिंह—जसवन्तपुरा तहसील में भीनमाल कस्बा है। इस १ लाख की आबादी वाली तहसील में क्या एक ही सफाखाने को सरकार काफी समझती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं इसके बारे में और जांच कर लूंगा, तभी कुछ उत्तर दे सकूंगा। और सांचोर में . . . . . .

श्री अध्यक्ष—जसवन्तपुरा तहसील का सवाल है।

श्री छतरसिंह—क्या जसवन्तपुरा में शफाखाना खोलने का सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सब आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे जसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती जावेगी हम इन पर भी गौर करेंगे।

प्रश्न संख्या ८८६

श्री हनवन्तसिंह—क्या वाणिज्य एवं व्यवसाय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जैसलमेर सब-डिविजन में ग्राम उद्योग के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है ?

(२) क्या यह सच है कि तहसील बाप, सब-डिविजन जैसलमेर में वामियों (बुनकरों) को सूत की पेटी नहीं मिलती है ?

(३) क्या यह सच है कि जैसलमेर सब-डिविजन में बुनाई का काम काफी मात्रा में हो सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)--(१) जैसलमेर सब-डिविजन में खास ग्रामोद्योग भेड़ पालना और उनकी ऊन बेचना है। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट में १० वूल सुपरवाइजर्स और १० वूल ग्रेडर्स नियुक्त हैं। इनका खास काम भेड़ें पालने वालों को भेड़ों की नस्ल सुधारने और ऊन की उन्नति के उपाय बतलाना है।

(२) यह सत्य नहीं है कि तहसील बाप के बुनकरों को सूत नहीं मिलता। सूत की हाल आजकल अत्यन्त संतोषजनक है और कई स्थानों पर तो वह रेट, कन्ट्रोल रेट से भी कम रेट पर मिल रहा है। आजकल हर मंडी में खुला सूत कन्ट्रोल के भाव के बराबर ही मिलता है। तहसील बाप के बुनकरों को सूत न मिलने की बाबत कोई शिकायत नहीं है।

(३) जैसलमेर सब-डिविजन में बुनाई का काम काफी मात्रा में हो सकता है, परन्तु मिल का बना हुआ कपड़ा सस्ता होने के कारण इस काम के लिये उनमें उत्सुकता नहीं है। ऊन का काम हो सकता है और उसके लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट। श्री दीनबन्धु।

प्रश्न संख्या८८७

श्री दीनबन्धु परमार--क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

राजस्थान सरकार इस साल कितनी हाई स्कूलें और कॉलेज खोल रही है?

श्री नाथूराम मिर्धा--इस विषय में अभी कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है। शीघ्र ही निर्णय किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८८८

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) राजस्थान में कहां कहां कृषि अनुसंधानशालाएं (लेबोरेट्रीज) हैं?

(२) कोटा में कृषि अनुसंधानशाला (लेबोरेट्री) में कितना खर्च किस किस कार्य में हुआ व इसके निर्माण से अब तक इसमें क्या क्या कृषि अनुसंधान कार्य हो चुके हैं?

(३) क्या सरकार द्वारा कोटा कृषि लेबोरेट्री के इन्चार्ज विदेश भेजे गये हैं? यदि हां, तो कहां व कितने समय के लिए व इन पर सरकार द्वारा कितना खर्चा होगा? क्या उक्त रकम किसी शर्त पर दी गई है या पूरे सरकारी खर्चे से गये हैं?

(४) इनसे पहले क्या कोई और भी आफिसर कृषि विभाग से विदेश भेजे गये थे? यदि हां, तो कौन २ और उन्होंने राजस्थान में कृषि कार्य में क्या योजनायें रक्खीं?

Page No.23

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(१) राजस्थान में कृषि विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसंधान शालायें हैं:—

(१) भरतपुर में —(क) इकॉनामिक बॉटेनिस्ट, (ख) प्लान्टपैथोलॉजिस्ट।

(२) कोटा में —एग्रीकल्चरल केमिस्ट।

(३) जयपुर में —(क) प्लान्टप्रोटेक्शन ऑफिसर (ख) एन्टोमोलोजिस्ट।

(२) मास मई सन् १९५२ में भरतपुर से कोटा अनुसंधानशाला उठाकर भेजी गई।

२६७२२ रु.१३ आने का सन् १९५२/५३ में सामान मशीनरी अनुसंधान शाला में खरीदा गया।

१८१३१ रु. ९ आने सन् १९५२/५३ वेतन कर्मचारीगण व भत्ता महंगाई इत्यादि में अनुसधानशाला के कोटा में कायम होने के बाद से अबतक करीब १५० साइल सेम्पल्स की जांच की गई। करीब १०३०१५ रोकड की सर्वे की गई। चम्बल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम के संबंध में बहुत सा समय चम्बल साइल सर्वे में लगा। पूरी संख्या में कर्मचारीगण व आवश्यक सामान न होने से कार्य उचित प्रगति से न चल सका।

(३) हां। श्री के० एम० मेहता, एग्रीकल्चर केमिस्ट कोटा ६ मास के ट्रेनिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्निकल कोआप्रेशन एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत साईल कंजर्वेशन की विशेष शिक्षा हेतु अमेरिका भेजे गये हैं। राजस्थान सरकार को इस शिक्षा के संबंध में दिल्ली तक आने जाने का खर्चा व शिक्षा काल (६ मास) का वेतन ही देना पड़ेगा। जाने आने का सब खर्चा संयुक्त राज्य अमेरिका देगा। वापसी पर यह राजस्थान में अपनी जगह पर आकर काम करेंगे व अपनी विशेष शिक्षा से संबधित कार्य करते रहेंगे।

(४) इसे पहले कृषि विकास संबधित शिक्षा हेतु श्री ताराचन्द काला, डिप्टी डाइरेक्टर को अमेरिका व जापान भेजा गया था। वहां से लौटकर आने के बाद २ जनवरी, १९५३ से उन्हें जॉइन्ट डाइरेक्टर एक्सटेन्शन नियुक्त किया गया है। कृषि विकास की सब योजनाएं इनकी देखरेख में संचालित हो रही हैं।

श्री कंवरलाल जेतिया—क्या चम्बल की इस बात में जांच की गई है कि उससे कितनी कृषि का काम हुआ और कितनी तहसीलों में वहां की भूमि की पैमाइश कर चुके हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अलग अलग तो ब्योरा मैं नहीं दे सकता पर कितने ही सेन्टर्स की जानकारी मैंने दी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उनकी जांच के नतीजे से कृषि में कुछ सुधार हुआ है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उन्होंने अलग अलग जगहों के लिए भिन्न भिन्न सलाहें दी हैं और उनकी इस जांच के बाद उनकी सलाह के अनुसार काम करने पर कृषि में सुधार हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कोई ऐसा स्थान या भूमि है जहां के बारे में कहा जा सकता है कि वहां कृषि की या अन्य चीज की उपज बढ़ी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कई जगह देखा है कि आलू, गेहूं की पैदावार बढ़ी है और यह कृषि विभाग की सलाह का ही परिणाम है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी का मनुष्यों की पैदावार से तो मतलब नहीं है ?

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—भारत सरकार के स्टेटिस्टिकल विभाग के अनुसंधान के परीक्षण के अनुसार तो यह कहा गया है कि देश की पैदावार तो कम होती जा रही है। क्या राजस्थान में इसके विपरीत कोई जांच की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—निश्चित तौर पर राजस्थान में तो पैदावार बढ़ी है और इसका सुबूत यह है कि हमें अनाज बाहर से पहले से कम मंगाना पड़ रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस संबंध में सरकार की, अनुसंधानशालाओं ने या कृषि विभाग ने कोई अनुसंधान किया है या कोई इन्क्वायरी करके कोई बात कही गई है या अन्दाज से ही आप यह सब कह रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जांच भी की गई है। कृषि विभाग द्वारा इस संबंध म एक पुस्तिका भी निकाली जा रही है, उससे काफी जानकारी इस संबंध में माननीय सदस्यों को मिलेगी।

प्रश्न संख्या ८८६

श्री रघुराजसिंह—Will the Minister-in-chagre, Medical & Public Health, be pleased to state:—

(*a*) Does the Government realise the need of appointing midwives in Doctors' and Compounders' Dispensaries in the districts ?

(*b*) If so provision for how many midwives has been made in the budget for the dispensaries in Kishanganj and Shahabad tehsils of Kotah district ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—(*a*) Yes.

(*b*) There are 2 dispensaries in Shahbad Tehsil and 3 dispensaries in Kishanganj Tehsil, and a provision has been made in the budget for the appointment of two Midwives, one at Kishanganj Dispensary and one at the Shahabad Dispensary.

Page No.25

श्री रघुराजसिंह—ये वेकेन्सीज (Vacancies) कब तक फिलअप (fill up) की जायेंगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—जब इसके लिए योग्य व्यक्ति अवेलेब्ल (available) हो जायेंगे तब।

प्रश्न संख्या ८६०

श्री रघुराजसिंह—Will the Minister-in-charge Medical & Public Health be pleased to state:—

(a) Why the work of the new Maharao Bhimsingh Hospital at Kotah has not been started still although nearly 5½ months elapsed since the foundation laying ceremony was performed ?

(b) Why a false statement was made in His Highness the Rajpramukh's Address that the work had been started when the work has not yet been stated?

(c) What amount is the Government thinking to contribute towards the building of this Hospital ?

श्री रामकिशोर व्यास—(a) The construction work of Maharao Bhim Singh Hospital, Kotah is entrusted to the P.W.D. (Buildings and Roads) authorities, who, it is understood, are busy preparing detailed drawings and detailed estimates for the working plan of the construction.. It is understood that the detailed drawing and estimates are now ready and the latter have been sent to Government for administrative sanction. As soon as this is received from Government, tenders will be invited and work will be started.

(b) The foundation-stone of the Hospital has been laid and it is understood from the P.W.D. that all formalities that go to make up the starting of the work are in full swing.

(c) The building would be constructed and equipped so as not to incur expenditure more than 7.5 lacs which is the total amount of the donation, as, at present, the Government is not in a position to contribute any thing due to financial stringency.

श्री रघुराजसिंह—Was not a statement made in the Rajpramukh's Address that the work has started ? Was it true ?

श्री रामकिशोर व्यास—Yes, it is true. The P. W. D. has been asked to start the work.

श्री रघुराजसिंह—But it has been mentioned in the Address that the work has been started . Why was this false statement given ?

श्री रामकिशोर व्यास—The laying of the foundation-stone is itself the starting of the work.

श्री रघुराजसिंह—Six months have elapsed and nothing has been done. I do not call it a starting of the work.

श्री रामकिशोर व्यास—शायद आपको मालूम होगा कि बजट में पौने चार लाख रुपये इसीलिये रखे गये हैं। वे जरूर इसके लिए काम आवेंगे।

श्री रघुराजसिंह—Regarding (c), the Government has said that the Government cannot give anything since they are in financial difficulties. I ask how could they find funds for the Jaipur Hospital which was so elaborate already.

श्री रामकिशोर व्यास—यह नामुकम्मिल था इसलिये इसे चालू कर दिया गया था।

प्रश्न संख्या ८६१

श्री दीनबन्धु परमार—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(१) रिषभदेव में जो हाई स्कूल खोलने की कार्यवाही चल रही है उसमें कहां तक प्रगति हुई है ?

(२) अगर हुई है, तो कबतक खुल जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—(१) आर्थिक वर्ष ५३-५४ में किस किस प्रकार की कितनी नई संस्थायें खोलना है इस विषय पर विचार हो रहा है। अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है। यही स्थिति रिषभदेव में हाई स्कूल खोलने के बाबत भी है।

(२) इस समय, समय बताना संभव नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या इस बारे में युनिवर्सिटी से लिखा-पढ़ी की गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा—युनिवर्सिटी से इन्स्पेक्शन करवाया जाता है।

श्री सोहनलाल भटनागर—इन्स्पेक्शन कब करवाया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा—जब जरूरी समझा जायगा तब कराया जायगा।

प्रश्न संख्या ८६२

श्री रघुराज सिंह—Will the Minister-in-charge, Medical & Public Health, be pleased to state:—

(a) Is it a fact that no prescriptions in Kotah and other hospitals are written until the patient affixes one anna "Fight T.B." stamp ?

(b) Is this done under Government Orders ?

श्री रामकिशोर व्यास (चिकित्सा मन्त्री)—(अ) किसी भी चिकित्सालय में रोगी को रोग-पत्र प्राप्त करने के लिये टी. बी. सील्स खरीदना अनिवार्य नहीं है। जनतासे उनकी इच्छानुसार टी. बी. सील्स खरीदने की प्रार्थना की जाती है।

(ब) नहीं, ऐसी कोई राजकीय आज्ञा नहीं है । केवल जनता से उनकी इच्छानुसार धन प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी ।

श्री रघुराज सिंह— क्या गवर्नमेन्ट इस बात की भी इन्क्वायरी करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—अब तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं ।

श्री रघुराज सिंह—लेकिन जो बेजाब्ता कार्यवाई की गई है उस पर एक्शन लिया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—अगर किसी को मजबूर किया गया होगा तो जरूर कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या ८१३

श्री रघुराज सिंह—Will the Minister for Commerce and Industry be pleased to state:—

(*a*) Does the Government know that the tax on stone at annas four per-cart load is being collected illegally from the cultivators by the contractor in Shahbad Tehsil of Kotah District inspite of the Government's (Commerce and Industry Department) Order No. F.11(131)CIM/51, dated 25-10-51 ?

(*b*) Will the Government issue immediate orders to check this discrepancy?

श्री रामकिशोर व्यास—(*a*) No complaint in this respect has been received from the cultivators of Shahbad Tehsil. The contractor is entitled to recover royalty from Khanda, Kankar etc. at the scheduled rates from the general public in this area. But the Cultivators are exempted from payment of such royalty provided they obtain written permission of the Tehsildar concerned that the material taken away by them will be for their bona fide use.

(*b*) There is no question of checking any discrepancy. The cultivators should obtain from the Tehsildar concerned the necessary permit so that the contractor would not demand royalty from them.

श्री रघुराजसिंह—क्या यह सही है कि इस ऑर्डर का पब्लिकेशन ठीक न होने से जनता इस ऑर्डर से अनभिज्ञ है इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह ऑर्डर गजट में पब्लिश (Publish) किया गया था ।

श्री रघुराजसिंह—क्या गजट में पब्लिश करने से आप यह समझते हैं कि देहात की जनता को इत्तला मिल गई ? तहसीलों में आपने किसी प्रकार की सूचना नहीं दी।

श्री रामकिशोर व्यास—आप जब भी इसकी जितनी ज्यादा पब्लिसिटी दे सकते हैं, देने की कृपा करें।

श्री रघुराजसिंह—मैंने तो इसकी पब्लिसिटी की है तथा और भी करूंगा, किन्तु सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाया है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! ऑर्डर!!

प्रश्न संख्या ८६४

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में संत विनोवाजी द्वारा संचालित भूमिदान यज्ञ में राजस्थान सरकार की ओर से अबतक क्या सहयोग दिया गया है ? या अब क्या दिया जाने वाला है ?

(२) अबतक भूमिदान कार्य में कितनी प्रगति हो चुकी है तथा कितनी एकड़ भूमि किस किस डिविजन में एकत्रित हो चुकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(१) राजस्थान सरकार की ओर से आचार्य विनोवा भावे को भूमिदान यज्ञ में पूरा पूरा सहयोग दिया गया है। सरकार ने इस कार्य के लिये १,००,००० बीघा भूमि देना स्वीकार कर लिया है। उसमें से २०,००० बीघा भूमि तुरन्त ही दे दी जायगी। इसके अतिरिक्त इच्छुक व्यक्तियों द्वारा भूमिदान देने में सुविधा प्रदान करने के हेतु राजस्थान भूदान यज्ञ बिल शीघ्र ही सदन में स्वीकृति के लिये पेश किया जायगा।

(२) इस कार्य में सरकार द्वारा डिविजनों में इस प्रकार भूमि तुरन्त ही देने की व्यवस्था की गई है—

जयपुर	३००० बीघा
जोधपुर	४००० बीघा
कोटा	४००० बीघा
उदयपुर	८००० बीघा
बीकानेर	१००० बीघा

इसके अतिरिक्त जो भूमि निजी तौर पर व्यक्तियों ने इस यज्ञ में भेंट की है। उसके आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गंगानगर की एक लाख बीघा भूमि को जिसको सरकार अभी तक किसी को देना तय नहीं कर सकी है उसको देने के लिये तैयार है ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—मैं समझता हूं कि यह अलग प्रश्न है।

श्री **कँवरलाल जेलिया**—मैं इस संबन्ध में दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर ! ऑर्डर !! नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८६५

श्री **दीनबन्धु परमार**—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(क) उदयपुर जिले के भील क्षेत्र में कितने औषधालय व डिस्पेन्सरियां हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि बड़े बड़े शहरों व कस्बों में सब तरह के दवाखाने खोले जाते हैं और ग्रामीण जनता में नहीं ?

(ग) अगर ऐसे भील क्षेत्र या ग्रामीण जनता में खोले गये हैं, तो कहां कहां ?

(घ) इस वर्ष में नये कितने दवाखाने व डिस्पेन्सरियां खोली जायेंगी ?

श्री **रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)**—(क) उदयपुर जिले के भील क्षेत्र में ६ औषधालय एवं १८ डिस्पेन्सरीज् हैं।

(ख) नहीं, यह सही नहीं है। गांवों में भी डिस्पेन्सरीज् एवं औषधालय हैं।

(ग) निम्नलिखित भील क्षेत्र एवं गांवों में डिस्पेन्सरीज् हैं :—

भीलक्षेत्र			ग्राम	
१. खेरवाडा	२. कुम्भलगढ़	३. सराड़ा	१. जवास	२. ऋषभदेव
४. कोटड़ा	५. विकरम	६. राजसमन्द	३. कांकरोली	४. झाडोल
७. भीम	८. रेलमगरा	९. कानोड	५. भिन्डर	६. प्रतापुरा
१०. सलुम्बर	११. गौगुन्दा	१२. गढी	७. सीलमवाडा	८. बान्सी
१३. बागी डोरा	१४. कुशलगढ़	१५. खान्डू	९. धरियावद	१०. दलोत
१६. सागवाड़ा	१७. गलियाकोट	१८. वनकोडा	११. बसी	१२. नन्दवई
			१३. बीगोद	१४. पुर
			१५. गंगापुर	

और निम्नलिखित गांवों में औषधालय खोले गये हैं।

१. भीलों की पाल	२. गींगला	३. बीकरणी
४. झाडोल	५. फलासिया	६. लसांडिया

(घ) सरकार की आर्थिक स्थिति निर्बल होने के कारण अभी नई डिस्पेन्सरी एवं औषधालय खोलने की योजना नहीं है।

Page No.30

श्री **रोशनलाल**—क्या डूंगरपुर उदयपुर जिले के भील क्षेत्र में आता है ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—नहीं।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—सरकार ने भील क्षेत्र को मापने के लिये क्या माप दंड रखा है ?

श्री **रोशनलाल**—जब डूंगरपुर उदयपुर के भील क्षेत्र में नहीं आता तो आपने उस सम्बन्ध में कैसे सूचना दी ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—ज्यादा इत्तिला दी है । इसमें आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिये।

श्री **रोशनलाल**—इससे यह मालूम होता है कि डूंगरपुर में ज्यादा हैं और उदयपुर में कम हैं; इसलिये यह डूंगरपुर की भी सूचना शामिल की गई है ।

एक **सदस्य**—No cross examination.

श्री **अध्यक्ष**—Next.

प्रश्न संख्या ८६६

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वरेल, भोडल, आदि खानों का ठेका जो दिया जाता है वह किस नियम से दिया जाता है ?

(२) क्या ठेका दिया जाने के पूर्व राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है या संबन्धित इन्जीनियर की रिपोर्टपर ही दे दिया जाता है ?

(३) क्या जिस स्थान पर खान हो वहां के निवासी तथा काबिज आराजी वाले को भी सूचित किया जाता है ?

(४) क्या काबिज आराजी वाले को (सरकश) जमीन का मुआवजा दिया जाता है ?

(५) अगर दिया जाता है तो किस रेट से, अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री **रामकिशोर व्यास (उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री)**—(१) ठेके भारतीय खनिज अधिनियम, १९४९ के अनुसार दिये जाते हैं।

(२) ठेका संबन्धित व्यक्ति के अधिनियमानुसार आवेदन-पत्र होने पर व स्थान के खाली होने पर दिया जाता है ।

(३) नहीं ।

(४) काबिज आराजी वाले को सरकश जमीन जो खान व उससे सम्बन्धित कार्य के उपयोग में लाई जावे उसका मुआवजा ठेकेदार द्वारा ही आपस में तय हुए रेट्स पर दिया जाता है ।

(५) मावजा की रेट यदि आपस में तय न होवे तो उस सूरत में कलैक्टर द्वारा निर्धारित किया हुवा मुआवजा दिया जाता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या काबिज आराजी वाले को मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के पास कोई शिकायतें आई हैं ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—इसके लिये मेरे पास शिकायतें आने की जरूरत नहीं । कलेक्टरों को इस सम्बन्ध में पॉवर्स हैं, उनके पास जाएं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या मंत्री महोदय के पास भी अपील आई है ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—मेरे पास तो नहीं है।

श्री **एच. के. व्यास**—क्या सरकार खानों को लीज पर देने से पहले गजट में शाया करती है कि फलां फलां खानें लीज पर दी जावेंगी?

श्री **रामकिशोर व्यास**—हां, आम तौर से गजट में शाया करती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह —तो फिर इनको गजट में शाया क्यों नहीं किया गया ?

श्री **एच. के. व्यास**—क्या इस प्रकार गजट में शाया नहीं करने की शिकायतें सरकार के पास बहुत हैं ?

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८६७

श्री **दीनबन्धु परमार**—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र में सरकार शिक्षा प्रसार के लिए इस वर्ष कितनी कितनी प्रारंभिक शालायें शिक्षा विभाग की ओर से खोल रही है ?

(२) पहिले किस किस तहसील में कितनी कितनी पाठशालायें खोली गई हैं ?

श्री **नाथुराम मिर्धा(शिक्षा मन्त्री)**—(१) आर्थिक वर्ष ५३-५४ में कितनी प्राइमरी पाठशालायें कहां कहां खोली जावेंगी इस प्रश्न पर विचार हो रहा है और अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। इसलिये उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र में खुलने वाले नये स्कूलों की संख्या अभी बताना संभव नहीं है।

(२) सन् १९५० से आदिवासी क्षेत्र में से निम्नरूप से प्रारंभिक पाठशालायें खोली गई हैं:—

	नाम तहसील	खोले गये स्कूलों की संख्या
१.	आसपुर	१.
२.	सागवाड़ा	६.
३.	डूंगरपुर	६.
४.	घांटोल	९.
५.	बांसवाडा,	५.

[श्री नाथूराम मिर्धा]

नाम तहसील	खोले गये स्कूलों की संख्या
६. अरनोद	१.
७. गढी	३.
८. बागी डोरा	१.
९. कुशलगढ़	१.
	३३

श्री भंवरलाल जेलिया—क्या सरकार दूसरे भील क्षेत्रों का भी ध्यान रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—सरकार सबका ध्यान रखती है ।

प्रश्न संख्या ८६८

श्री प्रभूदयाल—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू जिले में इस साल कुत्ते काटने से कितने आदमियों की मौतें हुई?

(२) क्या यह सही है कि इस साल सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस रोग के वास्ते यहां कोई अस्पताल नहीं है और बीकानेर जाना पड़ता है जहां उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है ?

(४) क्या सरकार इस रोग का यहां कोई बन्दोबस्त करेगी ? अगर हां, तो कबतक और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(५) क्या यह सही है कि कुत्ते ज्यादा बढ़ने की वजह से ही यह रोग फैल रहा है ? अगर हां, तो क्या कदम, उठाया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मन्त्री)—प्राप्त समाचारों के अनुसार सितम्बर, १९५२, से अबतक चार आदमियों की मृत्यु पागल कुत्तों के काटने से हुई है ।

(२) नहीं ।

(३) और (४) इस रोग के इलाज का प्रबन्ध पहले सिर्फ कसौली में ही होता था पर अब इसका प्रबन्ध खास खास जगहों पर किया जाता है । बीकानेर डिविजन में बीकानेर और गंगापुर के अस्पतालों में इस इलाज का प्रबन्ध है ? आवश्यक औषधि एवं इलाज का प्रबन्ध अब चूरू अस्पताल में भी कर दिया गया है ।

(५) यह रोग पागल कुत्तों के काटने से होता है इस कारण इसको न होने देने का एक ही उपाय है कि बिना पाले कुत्तों को नष्ट कर दिया जाय । किन्तु धार्मिक-भावना-प्रधान राजस्थान में वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार के कुत्तों को नष्ट कर देने का कार्य बिना विरोध के एवं सरलता से शायद न हो सकेगा । फिर भी नगरपालिकाओं एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा रहा है ।

श्री प्रभुदयाल——क्या पालतू कुत्ते काटते हैं या आवारा ?

श्री रामकिशोर व्यास—आवारा ।

श्री भैरूसिंह (दा० २१८)—क्या जिन जिन शख्सों को कुत्तों ने काटा है उनमें सफेद कपड़े पहिनने वाले ज्यादा हैं या.....

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर ! !

एक सदस्य—सांफे पहिनने वाले ज्यादा थे ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ८६६

श्री प्रभुदयाल— क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) तारानगर हॉस्पिटल में कोई नर्स है ? अगर नहीं तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि वहां आस-पास में कोई विमेन्स हॉस्पिटिल नहीं है और नर्स की सख्त जरूरत है ?

(३) क्या यह सही है कि पॉपुलेशन को देखते हुए नर्स और फीमेल सरवेंट की आवश्यकता है और जनता की ओर से शिकायत भी की गई है ?

(४) क्या यह सही है कि बजट में जो कमी की गई थी उसमें इन दोनों पोस्टस् को उड़ाया गया है ?

(५) क्या सरकार इन जगहों की पूर्ति करेगी ? अगर हां, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) तारानगर डिस्पेन्सरी के पिछले दो सालों के बजट में नर्स की जगह थी किन्तु राजस्थान में नर्सों की कमी के कारण यहां कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी। इस कारण से यह जगह फाइनेन्स महकमे द्वारा कम कर दी गई ।

(२)और (३) तारानगर की जनसंख्या को देखते हुए वहां सरकार नर्स की आवश्यकता समझती है ।

(४) उत्तर नं० १ में इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

(५) सरकार तारानगर में नर्स रखने के प्रश्न को अवश्य ध्यान में रखेगी ।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि वहां दो वर्ष पहले नर्स थी और अब तोड़ दी गई है

श्री रामकिशोर व्यास—इसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं ।

अल्पकाल सूचना प्रश्न संख्या ८ (२५/एस.एन. क्यु.)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local-Self Government be pleased to answer;:—

(*a*) Did the Government receive any representation from Mr. Khemchand Balchand, Municipal Councillor, Bhilwara regarding grave irregularities committed in the administration to the Municipal Board, Bhilwara ?

(*b*) Is it a fact that the Regional Officer was deputed to hold an enquiry?

(*c*) Has he completed enquiry and submitted his report ? If so, on what date ?

(*d*) Is it a fact that the Government has asked the District Magistrate to hold re-election of the Chairman and the date has been fixed at 9th April for the same ?

(*e*) What are the reasons for ordering a re-election before the consideration of the enquiry report ?

(*f*) Has the Government considered the Report of the enquiry ? If so, what are its conclusions ?

(*g*) Would the Government consider postponement of re-election of the Chairman till it gives the findings and conclusions of the enquiry ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—

(ए) हां ।

(बी) हां ।

(सी) हां, दिनांक १२ मार्च सन् १९५३ ई० को ।

(डी) हां ।

(ई) भीलवाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ को प्रस्तुत किया जो उन्हें दिनांक ७–२–५३ को प्राप्त हुआ । अधिनियमानुसार उपाध्यक्ष को अध्यक्ष से कार्यभार संभालने के आदेश दिए गए और भीलवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिनांक १४-२-५३ को अध्यक्ष का पुन: चुनाव कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए निवेदन किया गया ।

[श्री रामकरण जोशी]

(एफ) जांच की रिपोर्ट विचाराधीन है ।

(जी) अधिनियमानुसार जब अध्यक्ष एक बार त्यागपत्र दे देते हैं तो उनका त्यागपत्र डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ के पास इस आशय की सूचना के प्राप्त होने की तिथि से १५ दिनों की अवधि समाप्त होने पर स्वीकृत समझा जाता है और रिक्त स्थान की पूर्ति चुनाव द्वारा कराई जाती है। अतः अध्यक्ष के चुनाव को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एच. के. व्यास—जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि डिस्क्वालीफाइड हों और यदि उस बीच में चुनाव होते तो क्या सरकार उसको खड़ा होने के लिये डिस्क्वालीफाइड करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि जब तक किसी आदमी के खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं हो तब तक उसके खड़े होने में कोई रुकावट नहीं आती ।

श्री एच. के. व्यास—क्या सरकार जांच की रिपोर्ट पर विचार करके जल्दी फैसला करके जल्दी इलेक्शन करने को ठीक नहीं समझती ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री अध्यक्ष—Now we take Legislature business.

Further consideration of the Rajasthan Panchayat Bill, Clause 68.

राजस्थान पंचायत विधेयक पर अग्रेतर वाद-विवाद ।

श्री एच. के. व्यास—Yesterday certain clauses were left over....

श्री अध्यक्ष—They will be taken after we finish our current business.

श्री एच. के. व्यास—Mr. Speaker, Sir, in Clause 68 of this Bill I beg to move the following amendment:—

> "In sub-clause (2) add at the end the following :—
> "Within a period of one month of its receipt".

माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज का संबंध बजट से है और इसमें यह शर्त रखी गई है कि बजट तैयार होकर चीफ पंचायत ऑफिसर के पास भेजा जाना चाहिये । मेरे अमेन्डमेन्ट की मंशा यह है कि जब पंचायतें बजट बनाकर चीफ पंचायत ऑफिसर के पास भेज दें और बजट भेजने के बाद महीनों उसकी स्वीकृति नहीं हो तो एक अड़चन पैदा हो जायगी और परेशानी हो जायगी पंचायतों को काम करने में। जिस तरह यह बंधन पंचायतों पर लगाया जाता है और चीफ पंचायत आफिसर का काम रखा गया है मोडिफिकेशन, जांच आदि करके भेजना । तो साथ साथ टाइम लिमिट (time limit) भी रखी

[श्री च. के. व्यास]

जानी चाहिये और बजट आने की तारीख से एक महिने के अन्दर अन्दर यह जांच हो जानी चाहिये और बजट मंजूर होकर वापिस पंचायत के पास भेज देना चाहिये ।

यह मेरा अमेन्डमेन्ट है जिसे मैं सदन के सामने पेश करता हूं ।

श्री **तेजसिंह**—इस क्लॉज में जैसा कि श्री एच. के. व्यास ने संशोधन रखा मेरा भी एक संशोधन है जो इस प्रकार है।

"The following proviso be added after sub-clause (2):—

"Provided that the budget shall be presumed to have been passed if it is not returned by the Chief Panchayat Officer within a month."

राजस्थान में ३२०० पंचायतें कायम होने वाली हैं और उनके ३२०० ही बजट आयेंगे । ३२०० बजट साल पूरा हो जायगा तब तक नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिये उन पर भी टाइम लिमिट लगादी जाय तो उन पर भी यह जिम्मेवारी रहेगी और इस तरह पंचायतों का काम भी ठीक तरह से चलता रहेगा। भूतपूर्व जयपुर राज्य में यही प्रोसिजर (Procedure) था कि बजट को टाइम पर पास कर तहसीलदार भेज देते थे और अगर टाइम में बजट पास करके नहीं भेजा जाता था तो बजट अपने आप पास समझ लिया जाता था। इसी तरह की टाइम की लिमिट होनी चाहिये। यह एक छोटी सी बात है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इसे मंजूर कर लेंगे ।

श्री **रामकृष्ण जोशी**—श्री एच. के. व्यास ने अपने संशोधन में जो एक महीने का टाइम रखा है वह टाइम कम रहता है अगर २ महीने का टाइम रख दें तो मुझे मंजूर हो सकता है।

श्री तेजसिंहजी ने,जो छोटासा संशोधन रखा है उसमें तो पंचायतों के खजाने को बर्बाद करने के आसार भरे हुए हैं इसलिये मैं उसे स्वीकार नहीं करता ।

श्री **एच. के. व्यास**—It would be all right, Sir, to substitute "two months" for "one month". If he accepts this amendment, there is no question.

श्री **अध्यक्ष**—So, is it the leave of the House to amend the clause by adding the words "within a period of two months" (स्वीकृत) In view of this, Mr. Tej Singh will withdraw this amendment, I think.

श्री **तेजसिंह**—I beg leave to withdraw my amendment.

श्री **अध्यक्ष**—Does the House permit him to withdraw his amendment.

(आज्ञा प्रदान हुई)

श्री **तेजसिंह**—I withdraw my amendment.

Page No.37

श्री अध्यक्ष—So, I put the amended clause to vote. The question is that Clause 68, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 68 as amended is added to the Bill.

(विराम)

Clause 69 Shri Hari Dutta.

(अनुपस्थित)

श्री रामकरण जोशी—Then the amendment of Shri Haridutta is dropped.

श्री अध्यक्ष—That automatically is. (विराम) So the question is that clause 69 satnd part of the Bill.

(स्वीकृत)

The clause is added to the Bill (विराम) No amendment on clause 70. (विराम) So the question in that clause 70 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 70 is added to the Bill (विराम) Clause 71. Shri Hari Dutta.

(अनुपस्थित)

No other amendment. So the question is that Clause 71 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 71 is added to the Bill.

(विराम)

Now Clause 72. Shri Hari Dutta.

(अनुपस्थित)

The question is that clause 72 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 72 is added to the Bill.

(विराम)

Now clause 73. Shri H. K. Vyas.

श्री एच. के. व्यास—मेरे संशोधन इस प्रकार हैं:—

(1) Delete clause 73.

(2) In sub-clause (1) first line delete the words "is not competent to perform, or"

(3) In sub-clause (1) second line after the word "makes" insert "wilful."

(4) In sub-clause (1) fourth line delete the words "or exceeds."

(5) In sub clause (1) seventh line after the word "heard" insert the following :—

"and after considering its explanation, if any"

(6) In sub-clause (1) ninth line :—

delete the words "incompetent or"

insert the word "wilful" after the word "in" and delete the words "exceeded or."

(7) In sub-clause (3) in line three, delete the words beginning from "re-election or re-appointment and. . . " to the end of the sub-clause and substitute in their place the following :—

"in the manner in which the superseded Panchayat or Tehsil Panchayat was constituted."

माननीय अध्यक्ष, मेरे शब्दों को छोड़ने के सिलसिले में या क्लॉज के कुछ अंगों को परिवर्तित करने के सिलसिले में जो अलग अलग अमेन्डमेंट्स हैं उनकी सब की एक ही मन्शा है। इनको रखने का क्या उद्देश्य है, वह मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ।

क्लॉज ७३ का ताल्लुक सरकार के उस अधिकार से है जो वह किसी भी पंचायत को बर्खास्त करने के काम में ला सकती है।

इस क्लॉज के पहले ही हमने अभी अभी दो और क्लॉज पास कर दिये हैं। एक तो जनरल कन्ट्रोलिंग की ऑथोरिटी (Controlling authority) सरकार को देने का क्लॉज पास कर दिया है और दूसरा यदि कोई इमरजेन्सी (emergency) आ जाय कोई विशेष परिस्थिति आजाय, और पंचायत काम नहीं कर सके या काम करने से इन्कार करदे तो उस कार्य को करने का अधिकार भी सरकार को देने का क्लॉज ७१ और ७२ के मातहत अभी अभी पास कर दिया है।

[श्री एच. के. व्यास]

आखिरी अधिकार क्लॉज ७३ के मार्फत सरकार लेना चाहती है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होजाये कि पंचायत को डिजोल्व (dissolve) करने की आवश्यकता पड़े तो सरकार उसे डिजोल्व कर सके। मेरा कहना है कि यह अधिकार बहुत ही वाइड (wide) है। यह मैं उन्हीं शब्दों से बताऊंगा जिनको डिलीट (delete) करने का मैंने अमेन्डमेंट रखा है।

पहला सेन्टेन्स यह है "If a Panchyat or a Tehsil Panchyat is not competent to perform":—इसका मतलब सरकार ने यह लिया है कि यदि वह इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई पंचायत या तहसील पंचायत अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिये काबिल ही नहीं है और दूसरा यह है, "or persistently makes default in the performance of the duties." यानी लगातार जो उसकी ड्यूटीज हैं उनको अंजाम देने से कतराये या अंजाम नही दे सके। मेरा कहना यह है कि यह जो क्लॉज है वह पुरानी ट्रेडीशन्स (traditions) को कायम रखनेवाला क्लॉज है। पहले जब सामन्तशाही–राज्य–व्यवस्था थी और नागरिक अधिकारों और हकों का आन्दोलन चल रहा था और हकूकों की मांग चल रही थी उस समय सरकार यह करती थी कि वह थोड़े बहुत नागरिक अधिकार म्युनिसिपैलिटीज को दे देती थी और कहती थी कि आपके ये अधिकार हैं और ये ड्युटीज् हैं। उन पर पूरा अंकुश सरकार रखती थी। एक सरकारी महकमे के रूप में स्वायत्त संस्थाएं चला करती थीं। सरकार अपने हाथ में अधिकार इसलिये रखती थी कि वह जब चाहे तब पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों को डिजाल्व कर दे। मुझे बड़ा अफसोस और आश्चर्य होता है कि आज इस रूप में स्वायत्त संस्थाएं कायम हो रही हैं। आज के जमाने में बालिग मताधिकार के आधार पर बनी हुई म्युनिसिपैलिटियों और पंचायतों को उसी पुराने तरीके पर कायम किया जा रहा है। आखिर आपके पास कौनसा माप दंड है जिसके जरिये आप तय करेंगे कि अमुक पंचायत कॉम्पीटेन्ट है या नहीं। जिनको लोगों ने चुना है उनके कॉम्पीटेन्ट होने या न होने का निश्चय करने का अधिकार सरकार लेना चाहती है। ड्यूटीज का एक लंबा चौडा शिड्यूल दिया हुआ है और उसमें ऑब्लिगेटरी ड्युटीज भी रक्खी गई हैं। इस पर हमने पहले ऐतराज भी किया था। व्यवस्था ठीक न होने के कारण या फंड की कमी के कारण यदि कोई पंचायत इन ड्यूटीज को अच्छी तरह से अंजाम नहीं कर सके तो भी यह कहा जायगा कि पंचायतें अपनी ड्युटीज को अच्छी तरह से अंजाम नहीं कर सकीं, फिर भी सरकार के ये अधिकार जरूरत से ज्यादा हैं। तीसरी चीज है जुरिस्डिक्शन को एक्सीड (exceed) करने की अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत पेचीदगी का सवाल है। बड़े बड़े कोर्ट स के लिये यह तय करना मुश्किल है कि उन्होंने अब तक अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया या नहीं। जो प्रश्न जुडिशियल ऑथोरिटीज के बारे में भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में आता है कि अमुक कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से एक्सीड (exceed) किया या नहीं। तभी पता चलता है। जब तक कोई फैसला जुडिशियल ऑथोरिटीज का नहीं होता तब तक यह कहना मुश्किल होजाता है कि किसने जुरिस्डिक्शन को एक्सीडकिया और किसने नहीं किया। यदि किसी ने जान बूझ कर ऐसा किया है तो यह दूसरी बात है। किसी ने अपने अधिकारों से ज्यादा काम कर लिया है तो यह कानूनी इन्टरप्रिटेशन(interpretation)की बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कॉम्पिटेन्सी(competency)

[श्री एच. के. व्यास]
वाला सेन्टेन्स हटा दिया जाय और "persistently makes default" के बजाय "persistently makes wilful default." कर दिया जाय मजबूरियों के कारण यदि डिफॉल्ट (default) है तो उसके लिये सरकार को पंचायत भंग करने का अधिकार नहीं देना चाहिये। "wilful default" शब्द रहने से सरकार के कुछ अधिकार कम हो जाते हैं और पचायतों के कुछ अधिकार कायम रह जाते हैं। जब कोई पंचायत विलफुल्ली (wilfully) अपने पॉवर्स का एब्यूज (abuse) करती है तो सरकार को उसे हटाने का अख्त्यार रह जाता है। इस प्रकार की मेरे अमेन्डमेन्ट की मंशा है। मुझे उम्मीद है कि आज के बदलते हुए जमाने में, बदलती हुई परिस्थितियों में पहले के बने हुए एक्ट्स की हूबहू कॉपी नहीं की जायगी क्योंकि यह अच्छा नहीं लगेगा। पुरानी सामन्तवादी चीजों को लेकर नये प्रजातंत्र के जमाने में आप नहीं चल सकते। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मेरे अमेन्डमेन्ट को मंजूर करलिया जाय।

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ७३ में मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

In sub-clause (1) insert the words "on a request of more than two third of the voters of the said Panchayat" after the word "Government" and before the word "may" in line six.

दूसरा जो मेरा संशोधन है वह इस प्रकार है।

In sub-clause (2) part (b) for the words "any other person or persons in that behalf" substitute the words "any officer or any servant of the Panchayat appointed by the Chief Panchayat Officer in that behalf."

अध्यक्ष महोदय, अभी इस क्लॉज को डिलिट करने के संबन्ध में माननीय श्री हरिकृष्ण व्यास ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि खन्ड ६९ के अंतर्गत पंचायत के चीफ कंट्रोलिंग ऑथोरिटी के अधिकार सरकार ने अपने पास रखे हैं और क्लॉज ७१ के मातहत जो पंचायत अपना काम ठीक प्रकार से दिलचस्पी लेकर नहीं करेगी तो उसे हटाने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। खंड ७७ (एफ) में सरकार ने पंचायत को डिजोल्व करने का नया अधिकार अपने हाथ में लिया है जो सदन के सामने विचारार्थ आयगा। इस क्लॉज को डिलिट करने के लिये भी मैंने अपना अमेंडमेन्ट रखा है। अभी मैं क्लाज ७३ के ऊपर अपने विचार रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, पंचायत को डिजोल्व व सुपरसीड करने के अधिकार सरकार के पास एक ही क्लॉज में नहीं हैं बल्कि अनेक धाराओं द्वारा सरकार हर पोइन्ट पर अपने अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है। हो सकता है कि सरकार को पंचायतों के काम में विश्वास नहो या सरकार यह समझती हो कि पंचायतें अपना काम ठीक प्रकार से अंजाम नहीं दे सकेंगी। तो ऐसी सूरत में सरकार के पास इस प्रकार के अधिकार होना बिल्कुल आवश्यक है। यदि सरकार अपने पास अधिकार रखना आवश्यक समझती है तो कमसे कम उन व्यक्तियों को तो अधिकार देना चाहिये जिनके द्वारा चुने जाकर पंचायत की स्थापना की जाती है। मेरा संशोधन यह है कि यदि

[श्री भैरूं सिंह]

सरकार ऐसा समझे कि कोई पंचायत जानबूझ कर अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रही है तो वह ऐसी पंचायत को डिजाल्व कर सकती है। लेकिन मेरा संशोधन यह है कि डिजोल्व करने के पूर्व वह पंचायत के प्रति उस स्थान की दो तिहाई जनता की राय जानले जिन्होंने कि वोट देकर पंचों का भेजा है। यदि उस स्थान के वोटर पंचायत को सरकार द्वारा डिजोल्व करने के बाद भी इस बात के लिये कटिबद्ध हैं कि वे दुबारा भी चुनाव में उन्हीं पंचों को लावेंगे तो उन पंचों के वापिस आने पर सरकार की मंशा पूरी नहीं होगी। लेकिन ठीक प्रकार से काम लेने के साथ साथ यदि सरकार उस क्षेत्र की जनता की राय लेगी कि फलां पंचायत ने या फलां पंचायत के अमुक पंच ने ठीक तरह से काम किया है या नहीं या अपने अधिकारों का पालन किया है या नहीं या पंचायत एक्ट में जो ड्युटीज दी गई हैं उनको पूरा किया है या नहीं तो पंच लोग यह समझेंगे कि वोटर्स को अधिकार है या नहीं कि यदि हम ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो वे हमारे खिलाफ शिकायत करेंगे या राय देंगे और हमको हटना पड़ेगा, तो पंचायत आपसे आप ठीक तरह से काम करने लगेगी और जनता भी अपना अधिकार समझेगी।

दूसरा संशोधन यह है इस खण्ड के सब क्लॉज (२) पर कि यदि कोई पंचायत इस क्लॉज के मातहत डिजाल्व कर दी जाती है तो सरकार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह उस क्षेत्र का हो, चाहे उसी पंचायत का हो और चाहे किसी अन्य क्षेत्र का हो, यह अधिकार दे सकती कि पंचायत की अदम मौजूदगी में पंचायत की सारी ड्युटीज को अन्जाम दे। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इससे कोई भी व्यक्ति यह अधिकार प्राप्त कर सकता है और सरकार भी उसको अधिकार दे सकती है। उस पंचायत क्षेत्र का दूसरे व्यक्ति को अधिकार दे देना उचित नहीं होगा क्योंकि इलैक्शन वगैरह पार्टीबाजी के आधार पर होंगे। इस क्लॉज से हरएक को यह विश्वास हो सकता है कि पार्टी बाजी पर ही चुनाव होगा। गांवों की जो हालत है उसको देखते हुए यह बात उचित नहीं है और यह क्लॉज रहना उचित भी नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को अधिकार देने के बजाय किसी पंचायत के अफसर को ये अधिकार दे दिए जांय, किसी पंचायत के मुलाजिम को यह अधिकार दे दिये जांय ताकि आयन्दा पंचायतों में आने वाले किन्हीं भी नुमाइन्दों के विषय में जनता की शिकायत न रहे कि अमुक व्यक्ति को अधिकार देने से, कुछ वोटर्स पर अफैक्ट (affect) होजाने से उन्होंने वोटर्स दिए हैं वरना नहीं देते। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे।

श्री **अध्यक्ष**—श्री हरिदत्त।

(अनुपस्थित)

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है जब मैं यह सुनता हूं कि इस तरीके की जो पंचायतें हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती हैं, जो नाकाबिल हैं, जो बराबर गलतियां करती हैं, जो अपने कामों को, अपने जिम्मे की ड्युटीज को अन्जाम नहीं देती हैं, ऐसी पंचायतों को शील्ड करने का अधिकार दे दिया जाता है। इसके लिए काफी ऐतराज किया गया

[श्री रामकरण जोशी]

है और एक ही तरह की बातें कही गई हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्धमें भावना क्लीयर (clear) नहीं है यदि भावना क्लीयर होती तो इस प्रकार की शिकायतों की गुन्जाइश ही नहीं रहती। इस बिल के द्वारा इस पंचायत विभाग को सबल बनाने का ही मुख्य उद्देश्य है। इस विभाग पर ऐसी बातें थोपना कि जबर्दस्ती सुपर्सीड कर देंगे, अनुचित मालूम होता है और जिन पंचायतों के पास इतने पावर्स हैं कि वे सजा दे सकती हैं, जुर्माना कर सकती हैं, हरएक मामले में रोकथाम कर सकती हैं; उन पंचायतों से यह उम्मीद करना कि वे अच्छी तरह से काम करने वाली नहीं हैं, अनुचित है। इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। इस क्लॉज के लिए कोई भी रीजनेबल आदमी इन्कार नहीं कर सकता। ऐसी पंचायत "is not competent to perform or persistently makes default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or by or under any other law for the time being in force or exceeds or abuses its power." जो हैं या जो इस प्रकार की बातें करती हैं हो सकता है कि ऐसी पंचायतों को सुपरसीड (supersede) किया जा रहा हो और इसका सुपरसीड करने वाले व्यक्ति पंचायत को इनिशिएटिव (initiative) देना चाहता है कि उनको अधिकार है कि वे ऐसी बातें करें। अतः मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस संशोधन को वापिस ले लिया जाय।

दूसरी बात जो कही गई है वह यह है कि यदि पंचायत को सुपरसीड किया जाय तो २/३ मत-दाताओं से उसका सुपरसीड करना चाहिये। इस संबंध में मैं आपका निवेदन करूंगा कि न तो यह प्रैक्टिकेबल (Practicable) है और न इस तरह की बातें कभी कहीं हुईं। यह नई बात है कि पंचायतें खराब काम करती हैं तो उसका सुपरसीड करने के लिए वहां प्रारंभिक मत-दाताओं की राय जानी जाय और इसका मतलब यह हो जाता है कि दूसरी तरह से पंचायतों को मौका दिया जाता है कि वे मनमाने तरीके से पॉवर्स का यूज (use) करें।

एक बात और कही गई है जो यह है कि उस व्यक्ति के बारे में क्लेरिफाई हो जाना चाहिये कि जिसको पंचायत सौंपी जाय वह पंचायत का कर्मचारी हो। मैं आपको बताऊं कि यह क्लॉज फायदे के लिए ही रखा गया है और यह ज्यों का त्यों रहना चाहिये। अगर इसके बिना आप भलाई की आशा करना चाहते हैं तो वह पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने संशोधन को वापिस ले लें।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—मेरे लास्ट अमेन्डमेन्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—मैं समझता हूं कि आपकी सारी चीजों का जवाब देने के बजाय यह कहा जाय कि कलर्ड चश्मा लगा हुआ है और उससे आप देखते हैं तो आपको धारायें ठीक नहीं मिलती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि आप पुनर्विचार करके आपके संशोधनों को जो पंचायतों में गलतियों और कमियों को प्रोत्साहन देने वाले हैं, आप वापिस ले लें।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—माननीय अध्यक्ष, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे सब क्लॉज (१) के अमेन्ड-मेन्ट को, जिसके पक्ष में मैंने अधिक नहीं कहा था और इसलिए नहीं कहा था कि यह साफ है और इसके

[श्री हरिकृष्ण व्यास]
लिए सदन का समय क्यों लिया जाय, सदन का समय बचाना चाहिये, उसका ताल्लुक डिजोलुशन से नहीं है किन्तु उसका ताल्लुक रिकॉन्स्टिट्युशन से है। ऑरिजिनल क्लॉज (original clause) में, जो कि अभी प्रस्तुत है सदन के सामने, उसमें लिखा है कि:—

"The Panchayat or Tehsil Panchayat shall be reconstituted by re-election or re-appointment and the persons who vacated their office under clause (a) of sub-section (2) shall not be deemed disqualified for election or appointment."

इसके बजाय मैंने उसको साफ करने के लिए यह रखा था कि—

"Shall be reconstituted in the manner in which the superseded Panchayat or Tehsil Panchayat was constituted."

यदि माननीय मंत्रीजी की यह इच्छा है कि चुनी हुई पंचायतें चुने हुए तरीकों से कान्स्टिट्यूट करें तो उसको उस ढंग से स्वीकार करने में एतराज नहीं होना चाहिये था और न चश्मे का ही सवाल उठता। दूसरा जो प्रश्न है वह उतना आसान नहीं हो जाता है। उनको तो ताज्जुब यह हुआ कि हम कैसे सोच सकते हैं? जो गवर्नमेन्ट की निगाह में बेकार पंचायतें हैं वे ही डिजाल्व होंगी। मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि म्युनिसिपेलिटीज के सैंकडों ऐसे केसेज हैं और ऐसे भी केस हैं कि एक राजस्थान की सरकार ने एक म्युनिसिपेलिटी को डिजाल्व किया और उसके सभापति को डिस्क्वालिफाइ (disqualify) किया और राजस्थान की सरकार ने, या यों कहूं कि जब माननीय मंत्री जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको गलत करार दिया और उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर दिया। जोधपुर म्युनिसिपेलिटी की जीती जागती मिसाल हमारे सामने है। एक राजस्थान सरकार ने उसको डिजाल्व किया और जब दूसरी सरकार आई तो वह कहती है कि उसका अध्यक्ष बेकार था। जब राजस्थान सरकार स्वयं दो-दो नतीजों पर पहुंच सकती है तो यह क्यों नहीं समझा जाय कि दलबन्दी और पार्टीबाजी के कारण जिस तरह से म्युनिसिपेलिटियां डिजाल्व हुई हैं, सभापतियों को डिस्क्वालिफाइ किया गया है, उसी तरह से पंचायतों में भी यही होने वाला है? माननीय मंत्रीजी को ताज्जुब क्यों हो रहा है? अतः मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो शब्द मैंने अमेन्डमेन्ट में रखे हैं कि बेकार किसी भी पंचायत को डिजाल्व करने का हक नहीं होना चाहिये, वे स्वीकार कर लेंगे। जो शब्द मैंने रखे हैं वे अवश्य रहने चाहिये। कम से कम रिकॉन्स्टिट्युशन के बारे में तो यह अवश्य होना चाहिये कि ऑरिजिनल पंचायतें जिस तरह से बनी हैं उनको उसी तरह से रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—So I put this amendment to vote.

The question is that Amendment No. 76 (by Shri H. K. Vyas) to Clause 73 be accepted.

(अस्वीकृत)

Page No.44

[श्रीअध्यक्ष]

The amendment is defeated.

(विराम)

The Question is that Amendment No. 162 (by Shri Bhairon Singh) to Cluaso 73 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is defeated.

(विराम)

So the question is that Clause 73 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 73 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 74. No amendment.

(विराम)

So the question is that Clause 74 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The clause is added to the Bill.

(विराम)

Then we come to Clause 75. Motion moved.

(विराम)

Amendment No. 109 by Shri Haridutta.

(अनुपस्थित)

Amendment by Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में मेरा संशोधन इस प्रकार है।

Substitute the words "after proper consultations with the Tehsil Panchayat" after the word "initiative" in line four of sub clause (1)."

[श्री भैरूंसिंह]

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के द्वारा सरकार ने यह अधिकार अपने पास रक्खा है कि यदि कोई पंचायत या तहसील पंचायत इस किस्म का कोई कार्य कर रही है या इस किस्म की कोई आज्ञा प्रदान कर रही है या इस प्रकार का कोई रिजोल्यूशन पास कर रही है जिसमें आम जनता को खतरा है, आम जनता की शान्ति भंग होने का अन्देशा है तो ऐसी सूरत में यदि सरकार चाहे तो उस आदेश को कैंन्सिल (cancel) कर सकती है, उस रिजोल्यूशन को कैंसिल करवा सकती है।

इसमें मेरा छोटा सा संशोधन है कि यदि सरकार किसी पंचायत की किसी आज्ञा अथवा प्रस्ताव या नियम आदि के लिए यह समझती है कि वह ठीक नहीं है और उससे जनता की शान्ति को खतरा पैदा होने का अन्देशा है तो कम से कम इस आज्ञा, प्रस्ताव या नियम के विरुद्ध अपना कोई निर्णय लेने से पूर्व उस पंचायत के मुतल्लिक तहसील पंचायत से भी उसकी राय जान ले।

पंचायत के विषय में उसकी किसी प्रकार की आज्ञा, प्रस्ताव व नियमादि के विषय में तहसील पंचायत को कहीं ज्यादा मालूम हो सकता है और इस कारण पंचायत के उस नियम, प्रस्ताव व आज्ञा के संबंध में, जिसके बारे में सरकार का विरोध है, तहसील पंचायत से, कम से कम कोई इनिशियेटिव (initiative) लेने से पूर्व, राय जान ले तो ज्यादा ठीक हो सकेगा।

इसलिए यह संशोधन प्रस्तुत करके मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वे इस पर विचार करें और इसको स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—Yes, reply.

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि कोई भी एक्शन किसी काम के बारे में जब लिया जावेगा तो इससे यही मालूम होगा कि वह एक्शन (action) लेने की स्टेज आई है। जब यह मालूम होगा कि तहसील पंचायत या पंचायत कोई गलत कार्यवाही कर रही है तभी उस कार्यवाही को प्रोहिबिट (prohibit) किया जावेगा। अब रहा यह प्रश्न कि पंचायत या तहसील पंचायत कोई कार्यवाही गलत करे तो दोनों सूरतों में तहसील पंचायत से राय ले ली जाय। पर इससे होगा यह कि जितना समय राय जानने में लगेगा उतने समय में जो गलत कार्यवाही की जा चुकी है उसका असर उस क्षेत्र में पड सकता है और [illegible] में तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रोहिबिट (prohibit) में अधिक देर न लगे इस दृष्टि से तहसील पंचायत की राय लेना उपयुक्त नहीं होगा। [illegible] अगर वह प्रोहिबिट मान लीजिए थोडे समय के लिए कि, जल्दी में ले लिया गया [illegible] सही नहीं है, ऐसा किसी किसी मामले में हो भी सकता है तब भी इस बिल में यह प्रो[illegible] पंचायत और पंचायत दोनों इस प्रोहिबिशन के विरूद्ध रिप्रेजेन्ट कर [illegible] से अगर कभी कोई गलत प्रोहिबिट भी हो गया हो तो वह दुरुस्त कराया जा सकता [illegible] रिप्रेजेन्टेशन वाजिब होगा तो मान भी लिया जावेगा।

इसलिये मुझे यह प्रोविजन आवश्यक मालूम पडता है। इसमें कोई [illegible] नहीं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस पर विचार करके और [illegible] इस संशोधन को वापिस ले लें तो अच्छा हो।

श्री भेरूसिंह (दांता रामगढ)—I want to press it, Sir.

श्री अध्यक्ष—The question is that Amendment No. 163 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is defeated.

(विराम)

The question is that Clause 75 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The Clause is added to the Bill .

(विराम)

Clause 76. Motion moved.

(विराम)

The question is that Clause 76 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The Clause is added to the Bill.

(विराम)

Clause 77. Shri Hari Dutta.

(अनुपस्थित)

...करण जोशी—माननीय अध्यक्ष, में निवेदन कर दूं कि श्री हरिदत्तजी के जितने भी ...सील पंचायत को डिलीट करने के संबंध में हैं। पर चूंकि वह क्लाज त. पास हो चुका ...प्रेस करना नहीं चाहते इस बात को वे स्वीकार भी कर चुके हैं। वे अपने संशोधनों ...वापिस ले चुके हैं।

...यास—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

... (f) of this Clause"

... मिनटों पहले हमने सरकार को अधिकार देते हुए एक क्लाज ७३ पास किया ... ...कॉम्पीटेन्सी, डिफॉल्ट और एब्यूज ऑफ पावर (incompetency, ...er) के कारण किसी पंचायत को सुपरसीड कर सकती है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इन अधिकारों के अलावा सब क्लाज (३) के जरिये हमने ऐसा भी उसमें दर्ज किया है कि "within a period not exceeding two months" यह पंचायत फिर से रिकान्स्टिट्यूट की जावेगी।

अब इसके पांच सब क्लॉज द्वारा नये कारणों की वजह से और नये तरीके के अधिकार सरकार लेना चाहती है और इसमें जा रक्खा है रिकांस्टिट्युशन करने का मामला उसकी अवधि भी दो महीने से बढाकर ६ महीने कर दी गयी है। सब क्लाज (एफ) के जरिये यह अधिकार सरकार लेना चाहती है कि कोई पंचायत अगर अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति नहीं कर पावे अथवा वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे या और कोई इसी प्रकार के कारणों की वजह से सरकार वाजिब समझे तो उस पंचायत को डिजोल्व कर दे और डिजोल्यूशन के ६ महीने के भीतर भीतर फिर से रिकान्सटिट्यूट को जावे।

मुझे यह समझ में नहीं आया माननीय अध्यक्ष जी, कि एक ही प्रकार के कार्य के लिए दो दो अलग अलग जगह क्यों ये अधिकार लिये जावें। दो दो अलग अलग कारणों की वजह से अधिकार लिये जावें और जब कि दोनों कारणों का नतीजा एक ही होता है कि अगर वह पंचायत कार्य नहीं कर सकती तो दूसरी रिकान्सटिट्यूट की जावे। एक में केवल दो महीने की और दूसरे में ६ महीने की सीमा रक्खी गई है। आखिर इस प्रकार का फर्क क्यों ?

मेरा फिर से यह कहना है कि राजस्थान सरकार जब पंचायत का कानून बना रही है, जब चुने हुए लोग कानून के जरिये पंचायत का काम करने के लिए सामने आवेंगे तो इसके बाद भी हर कदम पर यह अधिकार क्यों सरकार द्वारा लिये जा रहे हैं कि हम जब चाहेंगे तब डिजोल्व कर देंगे, हम चाहेंगे तभी खत्म कर देंगे और दो महीने में वापिस उसका निर्णय करेंगे। इतना ही नहीं अभी अभी चार हो क्लॉज के बाद में कहने लग गये कि ६ महीने बाद निर्माण करेंगे। जिम्मेदार लोगों द्वारा जिम्मेदारी से यह कानून बनाया जा रहा है ? इसके बारे में तो मेरा साफ कहना है कि सरकार द्वारा दुरुपयोग अधिकारों का होगा। यह सरकार इन अधिकारों के जरिये कई पंचायतों के काम बन्द करेगी। इतना ही नहीं बल्कि चुनी हुई पंचायतों के एवज में दूसरी पंचायतों का नोमिनेट (nominate) करेगी। ये पंचायतें एक प्रकार से एड हॉक (ad hoc) कमेटियों की तरह बनाई जावेंगी जैसे जिला बोर्डों और म्युनिसिपलिटियों में सरकार द्वारा बनाई गई एडहॉक कमेटियां काम कर रही हैं। वैसे ही कल जाकर बिचारी इन पंचायतों की एवज में एड हॉक (ad hoc) पंचायतें बनेंगी जिसमें केवल उनकी पार्टी के ही नहीं बल्कि उनके विशेष कृपापात्र व्यक्तियों को, उनके इर्द गिर्द घिरे रहने वाले खुशामदियों का एड हॉक के नाम पर शासन करने का रास्ता खोलना चाहती है। यह स्वायत्त शासन नहीं है बल्कि एड हॉक शासन का अधिकार इस बिल द्वारा सरकार ले रही है। जिस प्रकार म्युनिसिपलिटीयों के सबंध में इस सरकार ने बार बार किया है, कई बार किया है, हाई कोर्टों ने बार बार उनके इन आदेशों को रद्द किया है, पर फिर भी सरकार ने लगातार नामजदगियां की हैं वैसे ही कल जाकर इन पंचायतों के सिलसिले में नौबत आवेगी।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसलिये मेरी प्रार्थना है सरकार से कि ये अधिकार सरकार को नहीं लेने चाहिये पर अगर सरकार इन्हें लेने के लिए आतुर है तो इस सदन से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये अधिकार सरकार को देने के लिए उसे तैयार नहीं होना चाहिये ।

इसीलिए मेरा यह संशोधन है ।

श्री **भैरू सिंह (दांता रामगढ़)**—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन भी उसी प्रकार का है जैसा कि श्री एच.के. व्यास ने सदन के समक्ष रखा है। अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज को देखने से मालूम होता है कि सरकार, जो दो महीने का अधिकार चुनाव वापिस कराने के लिए है उससे शायद सन्तुष्ट प्रतीत नहीं होती है सरकार देखती है कि अगर किसी पचायत के चुनाव दो महीने में नहीं कर पाये और जो ऐसा काम कर रही है जिसके कारण उसे डिजाल्व करना आवश्यक है तो उसके प्रति जनता की शिकायत है चीफ पंचायत ऑफिसर के पास और पंचायत इन्स्पेक्टर के पास कई प्रकार की शिकायतें आई हैं और सरकार समझती है कि जो पंच चुनकर आये हैं वे सारे के सारे किसी अन्य पार्टी के समर्थक हैं जिस पार्टी के माननीय मंत्री समर्थक नहीं है या जिस पार्टी की सरकार नहीं है तो ऐसी हालत में वह मुनासिब समझेगी कि इसको डिजाल्व कर दिया जाय और उसके पुनः चुनाव के लिए दो महीने का समय रखा गया है। उनमें से कई पचायतें ऐसी हो सकती हैं जिन पंचायतों के सदस्य जिस पंचायत क्षेत्र की जनता इस पार्टी का विरोध करने वाली हो और सरकार को यह पता चल जाय कि यदि इस पंचायत को डिजोल्व कर वापिस चुनाव कराये गये तो किसी विरोधी पार्टी की पंचायत बन जायगी तो ऐसी हालत में जैसा कि इस क्लॉज के पार्ट (एफ) में दिया गया है कि यदि पंचायतें पंचायत एक्ट के अनुसार काम अन्जाम नहीं दे रही हैं तो सरकार उसे डिजोल्व कर सकती है और उस पंचायत के डिजोल्व करने के बाद वहां के चुनाव छः महिने तक करवा सकती है। इसका मतलब यह है कि जिन पंचायतों से सरकार या सरकारी पार्टी को समर्थन होगा वहां तो दो महिने में ही चुनाव करा लिये जायेंगे और जिन पंचायतों से उनको आशा होगी कि यह हमारा विरोध करेगी वहां वह छः महिने के अन्दर चुनाव करायेगी। इस प्रकार एक ही कानून में दो प्रकार के क्लॉज रखना, दो प्रकार के अधिकार देना न तो कानून के लिए ही अच्छा है और न प्रजातंत्र के सिद्धान्त के अनुकूल ही है। यह मामूली चीज नहीं है। एक चीज के लिये दो जगह भिन्न भिन्न प्रकार से अधिकार दिये गये हैं यह कतई न्यायोचित नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस क्लॉज को डिलीट कर दिया जाय ।

श्री **रामकरण जोशी**—माननीय अध्यक्ष, माननीय भैरूसिंहजी ने श्री एच. के. व्यास के स्वर में अपना अमेन्डमेन्ट पेश किया है। जो क्लॉज ७३ का बारबार हवाला दिया गया है उसकी मन्शा ही दूसरी है। इस क्लॉज के मुताबिक यदि पंचायतों में कुछ खराबी पैदा होती नजर आयगी तो उसके लिए यह क्लॉज रखा गया है। यह क्लॉज उस क्लॉज से बिलकुल अलग क्लॉज है। इसके हैडिंग को अगर पढ़ लिया जाता तो माननीय सदस्य समझ सकते। जैसा कि इस क्लॉज के अन्दर बताया गया है इन्स्पेक्शन या इन्क्वायरी के जरिये इस तरह का काम करती हुई पाई जायगी, जो काम नहीं करना चाहिये तो पचायतों को डिजाल्व कर सकती है। जरूरत पड़ने पर इस प्रान्त में किसी क्षेत्र में, जो देश की सीमा

[श्री रामकरण जोशी]
पर हैं, विशेष परिस्थिति आने पर पंचायतों को डिजोल्व किया जा सकता है। अगर इन्क्वायरी या इन्स्पेक्शन के अन्दर उसका डिजोल्यूशन होता है तो उसके चुनाव छः महीने में हो जायेंगे। इसका तारतम्य ऊपर से आ रहा है। इसको देख लिया जाता तो यह शंका करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस लिये मेरा निवेदन है कि यह संशोधन अनावश्यक है। अतः माननीय मेम्बर अपने संशोधन वापिस लेलें, तो अच्छा है।

श्री **भैरू सिंह (दांता रामगढ़)**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह फरमाया कि क्लॉज ७३ के अन्दर जो अधिकार दिये गये हैं और क्लॉज ७७ में अधिकार है उनमें भिन्नता है। उनको देखा जाय तो मालूम होगा कि क्लॉज ७७ के अन्दर जो अधिकार है उनके लिये महज ७७ के ऊपर का सब-क्लॉज है। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर पंचायतें ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं, उनकी आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं तो वे पंचायत को डिजोल्व करेंगे। क्लॉज ७७ में सब क्लॉज (f) को देखा जाय तो इनमें बहुत अन्तर मालूम नहीं पड़ेगा। इसमें लिखा है:—

"to perform the duties imposed on it by the Act or any rule made thereunder, or if it abuses its power grossly or if in the opinion of the State Government there is any other reason of a like nature for the dissolution."

क्लॉज ७३ में भी लिखा है:

"If a Panchayat or a Tehsil Panchayat is not competent to perform or persistently makes default in the performance of, the duties imposed on it, by or under this Act or by or under any other law for the time being in force...."

तो इस क्लॉज की मन्शा के अनुसार कोई पंचायत जो पंचायत एक्ट द्वारा बने हुए कानून के अनुसार किसी प्रकार कार्य न करे तो उस पंचायत को सुपरसीड (supersede) किया जा सकता है और उन कानूनों की अवहेलना करती है तो उस पंचायत को डिजोल्व किया जा सकता है, मेरी समझ में कोई अन्तर नहीं। जबरदस्ती यह क्लॉज बनाया गया ताकि छः महिने का अधिकार सरकार को मिला रहे।

माननीय अध्यक्ष, जब एक पंचायत का चुनाव जिसको डिजोल्व कर दिया गया है, यदि दो महीने में हो सकता है तो क्या कारण है कि दूसरी पंचायत का चुनाव छः महीने में कराया जाय। यह जो छः महीने की अवधि रखी गई है वह न्यायोचित नहीं है। इसलिये मेरा जो संशोधन इस क्लॉज को डिलीट करने का है माननीय सदस्य उसका समर्थन करेंगे।

श्री **एच. के. व्यास**—माननीय अध्यक्ष, मेरा दरअसल बोलने का इरादा नहीं था। माननीय मंत्री जी को जवाब देना आवश्यक था वह तो श्री भैरूसिंह जी ने दे दिया है। मैं सिर्फ एक नयी बात जो माननीय मंत्री ने कही है, जो बात मेरी समझ में नहीं आई, जैसा कि आपने कहा कि देश के सीमा क्षेत्र पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, मुझे पता नहीं कोई दूसरे देश की सीमा पर हमारा क्षे[illegible] पड़ता है, उस समय हमले की परिस्थिति पैदा हो जाय तो ऐसी परिस्थिति होने पर पंचायतों को [illegible]

Page No.50

[श्री एच. के. व्यास]

करने के बजाय लोगों को ज्यादा अधिकार देने पड़ेंगे। यहां तक भी नौबत आ सकती है कि वहां के लोगों को हथियार भी देने पड़ेंगे ऐसे मौके पर पंचायतों को डिजोल्व करने की सफाई देना, कोई जस्टिफिकेशन (justification) नहीं होगा। बेकार अपनी बात को रगड़ने के लिए वे यह क्लॉज रखना चाहते हैं। रखें वे, अपने वोटों के आधार पर-रखें-लेकिन जब कभी इतिहास में जब यह वरडिक्ट (verdict) होगा तो पता चलेगा कि सरकार ने प्रजातन्त्र के खिलाफ ऐसा क्लॉज रखकर अपने अधिकार बढ़ाये हैं। इतिहास में यह वरडिक्ट (verdict) लिखा जायगा कि यह गलत तरीका अपनाया गया है।

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब जनता को अधिकार और हथियार देने की बात कही गई। इसके साथ साथ यह नहीं कहा कि सरकार इतने बडे एरिया को Military एरिया घोषित कर सकती है; यह बात तो मैंने आपको जानकारी के लिये कही है।

दूसरी बात इतिहास के शब्दों की कही। मुझे ऐसी उम्मीद है कि कहीं भी इतिहास में यह नहीं बतला सकेंगे कि सामन्ती जमाने में जनता को इस प्रकार के जो अधिकार नहीं थे जिन्हें मौजूदा सरकार ने दिये हैं और मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र कोई भी शब्द इतिहास में नहीं बता सकेंगे।

श्री एच, के. व्यास—मैंने इस क्लाज के बारे में कहा है।

श्री अध्यक्ष—The question is that Amendment Nos. 77 and 164 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendments are lost

(विराम)

So the question is that Clause 77 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The Clause is added to the Bill.

CHAPTER VII—MISCELLANEOUS.

Clause No. 78 Amendment No. 165 by Mr. Bhagwan Singh Tarangi.

(अनुपस्थित)

So the question is that Clause 78 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The Clause is added to the Bill.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Clause No. 78 by Shri Tarangi, Amendment No. 165.

(अनुपस्थित)

So the question is that clause 78 stand part of the Bill

(स्वीकृत)

The Clause is added to the Bill.

(विराम)

Clause 79. Motion moved Shri Hari Da ta.

(अनुपस्थित)

So the question is that clause 79 stand Dart of the Bill

(स्वीकृत)

The Clause is added to the Bill.

(विराम)

Clause 80. Motion moved.

(विराम)

The question is that Clause 80 stand part of the Bill

(स्वीकृत)

Clause 80 is added to the Bill.

(विराम)

• Clause 81. There are two amendments by Shri Hari Dutta. But since he is not present these amendments are dropped.

(विराम)

Shri Bhairon Singh to move his amendment.

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

"Insert the words 'a minor below the age of eighteen and such person who is physically and mentally unfit to represent his case personally' in line three after the word 'woman' in the proviso."

[श्री भैरूंसिंह]

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज द्वारा सरकार ने एक अच्छी नीति अपनाई है और मैं सरकार की इस नीति की अवश्य प्रशंसा करूंगा। लेकिन आजकल समाज में नैतिक पतन होने के कारण वकील लोग अपने कर्त्तव्यों को ठीक तरह से नहीं निभाते और वकील लोग झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा बनाने में कामयाब होते हैं और इसी कारण पब्लिक से रुपया पैदा करते हैं।

श्री अध्यक्ष—I hope this is not a case *exparte* against the lawyers.

श्री भैरूंसिंह—पंचायतों में जनता पंचों से यह आशा रखती है कि वे ऐसे लोगों को मौका न दें जो सच को झूठ और झूठ को सच करते हैं और मामले को ठीक तरह से. . .

श्री अध्यक्ष—You are supporting the motion of the clause or moving your amendment ?

श्री भैरूंसिंह—मैं भूमिका बांध रहा हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इन लोगों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि वकील लोग पंचायतों में न जावें। यह तो ठीक है लेकिन मैं उन लोगों की तरफ से वकालत करता हुआ आपसे निवेदन करूंगा कि जो लोग अपंग, लूले-लंगडे या ऐसे लोग जो चल-फिर नहीं सकते, जो अपना मामला पंचायतों में या तहसील पंचायतों में रख नहीं सकते, उन लोगों को अपने रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपने केसेज को ठीक तरह से पंचायत या तहसील पंचायत के सामने पेश करने का अधिकार होना चाहिये और यदि इन लोगों को इजाजत नहीं दी गई तो उनकी अदम मौजूदगी में या अन्य प्रकार से तहसील पंचायत या पंचायत में सुनवाई हुई तो जो राहत उनको सरकार देना चाहती है वह पूरी तरह से नहीं मिल सकेगी और उनका इन्साफ नहीं होगा और इस कानूनी गलती के कारण उन लोगों को बहुत नुक्सान होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि माननीय मंत्रीजी यह कहेंगे कि हमने इसमें प्रोविजन रखा है कि. "Provided that any party on reasonable cause being shown and a woman." यह सारी की सारी चीज इसके द्वारा कवर होती है। लेकिन मैं बताऊंगा कि यह सारी चीज इससे कवर नहीं होती और इसीलिये मैंने यह एमेन्डमेन्ट पेश किया है —

"Minor below the age of eighteen and such person who is physically and mentally unfit."

माइनर के लिये या Physically unfit के लिये रिप्रेजेन्ट करने के लिये उनको नुकसान से बचाने के लिये यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको मंजूर करके जनता की सेवा ही करेंगे।

श्री अध्यक्ष—You are not pleading your own cause, I believe.

(हंसी)

श्री भैरूंसिंह—मैंने तो अपने कॉज (Cause) को ठीक तरह से रखा है।

श्री अध्यक्ष—श्री खेतसिंह। (अनुपस्थित)

Page No.53

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले जो शब्द मेरे मित्र ने वकीलों के प्रति कहे हैं मैं समझता हूँ कि वे उपयुक्त नहीं हैं और वकीलों के खिलाफ उनको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिये थे।

श्री अध्यक्ष--It was obiter dicta.

श्री गोपीलाल यादव--मैं यह मान कर चलता हूं और यह सही है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन्साफ का गार्जियन (guardian) है तो वह है वकील। हो सकता है उसमें कोई खराब आदमी भी हो। पंचायतों में भी खराब आदमी हो सकते हैं, पार्टीबाजी, दलबन्दी होती है। उसका मतलब यह तो नहीं होता कि दलबन्दी के कारण पंचायतें तोड दी जावें। वे नहीं तोडी जाती हैं, बुरे आदमियों के कारण कोई पेशा खत्म नहीं हो सकता। इसलिये इस क्लॉज में लीगल प्रेक्टिशनर को हर जगह से बार किया है, यह तो मैं समझता हूं वाजिब नहीं है। यदि आप ओरिजिनल ड्राफ्ट को देखें, जो सही था तो उसमें यह लिखा हुआ था कि वकील लोग पंचायतों में नहीं जावें क्योंकि पंचायत में बगैर पढ़े लिखे लोग होते हैं, यदि वहां पर वकील इन्साफ में मदद करने के लिये जावें तो बजाय मदद के इन्साफ में बाधा होगी। मुमकिन है दूसरी पार्टी के पास कोई वकील न हो और गांवों में मिलते भी नहीं हैं इसलिये जहां तक यह बात कानून में रखी गई कि पंचायत के सामने या तहसील पंचायत में वकील न जावें वहां तक तो कोई एतराज नहीं है लेकिन सेशन कोर्ट में भी वकील न जावें, यह ठीक नहीं। इसमें लिखा है "In any proceedings under this Act." इससे जो केस सेशन कोर्ट में जाने वाले हैं उसमें भी वकील नहीं जा सकेंगे, यह बात भी शामिल आती है। पंचायतों में तो सरकार ने इसलिये वकीलों को जाने की इजाजत नहीं दी कि पंच पढ़े लिखे नहीं होते और आसानी से मिसगाइड (mis-guide) किये जा सकते हैं। मगर सेशन जज तो पंचों की तरह अनपढ़ नहीं होते। जब उनके सामने रोज बड़े बड़े वकील जाते हैं और उनका दर्जा हाई कोर्ट से दूसरा दर्जा है तो उनको मिसगाइड (mis-guide) करना कदापि संभव नहीं हो सकता। इसके अलावा यह हरएक आदमी का अधिकार है कि वह अपना डिफेन्स किसी वकील से करावे। वकील चाहे पंचायतों में नहीं जावें लेकिन कम से कम उनको सेशन्स में तो जाने का मौका होना चाहिये।

मान लिया कि एक आदमी पर पंचायत ने ५०) रुपया जुर्माना किया और वह आदमी समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वह अगर अपील करना चाहता है तो वह सेशन जज के सामने अपने केस को ठीक तरह से नहीं रख सकता जब तक कि उसे अच्छा वकील नहीं मिले। तो मैं समझता हूं कि पंचायतों में वकील को जाने से जो रोक लगादी गई है यह तो ठीक है क्यों कि जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा वकील योग्यता वाले होते हैं और पंचायतों के भोले भाले पंचों को उल्टी-सीधी सिखा सकते हैं, पर सेशन्स कोर्ट में जाकर कोई भी वकील धोखा नहीं दे सकता।

दूसरी बात यह है कि वकीलों का काम धोखा देने का नहीं है बल्कि उनका काम इन्साफ दिलाने का है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जाय क्योंकि बहुत से हार्ड केसेज आयेंगे जिनकी बाबत लोग अपनी बात को ठीक तरह से नहीं रख सकेंगे। इस तरह की कठिनाई

[श्री गोपीलाल यादव]

हमें रोजाना महसूस होती है और कई हार्ड केसेज में हम लोगों को बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हमारे क्लाइन्ट्स (clients) अपने केस को हमें अच्छी तरह नहीं समझा सकते, अपनी बात को ठीक तरह से नहीं रख सकते, कई तरह के क्वेश्चन्स पुट-अप (Questions put up) करके बड़ी जिरह करने के बाद हमें उनके केस की असलियत मालूम होती है। इसलिये मेरी अर्ज है कि पंचायतों तक ही वकील को हटाइये सेशन्स कोर्ट से मत हटाइये। मुझे आशा है कि आप मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—What is the original. You read it out.

श्री गोपीलाल यादव—ओरीजिनल में यह वर्ड्स हैं :—

"No legal practitioner shall be allowed to appear on behalf of any party in any proceedings under this Act before a Panchayat."

इसमें "Before a Panchayat" includes a Tehsil Panchayat as well as a Village Panchayat.

तो इनमें कोई हेर फेर नहीं होगा। सिलेक्ट कमेटी ने यह किया है कि "before a panchayat" को हटा दिया जाय और यह रख दिया जाय "In any proceedings under this Act." यह होने से जो सेशन्स कोर्ट में जाने वाले हैं वे भी आ गये। इसलिए जैसा कि पहले है "before a Panchayat" यही रहना चाहिये।

श्री हरिदत्त—इस क्लॉज पर मैं भी दो शब्द अर्ज करना चाहता हूं कि एक अमेन्डमेन्ट जो पेश किया गया था कि "Should not be allowed." तरमीम के साथ मंजूर कर लिया गया था।

श्री रामकरण जोशी—हां, मंजूर किया था।

श्री हरिदत्त—यादवजी ने वकीलों की व्याख्या करते हुए इस दोष का निवारण किया है कि वकील पंचायतों को धोखा देंगे : वकील का मतलब ही तवक्कुल से निकलता है जिसका मतलब है भरोसा करना, यकीन करना। इसके अब अर्थ ऐसी सूरत में रहनुमाए दुनियां किये जाते हैं उस पर यह आपत्ति उठाना कि पंचायतों में नहीं जाय यह ठीक नहीं है। अगर मान भी लिया जाय कि पंचायतों के सीधे,सादे पंचों को वकील लोग मुगालता देदें तो कम से कम यह तो नहीं होना चाहिये कि सेशन्स कोर्ट में उन्हें नहीं जाने दिया जाय। यह तो कम से कम होना चाहिये कि वे सेशन्स कोर्ट में भी जावें तो जा सकते हैं।

श्री एच. के. व्यास—माननीय अध्यक्ष, उस दिन इन्फॉरमल (informal) मीटिंग हुई थी उस दिन भी इस बारे में बड़ा मतभेद रहा था ....

श्री अध्यक्ष—I do not want that any controversy should be raised here.

श्री एच के व्यास—I do not want to start it either.

(विराम)

[श्री एच. के. व्यास]

मेरा खयाल है कि यह क्लॉज जैसा अमेंडेड है वैसा ही रहना चाहिये। वकीलों की अच्छाई या बुराई के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा और न इस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही है। देखा जाय तो पंचायत एक्ट, विशेष प्रकार का काम कराने की मंशा से ही पास कर रहे हैं। पंचायतों में पंच बिल्कुल बारीकी से, बारीक लोगों तरीकों से काम करेंगे, यह बात नहीं है। उसमें प्रोसीजर में कम-ज्यादा करने की गुंजायश रखी है। इक्विटी (equity) के प्रोसीजर पर पंचायत कानून के मातहत प्रोसीडिंग्स चलें इसीलिए वकीलों को पंचायतों में जाने से रोक रहे हैं। सेशन्स में तो वकीलों को जाने देने से और बड़ी भारी दिक्कत होगी क्योंकि पंचायत में तो जब उस केस की बारीकियों में नहीं गये और न वहां ज्यादा कानूनी बारीकियों में जाने की आवश्यकता ही रही तो ऐसी सूरत में सेशन कोर्ट में वकील जायंगे तो उन तमाम बारीकियों में जायंगे और कहेंगे कि यह खामी रह गई, वह खामी रह गई और इससे सारी गड़बड़ी हो जायगी। आधा काम पंचायतों के नजरिये से होगा और आधा काम होगा रूटिन के नजरिये से। गांव में ऐसे वाले आदमी भी रहते हैं जो टैक्निकल चीजों के आधार पर हर बार सेशन कोर्ट में अपील लेंगे और वकीलों की मदद से ग्राम पंचायतों को अनावश्यक लिटिगेशन (litigation) में उलझा देंगे।

इसलिए मैं वकीलों की काबलियत में या उनकी अच्छाई-बुराई में जा-बेजा राय नहीं रखते हुए भी यह अर्ज करूंगा कि जैसा कि हमारा इरादा है कि इक्विटी के नजरिये से यह फैसले होने चाहिये, उसके लिहाज से जैसा क्लॉज सिलेक्ट कमेटी ने तब्दील करके देखा है, वैसा ही रहना चाहिये।

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—वकीलों को भी कुछ मौका दिया जाय।

श्री **तेजमल बापना**—अध्यक्ष महोदय, १६ मार्च की मीटिंग में माननीय मंत्री महोदय ने उन सदस्यों को बुलाया था जिन्होंने अमेंडमेंट मूव किये थे। मैं भी उस मीटिंग में शरीक था। इस क्लॉज पर भी बहस चली थी और काफी बहस चली थी। वास्तव में सबसे पहिला तो श्री भैरूंसिंहजी ने वकील लोगों के ऊपर जो आक्षेप किया है उनका तो मैं घोर विरोध करता हूं कि दर असल उन्होंने वकीलों को पहिचाना नहीं है, किसी संगीन जुर्म से उनका पाला पड़ता तो (हंसी) मालूम होता कि वकील लोग कितनी मदद करने वाले होते हैं।

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**—वकील लोग पैसे लेकर मदद करते हैं।

श्री **तेजमल बापना**—यह वकीलों का ही काम था कि भारतवर्ष आजादी प्राप्त कर सका है। इन वकीलों के बूते पर ही हम लोग आज यहां पर एकत्रित हो रहे हैं।

श्री **एच. के. व्यास**—वकील लोगों ने आजादी प्राप्त नहीं की बल्कि आजादी का सबसे ज्यादा फायदा वकीलों ने उठाया है।

श्री **तेजमल बापना**—वकील लोग दिमाग रखते हैं। उसी के आधार पर वकालत का फायदा उठाते हैं। कमाने का काम तो वह पहिले भी करते थे।

[श्री तेजमल बापना]

(१० बज कर १५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

जैसा कि श्री गोपीलालजी यादव ने बताया कि पंचायतों तक ही वकीलों को रोका जाना चाहिये और सेशन्स कोर्ट में जो रिविजन एप्लीकेशन्स पेश होती हैं, उनमें बहुत से कानूनी नुक्स पैदा होते हैं और उन कानूनी नुक्सों को यदि किसी कानूनी पंडित के जरिये से स्कुटिनाइज (scrutinise) किया जाय तो न्याय की जो विशेषताएँ पाई जाती हैं वे मिल सकेंगी। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि दरअसल में पंचायत की प्रोसिडिंग्ज (proceedings) चाहे वे सेशन्स कोर्ट तक ही क्यों न जायं वकीलों से बचाई जानी चाहिये। लेकिन यह चीज उचित नहीं होगी। जिस समय इस क्लॉज पर बहस हो रही थी, इन्डस्ट्रियल अपेलेट ट्रिब्युनल (industrial appellate tribunal) के ऊपर चर्चा चली थी और तब यह तय हुआ था कि ट्रिब्युनल में भी वकीलों को जाने दिया जाता है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—यदि कोर्ट इजाजत दे तो।

श्री **तेजमल बापना**—कोर्ट इजाजत दे, वह अलग चीज है। सेशन्स कोर्ट के लिये किसी इजाजत की जरूरत नहीं रहनी चाहिये। इससे पंचायत बिल की मंशा पूरी हो जाती है कि पंचायत के सामने वकीलों को नहीं जाना चाहिये लेकिन सेशन्स में वकीलों के जाने पर रोक नहीं लगनी चाहिये। वहां पर मंत्रीजी ने भी यह बात मंजूर की थी।

श्री **मथुरादास माथुर**—I do not want to speak on the merits of this case so far as the question of the permission......

श्री **अध्यक्ष**—Are you also for the lawyers ?

श्री **मथुरादास माथुर**—I am neither for the lawyers nor against them. I simply want to place one legal point for the consideration of the Members. This Act is competent to debar a legal practitioner from appearing before a Panchayat. But is this Act competent enough to debar a legal practitioner from appearing before a Sessions Court or in any Court under the High Court ? There is already a law under the Bar Counsel Act under which any legal practitioner is competent to appear in any Court under, or in, the High Court. Therefore any legal practitioner can go and appear in any Court whose jurisdiction lies under the High Court. For example, he can go and appear before a Sessions Court, before a Court of the First Class Magistrate or any other Court whose jurisdiction lies under the High Court. That is the position under the Supreme Court also.

I am, therefore, very doubtful whether any particular law of this nature which we are going to enact is competent enough to debar a legal practitioner from appearing in any Court which is now, as a matter of fact, working under the High Court. I think this point should also be considered before we pass this clause.

Page No.57

[श्री मथुरादास माथुर]

The second point is that revision powers have been given to the Sessions Court. Such powers are always allowed in matters of procedure and also in matters of legal importance. I doubt very much whether, with due respect to the House, it is within the competence of this House to debar legal proceedings beyond the Sessions Court. If that were so, legal quibblings shall appear by barring legal practitioners who may fix their successors in helping the villagers beyond the Sessions Courts level.

I would mention that when revision lies before a Sessions Court the revision is always permissible and admissible beyond the Sessions Court in matters of legal importance. Well, whether the poor villagers of whom we have been talking so high will be able to argue technical and legal quibblings before even a Sessions Court, I am very much doubtful. I can understand the House deciding that no revision will lie before a Sessions Court, you can say that thing; you are competent to say so. There is one Panchayat which decides a case. There is another Panchayat which will be empowered to revise the decisions of the smaller Panchayat and this should be the last word. So one thing we can say that no appeal shall lie to the decisions of the Tehsil Panchayat before a Sessions Court, that no Sessions Court shall be allowed to interfere in the sacred decisions of the villagers and I can agree to it. I cannot understand that as soon as you permit a Sessions Court to interfere in the decisions of the Panchayats, how can you debar a higher Court to interfere in the decisions of the Sessions Court? As soon as ; the Sessions Courts are allowed to interfere, the jurisdiction of the High Court also comes in and it can take up revision application. As soon as you give jurisdiction to Sessions Courts, then you give jurisdiction to High Court and the earlier decisions will become infructuous.

I, therefore, humbly submit that the Advocate-General may be asked to give his opinion in this matter. He will able to explain the legal implications of this clause.

I think immediately this Bill is converted into an Act, people will go and have it declared as an ultra vires law by the High Court. The provisions of the Constitution are also very clear, Sir. . . .

(विद्युत प्रकाश अदृश्य)

श्री एच. के. व्यास—On a point of order, Sir, is this the specimen of the efficiency of the Electric Department about which the Members on the Treasury Benches are so eloquent ?

श्री **मथुरादास माथुर**—I do not know whether it is a sabotage of the Communists?

I do not want to brief the legal practitioners who are now in the House, but I want to place these points that if any section......

पुनः प्रकाश

श्री **एच. के. व्यास**—There is not the least sabotage on the part of the poor Communists.

श्री **मथुरादास माथुर**–According to the Constitution, Sir, if we afrme any law which takes away or interferes with the powers of the High Court, such a law becomes void. I submit, Sir, that this is a clause which definitely interferes with the powers of the High Court so far as the administration of justice is concerned.

I submit, Sir, that these two points of law should be very carefully considered. Firstly, as to whether we are competent to take away the rights of the legal practitioners to appear in the High Court or any Court under the High Court, and secondly, whether we are competent to define or restrict the powers of the High Court in the matters of administration of justice.

These are points which, if the Advocate-General throws some light, may help the Members in coming to a decision before we pass this clause.

श्री **मानसिंह महाः (जमवा रामगढ़)**—उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने एक ऐसा पॉइन्ट आगया है जिससे हमें मालूम हुआ है कि वकालत की बू जो हाई कोर्ट और अदालतों में थी वह यहां पर इस सदन में भी उतनी ही डिग्री में मौजूद है। अपने वकील दोस्त को अन्त में मैं यह कहूंगा कि उनको सेशन्स कोर्ट में जाने की इजाजत दी जाय। वे ज्यादा घबरावें नहीं। इससे पहिले कि मैं यह बात कहूं मेरे दोस्तों ने जो बात कही है उसके बारे में कुछ अवश्य कहना चाहता हूं।

यह बड़ा ही अहम मामला है और सबसे पहिले जिस चीज को मेरे मित्र, जिन्होंने कि अमेंडमेन्ट मूव किया था, शुरू किया उन्होंने यह कहा कि वकील लोग सच को झूठ और झूठ को सच बता देते हैं। मैं सदन को बता देना चाहता हूं और इन वकील दोस्तों से भी कह देना चाहता हूँ कि वे अपने पेशे के फेर में लम्बी-लम्बी बातें कहते हैं। मैं उनको यह कहूंगा कि वे अपनी छाती पर हाथ रख कर सोचें।

श्री **गोपीलाल यादव**—ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर। मैंने एक वर्ड भी पेशे के लिए नहीं कहा। We are here as legislators and not as Advocates.

श्री **मानसिंह (जमवा रामगढ़)**—यह निर्णय हो जायगा। एक सदस्य ने लम्बा चौड़ा भाषण जैसे कि वे कोर्ट में बहस कर रहे हों, दिया और शायद मेरे मित्र ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया हो। उन्होंने जो कुछ कहा उससे साफ झलक रहा था कि वे वकीलाना ढंग से बहस कर रहे हैं, न कि

[मानसिंह]

लेजिस्लेटर के ढंग से । मुझे इस चीज में बोलने का ज्यादा हक रहता है क्योंकि मैंने लॉ के लैक्चर्स अटैन्ड (attend) किये हैं और यह होते हुए भी मैं वकील नहीं हूं (हंसी) और जो सदन में सदस्य बोले हैं उनसे ज्यादा हक रखता हूं क्योंकि कुछ लोग, वकील लोग बोले हैं और वे वकालत को सपोर्ट (support) करेंगे और जो दूसरे लोग बोले हैं वे इतनी ज्यादा लॉ की नोलेज (knowledge) नहीं रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि (हंसी) (श्री उपाध्यक्ष द्वारा घंटी बजाई गई) सेशन्स कोर्ट में ये पहुंच सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ (brief) में यह कहूंगा कि वकीलों में जितनी कमियां हैं वे पंचायतों के फैसलों में रहेंगी । इन चीजों को देखते हुए यह जरूर करना चाहिये कि सेशन कोर्ट के अन्दर वकीलों को पैरवी करने की इजाजत जरूर हो। जो बाहर के लोग जाते हैं वे सेशन्स के अन्दर बोल नहीं सकते। जब वे बोल ही नहीं सकते हैं तो अपने केस क्या रिप्रिजेन्ट कर सकेंगे ? मंत्री महोदय, ने जो आदर्श रखा है यदि वे इसे आदर्श के रूप में रखते तो अच्छा होता। प्रेक्टिस के लिहाज से गरीबों के लिए बड़ी दिक्कत हो जायगी। मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वे अपने विचारों को रिकन्सीडर (reconsider) करें और इसको सपोर्ट करें। उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें वकीलों से टक्कर लेनी पड़ेगी, उनको ये कन्सीड (concede) करा देंगे। हाईकोर्ट में रिट हो जायगा, बिल पड़ा रह जायगा। यदि वे इस बिल को जल्दी ही पास कराना चाहते हैं तो मिनिस्टर महोदय को जल्दी ही कन्सीड (concede) कर देना चाहिये। मेरी सदन से यही राय है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Lawyers have always been successors behind them.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक वकीलों के सेशन्स कोर्ट में एपियर होने का प्रश्न है उस सम्बन्ध में हमारे साथी वकील मित्रों ने कहा कि हम यहां वकीलों के रूप में नहीं हैं किन्तु लेजिस्लेटर्स के रूप में हैं और हमने उसी रूप में उन भावनाओं को व्यक्त किया है जो किसी हद तक प्रेक्टिकल मानते हैं। वास्तव में रिविजन्स को एडमिट (admit) करते वक्त यह कठिनाई आ सकती है और इस कठिनाई के बावजूद इसकी धारा ८१ में जो प्रोविजन रखा गया है और वह यह है कि —

"On reasonable cause being shown and a woman shall be permitted to employ any relation, dependent or friend, who is not, and who has not been previously, a legal practitioner, to appear either jointly or in lieu of such party."

तो कुछ मुझे यह लगता है कि इस इनेक्टमैन्ट को सामने लाते समय खास तौर पर वकीलों से पंचायत के और उनके मामलात शील्ड (shield) किये गए हैं। यह एक कटु सत्य है कि हमारे वकीलों की कौम एक बहुत ही चतुर कौम है। जहां तक इन्टलीजेन्शिया (intelligentia) का प्रश्न है हम क्रीम ओफ दी सोसाइटी (cream of the society) माने जाते हैं (हंसी) और यह भी सत्य है कि लॉ के इम्प्लीकेशन्स (implications) के कारण नेचुरल जस्टिस में और लीगल जस्टिस (legal justice) में जो फर्क है वह जुरिस्प्रुडेन्स (jurisprudence) में प्रोवाइड किया हुआ है कि लीगल जस्टिस के मुकाबले में नेचुरल जस्टिस को कोई स्थान नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि मेरा बहैसियत वकील १३ वर्षों का अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वास्तव

[श्री श्रीदास गोयल]

में बातों में सफेद हाथी को हम काला घोड़ा तक बना देते हैं। इस सत्य को हम छिपा नहीं सकते। गरीब पंचायतदार के सामने भोले भाले व्यक्ति के लिये इस एक्ट में जो प्रोवाइड किया हुआ है उस पर आधारित न रह कर और जरियों से मामलों की असलियत मालूम कर सकते हैं और उनके जरिये से निर्णय दे सकते हैं। इसके साथ साथ दफा ५० में जो प्रोवाइड किया गया है उस हिसाब और उस हद तक क्रिमिनलप्रोसिजर कोड, एविडेन्स एक्ट आदि अन्य कानून जो हैं वे भी इस एक्ट में प्रोवाइड किये गये हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक तहसील पंचायत का सवाल है वहां भी जस्टिस इस मंशा से रखा गया है कि साधारण मामले भी उन पंचायतों में सुलझते जावेंगे। इस एक्ट का ध्येय यही रक्खा गया है कि पब्लिक को राहत मिले, नेचुरल जस्टिस मिले। इसमें गांव के लोग होंगे, पंचायती राज्य होगा; इसमें यही भावना है। अगर वकील को सेशन कोर्ट में जाने की आज्ञा दे दी जाती है तो ज्यादातर मामले जो प्रोसिजरल मिस्टेक (Procedural mistake) के कारण तय हो सकते हैं, नहीं होंगे और निश्चयपूर्वक माने जावेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल की मंशा पब्लिक को राहत देने की है किन्तु कानूनन यह दूर हो जायगी और दूसरी बातें आती रहेंगी। मैं यह निवेदन करूंगा,(with all due respects to the legal practitioners,) कि यह चीज अल्ट्रावायर्स होगी, यह कोन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी होगी। यदि स्पेशियल इनेक्टमेन्ट जनरल लॉ होता है वह ओवरराइड (override) हो जाता है, सबस्टेन्शियल लॉ (substantial law) बन जाता है। अगर हम यह प्रोविजो रखते हैं तो वकील साहबानों को कोई तकलीफ सेशनकोर्ट में जाने की नहीं होगी। कोन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं होगा और अल्ट्रावायर्स (ultra vires) भी नहीं होगा। पंचायत के जो निर्णय हैं वे तहसील पंचायत में जावेंगे और वहां से डिवीजनल कोर्ट्स में। किसी हिम्मत वाले मित्र को, जैसा कि एक सदस्य ने कहा था कि यदि ये मामले सेशन कोर्ट में जावेंगे तो, सौंप दिये जावेंगे और वे वहां से निकलवाएंगे। गरीब लोगों को इससे राहत मिलेगी। मेरे खयाल से इसीलिये यह प्रोविजन रखा गया है। जो बाल की खाल निकालने में ज्यादा प्रवीण न हों उनके द्वारा वे निर्णय करा सकते हैं। जब इस एक्ट में यह चीज निकल सकती है तो फिर इन्टरफिअरेन्स (interference) की गुंजाइश नहीं रखना उचित रहेगा।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज पर काफी से ज्यादा बहस हो चुकी है। इस क्लॉज की मंशा सिर्फ यह है कि जो प्राकृतिक न्याय है उस न्याय को प्राकृतिक ही रहने दिया जाय।

चतुराई बड़ी अच्छी चीज है लेकिन चतुराई उस जगह अच्छी रहती है या नहीं रहती है इसमें मुझे शंका है, जहां चतुराई से न्याय बदला जाता हो और इस खयाल को मद्देनजर रखते हुए इस धारा का समावेश किया गया है।

पहले इसमें "before a Panchayat" शब्द था लेकिन सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद ये शब्द हटा दिये गये।

पहले इस कानून में रिवीजन (revision) की गुंजाइश नहीं थी जिससे कि सेशन कोर्ट में इसके मुकद्दमे जाते। इसलिए पंचायत के सामने ही मुकद्दमे थे और पंचायत में कहीं पर भी वकील हाजिर नहीं हो सकता था पर अब चूंकि यह सिलेक्ट कमेटी ने जरूरी

[श्री रामकरण जोशी]

समझा कि रिवीजन के लिए एक मौका ऐसे न्यायालय में होना चाहिए जहां तहसील पंचायत अपने फैसले में कोई ऐसी गलती कर जावे जो कि नहीं करनी चाहिये तो बडा न्यायालय उसको देखकर दुरुस्त कर सके। तो यह भी जरूरत महसूस हुई कि जो फैसला बिना चतुर वक्ताओं की राय के दिया गया हो उस फैसले में आगे की स्टेज में जाकर रिवीजन के वक्त भी चतुर वक्ताओं को इसमें नहीं पड़ना चाहिये, उस न्यायालय में नहीं पहुंचना चाहिये र न किसी की ओर से खड़ा होना चाहिए।

इसकी वजह यह है कि वाक्-चातुर्य एक अच्छा गुण है' उसकी बुराई कोई नहीं कर सकता और इससे भी किसी का मतभेद नहीं होना चाहिये कि वकील लोग सोसाइटी की क्रीम हैं' इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। पर में यह आपसे निवेदन करदूं कि यह पंचायत बिल इस सोसाइटी की क्रीम के लिए नहीं, उन देहातों में रहने वाले ग्रामीणों के लिये समाज की उस छाछ के लिए बनाया गया है। इसलिये क्रीम को क्रीम की ही जगह उपयोग में लाना चाहिये।

में निहायत अदब के साथ वकील साहाबानों से निवेदन करना चाहता हू कि इस धारा ने तो उनकी शान को बढाया ही है। पेट्टी मुकद्दमे पेट्टी कोर्टस (petty courts) जिसके जज' अभी जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे तो निरक्षर भट्टा चार्य हैं तो उन निरक्षर भट्टाचार्यों की कोर्ट उनकी कार्यवाहियों में ऐसे चतुर पढ़े लिखे और भद्र व्यक्तियों को वहां जाकर खडा होना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। यह उनकी शान के खिलाफ होगा। इसलिये उनकी इस प्रतिष्ठा जिस प्रतिष्ठा से वे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्टो में जाकर खड़े होते हैं, को बचाने के लिये और समाज की इस क्रीम की शान को अक्षुण्ण रखने के लिये ही यह धारा इस बिल में सन्निहित की गई।

इसमें एक बात और है। इसमें समाज की इस क्रीम की शान के खिलाफ एक जगह कुछ शब्द आ गये थे। मैंने इसको महसूस किया जब कि इस ओर मेरा ध्यान खींचा गया और मैंने उसको मंजूर कर लिया कि ये "shall be allowed to" शब्द नहीं रहने चाहिये। इतने शानदार आदमियों को अलाउ (allow) करने की हिम्मत कौन कर सकता है? इस धारा के इन शब्द "No legal practitioner shall be allowed to appear on behalf of any party in any proceedings under this Act." में यह "shall be allowed." शब्द रखना वाकई इन शानदार व्यक्तियों की शान की परम्परा के प्रतिकूल है। जहां तक समाज में उनके स्थान का ताल्लुक है मैं अदब का स्थान उन्हें देने के लिए तैयार हूं।

अभी किसी वक्ता ने यह कहा कि वकील लोग इससे नाराज हो जावेंगे। मेरे स्वयं के बहुत से वकील दोस्त हैं और उन की बिना पर मैं कह सकता हूं कि मेरे वकील दोस्त नाराज नहीं हो सकते।

यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट से रिट आ जावेगी। मैं समझता हूं कि मुझे इस संबंध में पूरा ज्ञान है। इस बिल में इन सब चीजों के बारे में काफी सोचा गया है और इसलिए वह भी आने वाली नहीं है इस बिल को बनाते समय इन सारे पहलुओं पर गहराई से सोचा गया है। और ऐसी कोई गुंजाइश इसमें नहीं छोड़ी है। इस कानून में यह बात भी साफ बता दी गई है कि अगर कोई विपरीत कार्यवाही की गई तो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यह पंचायत सुपरसीड की जा सकती है, डिजोल्व की जा सकती है, किसी को सजा दी जा सकती है। इतने पर भी अगर कोई बात हाई कोर्ट में प्रेस की जावे और किन्हीं मुद्दों को लेकर वहां पहुंचा जावे और रिट पेश की जावे, पहले भले ही रिट आ जावे पर बाद में जब कानून के

[श्री रामकरण जोशी]

मुताबिक कार्यवाही होगी तो कोई भी मुकद्दमें में एक्शन, जिसका ताल्लुक इस कानून से है, इसी कानून के अनुसार इसी कानून को निगाह में लिया जावेगा। इस कानून की रोशनी में जब मामला सामने आवेगा और यह कानून जब यह कहता है कि इसके अनुसार कोई वकील किसी मामले में खड़ा नहीं हो सकता, कोई पंचायत कोर्ट में और सेशन कोर्ट में नहीं जा सकता तो फिर इसमें न कोई हाई कोर्ट की और न किसी दूसरे बडे कोर्ट की गुंजाइश रह जावेगी। मैं समझता हूं और मुझे विश्वास है कि उन कोर्टों के बुद्धिमान जजों पर, उन न्यायालयों की न्याय शक्ति और विवेक पर मुझे इतना विश्वास है कि इस कानून को मद्देनजर रखते हुए नल एंड वाइड (null and void) और अल्ट्रा वायर्स (ultra vires) की बात नहीं करेंगे।

मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय की कुछ परम्परा चली आ रही है कुछ सदियों से और उन परम्पराओं से साधारण न्याय कुछ महँगा हो गया है और महँगा पड़ जाने के कारण ही हम सबने एक स्वर से यह महसूस किया है कि कोई साधारण और सस्ता न्याय इस प्रदेश की आम जनता को मुहइया हो जाय, इसकी व्यवस्था करनी चाहिये; इसलिये पंचायती न्याय का यह कानून सदन के सामने पेश हुआ है और इसलिये इन पंचयातों ने अपनी उन बातों के आधार पर जो साधारण न्याय लोगों को दिया है और कानूनी पेचीदगियों में बिना पड़े जो न्याय उन्होंने दिया है उसको उसी आधार पर, उसी कांटे पर तोला जा सकता है।

किसी ने यह कहा कि सेशन कोर्ट में जाकर लोग खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि आज के स्वतन्त्र भारत का नागरिक वैसा नहीं रह गया है, वह हिम्मत करेगा और अवश्य हिम्मत के साथ खड़ा होगा। यह भी गलत समझना है कि वह वहां कोर्ट के सामने बोल नहीं सकेगा। वह बहुत अच्छी तरह से बोल सकेंगे लेकिन वह सही सही बात ही बोल सकेगा, आंखों देखी बात जो होगी वही बोलेगा और जो वह सही महसूस करता है वही बोल सकेगा। वह यह बात नहीं बोल सकेगा कि जो एक सौ, दो सौ, तीन सौ मील दूर बैठा चतुर आदमी कह सकता है कि किस तरह से कार्यवाही करनी चाहिये, किस तरह से इस बात को कहना चाहिये, अपनी धारणा ऐसी बनानी चाहिये कि जिससे काम लिया जा सकता है और कानूनी पेचीदगियों में डालकर उस मामले को सही साबित किस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से वह कभी नहीं बोल सकेगा और उस तरह से वह किसी बात को हरगिज नहीं बता सकेगा। पर जो सच्ची बात है, आंखों देखी बात है, प्रत्यक्ष में जिसने जैसी महसूस की है, पहली सही इन्फॉर्मेशन है, उसी के आधार पर वह बात कोर्ट में कहेगा। हाई कोर्ट में वही बात कहेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी वही दोहरायगा। परमात्मा के सामने भी वही बात कहने में नहीं हिचकिचायगा। सही और सच्ची सच्ची बात कहने में और बताने में वह आदमी नहीं झिझकेगा र उसी आधार पर सेशन कोर्ट का जज, जिस पर भी कि हम शंका नहीं कर सकते, उसके बारे में भी हम यह नहीं कह सकते कि वह केवल वकीलों की भाषा में ही समझता है, वकीलों की बोली ही समझ कर न्याय कर सकता है, वह साधारण जनता की भाषा में, उसके सच्चे, सीधे और सही बयान में नहीं समझता या साधारण जनता का आदमी जो साधारण भाषा में बिना कानूनी लाग-लपेट के जो बोलता है उसके आधार पर न्याय नहीं कर सकता, बिना वकीलों की आज्ञा के नहीं चल सकता, तो यह बात समझ में नहीं आती। वह न्यायाधीश भी महसूस करेगा कि जो कुछ वह बोल रहा है, कह रहा है या बयान

[श्री रामकरण जोशी]

कर रहा है वह सब उसके दिल में से निकलने वाली चीज है। जो कुछ वह कह रहा है वह वास्तव में क्या है, इसी आधार पर वह भी न्याय और सही बात जानने में कामयाब होगा। इसलिए मेरा सदन से तो यही निवेदन है कि वे इस मामले में किसी झगड़े में नहीं पड़ें कि यह वकीलों की खिलाफत की धारा है। मैं तो समझता हूँ और वही निवेदन करता हूँ कि यह वकीलों की शान रखने वाली धारा है जो ऐसे छोटे छोटे कोर्टों में जाकर खड़े होना शानदार और बड़े लोगों की शान के खिलाफ समझते हैं। इसलिए निवेदन करता हूं मेरे वकील दोस्तों से कि वे अपने आप ही इस धारा से चले जावें। "Be allowed" शब्दों को हटा देने के बाद वे अपने आप ही हट जाते हैं।

इसके बाद सदन में जितने भी मेरे वकील दोस्त हैं उनसे मेरा फिर निवेदन है कि वे अपने आप ही फैसला कर लें कि जहां नेचुरल (natural) यानि प्राकृतिक न्याय दिया जाता है, जहां पर सीधा सादा न्याय दिया जाता है वहां पर कानूनी पेचीदगियों में फंसाकर न्याय का गला नहीं घोटना कहां तक वाजिब है।

मैं अन्त में यह भी निवेदन करदूं कि यह कानून ऐसा मुकम्मिल है और इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है कि वॉइड और अल्ट्रा वायर्स (void and ultra vires) होने की गुंजाइश हों कि इसमें वकीलों के सम्बन्ध की नामजूरी की धारा आजाने से कानून ही अल्ट्रा वायर्स हो जाता हो। यह वह कानून है जो आज की न्याय की दूषित परम्परा को हटा देगा, समाज की इस सदियों से चलती आ रही परम्परा की जड़ ही समाप्त कर देगा। यह समाज में क्रान्ति लायेगा। सामाजिक क्रान्ति का इससे सूत्रपात हो रहा है, न्याय की सही और सीधी परम्परा इससे कायम होगी। आम जनता को सस्ता न्याय मिलना प्रारम्भ होगा। इसलिए निवेदन है कि आप अपनी शंकाओं को इसमें स्थान न दें और अपने संशोधनों को वापिस लेने की कृपा करें।

"be allowed" को हटा देने की बात मैं मंजूर करता हूं। इसके बाद सदन से अपील करता हूं कि वह इस धारा को पास कर दे।

श्री भैरूंसिंह—मैंने जो संशोधन रखा उस पर आपने कुछ नहीं कहा।

श्री रामकरण जोशी—वह बड़ी दलीलों के नीचे दब गया था। इसके बारे म मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। यह सारा पढने के बाद साफ हो जाता है। आपने जो कुछ कहा वह सब "any party" में आ जाता है और इसके बाद "and woman" आता है। इसलिए इसको और बढ़ाना सुपरफ्लुअस (superflous) सा हो जाता है। आपका परपज (purpose) इसी से सर्व (serve) हो जाता है।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—अभी माननीय मंत्री ने जैसा कि फरमाया कि जो प्रोविजो है "any party" इसमें सब कवर हो जाते हैं। मैंने "any party" में कवर (cover) करने के लिए संशोधन नहीं रखा है। आपने जिस प्रकार "woman" शब्द को स्पेसिफिकल्ली मेन्शन किया है उसी प्रकार मैं चाहता हुं कि जो व्यक्ति दिमाग या शरीर से अनफिट (unfit) हो उसको भी

[श्री भरूंसिंह]

स्पेसियलाइज किया जाय । जिस प्रकार एक औरत को रियायत मिल सकती है उसी प्रकार इन लोगों को भी मिलनी चाहिये । इसलिये मैंने अपना संशोधन रखा है ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, जो अमेन्डमेन्ट मैंने इस क्लॉज में रखा था उसका जो जवाब माननीय मंत्री ने दिया है उसका जवाब देने का मुझे अधिकार है । अतः मैं जवाब देने को खड़ा हुआ हूं । इस संबंध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो बातें इसमें कही गई हैं वे बड़ी भावुकता में कही गई हैं और वे बातें असलियत को न समझने के कारण कही हैं । सबसे पहली चीज जो कि माननीय मंत्री द्वारा बतलाई गई है वह है प्राकृतिक न्याय की । मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां पर भी अपील प्रोवाइड (Provide) कर दी गई है वहां पर प्राकृतिक न्याय का सवाल ही पैदा नहीं होता । वहां यह मानकर चला जाता है कि जो अदालतें फैसला करती हैं उनसे गलती भी हो सकती है, वे फैसला गलत भी कर सकती हैं इसलिये अपील का अधिकार रखा गया है । जो पंचायत फैसला करती है गांवों को प्राकृतिक न्याय देती है, वह न्याय सच्चा है, सच्चाई के लिये हुए हैं तो फिर तहसील पंचायत को अपील सुनने का क्यों अधिकार रखा गया । अगर आप प्राकृतिक न्याय ही देना चाहते हैं तो पंचायतों के ऊपर तहसील पंचायत को अपील सुनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये । इससे जाहिर होता है कि आप भी यह मान कर चलते हैं कि पंचायतों से गलती हो सकती है । आप देखेंगे कि जब कोई अपील तहसील पंचायत के पास जायगी तो वह पंचायत से काफी दूर पचास मील के फासले पर होगी । यह कोई असंभव बात नहीं होगी कि तहसील पंचायत या किसी प्रकार से या बईमानी से कोई दवाव डाल नहीं सकेगा । और तहसील पंचायत में जो आदमी चतुर होंगे और चतुर आदमी बेईमानी करेंगे और इस प्रकार बेईमान आदमियों के खिलाफ सेशन्स कोर्ट तक वह मामला लाने के लिए, ठीक न्याय करवाने के लिए, जो कि पंचायत ने दिया था, वकील आवश्यक है ।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री अपनी तरफ से ही इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट ले आवें कि तहसील पंचायतें नहीं होंगी । अगर तहसील पंचायतों को रखा ही न जायगा तो न उस के पास अपीलें ही जायगी और जो गांव की पंचायत न्याय करेंगी और जो प्राकृतिक तौर पर न्याय करेंगी वह न्याय सच्चा होगा और प्राकृतिक न्याय का तरीका जो होना चाहिये वह यह कि पहले पंच मुकर्रर होने चाहियें । जैसे किसी गांव में हजार आदमी रहते हैं, वहां किसी प्रकार की वारदात हो गई और उसका फैसला करवाना है तो यह किया जाना चाहिये कि एक डूंडी पिटवाई जाय कि सब आदमी फलां जगह पर इकट्ठे हो जायं । आदमियों के इकट्ठा होने पर सारे गांव के आदमी मिलकर उन आदमियों में से चार पंच मुकर्रर कर दें और उन पंचों के सामने वह मकद्दमा रखा जाय या वारदात रखी जाय, जिससे वे चाहें जो फैसला कर दें । वह फैसला सब को मान्य होना चाहिये क्योंकि यदि पहले से ही पंच मकर्रर कर दिये जाते हैं तो उनसे किसी प्रकार से बेईमानी करवाई जा सकती है । जब उन व्यक्तियों को मामले का पहले पता ही नहीं होगा तो वे, जो उनके सामने तथ्य रखे जायेंगे, उसके अनुसार ही फैसला देंगे । यह है सच्चे मायने में प्राकृतिक न्याय । इस ढंग पर आप पंचायतों से काम करवाना चाहें तो मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने को तैयार हूं । लेकिन जब शुरूआत ही जिसकी पार्टीबाजी के आधार पर हो रही है, जो बेईमानी की बनियाद डालती है अपील का अधिकार रखकर, तो वहां पर यह आशा

Page No.65

[श्री गोपीलाल यादव]

की जाय कि प्राकृतिक न्याय मिल सकेगा यह कदापि सम्भव नहीं। चतुर आमदमी उनमें होंगे। वे गरीब आदमी जो खुद चतुर नहीं उन्हें कोर्ट में जब अपील लायेंगे तो जिस प्रकार वकीलों की जरूरत होती है उसी प्रकार तहसील पचायतों में तो उसकी पेरवी के लिए चतुर आदमी को रखना पड़ेगा। माननीय मंत्री ने फरमाया कि पंचायतों द्वारा हमको प्राकृतिक न्याय मिलेगा। यह बिल्कुल गलत है जहां पर आपने अपील के अधिकार रख दिये वहां पर प्राकृतिक न्याय नहीं मिल सकता, यह विचारणीय चीज है।

दूसरी चीज जो में आपको बता देना चाहता हूं वह यह है कि वास्तव में वकीलों को हटा दिया गया हो, यह बात नहीं है। मेरे मित्र महार जब बोल रहे थे तो मैं समझ रहा था कि वे वकीलों की एक नई क्लास खोलना चाहते हैं। बाद को पढ़ा तब पता चला और साफ समझ गया कि उनका आशय यह था कि वे लोग जिनकी वकालत शहरों में न चलती हो वे गांवों में जायेंगे और गरीब लोगों से पैसा ऐंठेंगे। ऐसे केसेज में जो आदमी कोर्ट्स में वकालत नहीं कर सकते जो कोर्ट्स के सामने हिचकिचाते हैं जो लीगल प्रेक्टिशनर्स नही वे वहां जायेंगे। इसका मतलब यह निकला कि जो लीगल प्रेक्टिशनर्स नहीं, जो एल एल. बी. नही और ऐसे एल एल बी., जिनकी प्रेक्टिस नहीं चलती यानो जो अर्जीनवीस आदि होंगे वे वकीलों का काम हाथ में लेकर गांवों में जायेंगे और गांव के लोगों से रुपया ऐंठेंगे। इस तरह से, मेरे कहने का मतलब यह है कि गांव के लोगों को इन्साफ नहीं मिलेगा।

दूसरी चीज जो में आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि रिवीजनल पॉवर्स (revisional powers) जिससे वास्तव में कुछ नुकसान हो सकता है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा। सेशन कोर्ट जब काबिल होता है तो आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। सेशन के सामने जो चीज जायेगी वह बाल की खाल निकालने की चीज नहीं होगी, हाई कोर्ट भी हमारी मन्शा देखेगी। इस तरह से आप हमारे अमेन्डमेन्ट पर सोचिये। हाई कोर्ट बाल की खाल पर कोई रिविजन स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन जहां पर यह देखेगी कि ग्रोस इन्जस्टिस (gross injustice) हुआ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बातें हो रही हैं, वहां हाई कोर्ट दखल देगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री गोपीलाल यादव–(अपना भाषण जारी करते हुए)—माननीय उपाध्यक्ष, में एक इम्पोर्टेंट (important) मामले पर बोल रहा हूं। सबसे पहले में निवेदन कर देना चाहता हूं कि बिल के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं हुआ करती। फिर भी में आपको विश्वास दिलाना हूं कि में सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

में जो निवेदन कर रहा था कि जहां पर इन्साफ का सवाल है, इस इन्साफ करवाने के लिए जगह जगह जाते हैं और वहां इन्साफ कैसे करवाये इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनको गांवों का कोई आदमी समझ नहीं सकता जैसे वालन्टेरिली कॉजिंग हर्ट (voluntarily causing hurt)। दूसरा . . . .

[श्री गोपीलाल यादव]

"Voluntarily causing hurt on grave and sudden provocation not intending to hurt any other than the person who gave the provocation ;" and

"assault or use of criminal force otherwise than on grave provocation."

इस प्रकार की सैंकडों धारायें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की इसमें रखदी हैं, जिनको गांव के लोग हर्गिज समझ नहीं सकेंगे। ग्रेव प्रोवोकेशन (grave provocation) क्या है, इस तरह से लोगों की धांधली बाजी चलेगी अगर किसी गरीब को वहां तक पहुंचने की आज्ञा नहीं दी जायगी तो। अगर हमारी इन्टेलीजेन्स का स्टेन्डर्ड (standard of intelligence) एक सा हो जाता है, अगर कम्प्लेनेण्ट (complainant) काबिल है तो वह कभी भी बगैर पढ़-लिखे आदमी पर उस कोर्ट में मुकद्दमा नहीं चलायेगा। उसके मुकद्दमें जरूर जायेंगे रेग्युलर कोर्ट (regular court) के अन्दर। अगर कोई प्लेन्टिफ (plantiff) बहुत चतुर है, किसी गरीब किसान पर रुपयों के लिये नालिश नहीं करेगा तो वह कोर्ट में जरूर जायगा। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में किसी चतुर आदमी के लिये जाना साधारण सी बात है। चतुर आदमी चतुराई से उन पंचायतों में बेईमानी करायेगा क्योंकि वह खुद चतुर है, वहां वकील की जरूरत नहीं। लेकिन जो गरीब हैं उसको आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां तक प्राकृतिक न्याय का सवाल है, गरीब आदमियों के लिए इन्साफ का सवाल है, इसमें कोई रुकावट नहीं पड़गी।

अब मैं आखिरी निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह एक कानूनी पोइन्ट है जो बहुत महत्व का है, जैसा कि अभी मेरे मित्र श्री मथुरादासजी माथुर ने कहा। उन्होंने कहा कि इस विषय में एडवोकेट जनरल से पूछा जावे कि जब सेशन्स में रिविजन जाता है तो उस पर हाई कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन होता है? क्या उसको आप डिबार (debar) कर सकते हैं? जब सेशन्स में भी वकील नहीं जा सकता तो क्या हाई कोर्ट में जा सकता है वकील? इस कानूनी पोइन्ट पर भी आपको सोचना होगा और जब मेरे एक मि ने एडवोकेट जनरल की राय का सुझाव दिया है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि एडवोकेट जनरल की राय अवश्य ली जावे।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल भी सिलेक्ट कमेटी में मौजूद थे और जिस समय इस पोइन्ट पर बहस हुई थी उन्होंने उस बहस में भाग लिया था और उन्होंने इसको ठीक पाया। इसलिय उनको अब यहां पर बुलाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है जो कि मेरे मित्र श्री भैरूंसिंहजी ने वुमन (woman) आदि के संबन्ध में बताई। उस संबन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वे इस बात को भूल गये हैं कि हम दफा ४० में यह तय कर आए हैं कि "Provided that no Panchayat shall take cognizance of any suit;" उसमें यह बात आ जाती है "(a) by or against a minor or a person of unsound mind;" इसलिये इसको यहां दर्ज करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अलावा प्राकृतिक न्याय की बात उस जगह कही जाती है जहां बोलने वाले की बात को दूसरा नहीं बतलाए। बोलने वाले

[श्री रामकरण जोशी]

पंचायतों में बोलेंगे। वे तहसील पंचायतों में और सेशन्स में भी खुद ही बोलेंगे और जब कोई दूसरा बोलेगा तो वह उसी बात को दूसरे ढंग से कहेगा। बस मैं इतनी सी बात का इशारा करना चाहता हूं।

(श्री अध्यक्ष पुन: पदासीन)

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने अपील की थी कि वकील एक वकील की हैसियत से, पंचायत में न जावे। मैं उस चीज को स्वीकार करता हूं और ऐलान करता हूं कि मैं पंचायतों के मामले में सेशन्स कोर्ट में नहीं जाऊंगा और मैंने जो यह एमेन्डमेन्ट रखा है वह वकीलों के फायदे के लिये नहीं रखा है बल्कि लोगों को इन्साफ प्राप्त हो इसलिये रखा है।

श्री देवीसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में भी बहुत ओब्जेक्शनेबल पॉइन्टस आ रहे हैं। इसलिये जैसा कल एक क्लॉज में तय हुआ था कि उसको बाद में लिया जाएगा उसी प्रकार इसको भी कल के लिये रख दिया जाए और इसका बादमें निर्णय कर लिया जावे तो ठीक है।

श्री रामकरण जोशी—इसको कल पर क्यों छोड़ा जाता है। जो स्टेज थी वह भी नजदीक आ गई है।

श्री अध्यक्ष—Then I will put the question to vote. The question is that amendment No. 166 to clause 81 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Amendment No. 78 by Shri Khet Singh has not been moved and amendment No. 174 is by Shri Gopilal Yadav. The question is that amendment No. 174 be accepted.

(मतदान के पश्चात्)

The amendment is lost.

श्री गोपीलाल यादव— yAes"have 'it, Sir.

श्री अध्यक्ष—You want division or you want only Division Bell.

श्री गोपीलाल यादव—When the Division-bell comes we shall see how many are there. At present we win. If you are prepared the Heads may be counted Sir.

श्री अध्यक्ष—The amendment is not of a very important nature.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिन पर उनको सजा दी जा सकती है और किसी भी व्यक्ति को यदि तीन दफा सजा हो गई तो वह हेबिच्युल ऑफेन्डर हो जावेगा।

एक माननीय सदस्य—डिविजन बैल बजाइये।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मेरा एक पोइन्ट है।

श्री अध्यक्ष—No points. Either defer or no point. Yes, should I put the question or the consideration of Clause 81 is to be deferred ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—I would suggest that this clause should as well be deferred.

श्री अध्यक्ष—No, the question is that perhaps most of the members are not present.

'No legal Practitioner shall be allowed to appear on behalf of any party in any proceedings under this Act;

The question is whether these provisions of this Act are in accordance with the Central Legislation of the Legal Practitioners' Act ? They did not contravene in any way the provisions where a Legal Practitioner has a right to appear and this clause debars a legal practitioner to appear in this case. So whether it is in contravention of the Central Legislation of the Legal Practioners' Act or not is a point which was raised by some members of the House and the reply of the Member-in-charge was that the point has been examined by the Advocate General in the Select Committee and after consultation with the Advocate General this clause was adopted. So whether the House wants that it should be deferred or put to vote, is a question.

श्री जसवन्तसिंह—I would submit that in regard to the 3 clauses deferred yesterday the Hon'ble Minister was pleased to accommodate us and promised to consider the point sympathetically ; I will request him more respectfully if he would be pleased to consider our point of view and give us some time to discuss it with oursleves. So I request him to show the same spirit of accommodation as he showed it yesterday.

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्वाइन्ट के बारे में हम लोग एक दो घंटे से बहस कर रहे थे और इसकी सब बातों पर अच्छी तरह से विचार कर चुके हैं। कुछ सदस्य यहां उपस्थित नहीं थे जिससे उनको मालूम नहीं है कि किस तरह विशद रूप से इस पर विचार किया जा चुका है। जब कि ऑलरेडी (already) इस पर विशद रूप से विचार हो चुका है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस पर और विशद रूप से क्या तय करना बाकी रह गया है।

रहा यह सवाल कि यह कानून अल्ट्रा वायर्स (ultra vires) तो नहीं हो जायगा, कॉन्ट्रोवर्सी (controversy) तो नहीं हो जायगी इसके लिये एडवोकेट जनरल, जो उस

[श्री रामकरण जोशी]

मीटिंग में उपस्थित थे, उन्होंने राय दी है कि किसी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होगी। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं उलझती जिसके कारण कहा जाय कि इसे आज नहीं, कल या बाद में फिरसे ले लें। आज इस पर पूरी बहस हो चुकी है। फिर उसी तरह से बहस होगी और इस तरह सदन का समय व्यर्थ ही बर्बाद होगा। इसलिये आज ही अगर विभाजन (Division) कर लिया जाय तो ठीक होगा क्यों कि माननीय सदस्यों की आज जैसी राय है वही कल होगी और १० वर्ष बाद राय लीजिये तो भी वही होगी।

यह तो प्रिन्सिपल की बात है कि जिस न्याय को जिस परम्परा या जिस कसौटी से आंका गया है उसकी वही कसौटी हो न कि दूसरी कसौटी से उसे आंका जाय। जिस प्रकार एक चीज को एक तराजू से तोला गया है उस चीज को उसी तराजू से १० बार भी तोल लिया जाय तो कोई बात नहीं। परन्तु अगर उस चीज को दूसरी तराजू से तोला जायगा तो उसमें जरूर फर्क आयगा।

यह खाली ढील करने, देर करने की, बात है। जब कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार कर चुके हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है तो फिर देर करना व्यर्थ है।

श्री अध्यक्ष—I am not a party to the discussions. He does not want discussions any further. Just approach him. They are consulting.

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष, एक बात है.....................

श्री अध्यक्ष—Let them consult and give a reply.

श्री एच. के. व्यास—Once the question has been put it cannot be deferred.

श्री अध्यक्ष—It is perfectly in the competence of the Speaker to suspend any rule.

श्री जसवन्तसिंह–Sir, this point was never discussed in the presence of the Advocate- General. There is one more point. I understand from my friends sitting on this side who were in the Select Committee that this point was never discussed in the presence of the Advocate-General and his opinion, to his knowledge, has not been taken and since this only has raised such a controversy it is only right that the Advocate General's advice should be known to us.

श्री अध्यक्ष--I do not want to indulge in the discussion. Even if the Advocate General has expressed his opinion in the Select Committee, the members of this House has a right to have him heard on the floor of the House in order that all suspicions may be waived I want to know the views of the Leader of the House.

(करतल ध्वनि)

श्री जयनारायण व्यास—Well I have no objection in accepting the suggestion of the Chair and the clause may be deferred till we hear from the Advocate General tomorrow or till such time.

श्री अध्यक्ष—Then we keep in suspense the consideration of clause 81 and proceed to clause 82.

(विराम)

Shri Bhairon Singh.

श्री भैरू सिंह (१६)—मैं अपना एमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—So the question is that Clause 82 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 82 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 83. Shri Haridutta.

श्री हरिदत्त—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री भैरू सिंह (१६)—मैं भी अपने अमेन्डमेन्ट मूव करना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—So the question is that Clause 83 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 83 is added to the Bill.

(विराम)

Now Clause 84. Shri Hari Dutta.

श्री हरिदत्त—मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव करना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—So the question is that clause 84 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 84 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 85. Motion moved.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

The question is that clasue 85 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clanse 85 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 86. Shri H. K. Vyas. I think you will move your amendment.

श्री एच. के. व्यास--Mr. Speaker, Sir, I move my amendment as set out in the list; which is as under:—

"In sub-clause (1) first line delete the words 'either'.

"In the second line delete the word 'or' After sub-clause (5) add the following sub-clause :—

"(6) when an order under sub section (1) is passed, the State Government shall also, if it considers necessary, order re-elections or confirm the existing Panchayat or Tehsil Panchayat for the altered area."

मेरा अमेन्डमेन्ट तो भाषा से ताल्लुक रखता, है इसलिये इसे माननीय मंत्री मान लेंगे तो ठीक है नहीं तो प्रेस करने की जरूरत नहीं है।

श्री रामकरण जोशी—हां, यह भाषा के संबन्ध में एमेन्डमेन्ट आया है वह मुझे स्वीकार है ।

(विराम)

सब-क्लाज ६ बढ़ा देने के बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—So the question is that the amendments of Shri H.K. Vyas be accepted.

(स्वीकृत)

The amendments are accepted.

(विराम)

Now the question is that clause 86 as amended stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 86 as amended, is added to the Bill.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 87 Shri Tej mal Bapna.

श्री तेजमल बापना–I think the Member-in-charge has accepted my amendment to add one clause more *i.e.* 87 (A). The amendment is as under:—

After clause 87 of the Bill the following new clause 87A be added:—

"87A. Property vested in a Panchayat :—

Subject to any special reservatien made by the State Government—(i) all public property situated within the jurisdiction of a Panchayat shall vest in and below to the Panchayat and shall, with all other property which may become vested in a Pahchayat, be under its direction, management and control;

(ii) all markets and fairs or such portion thereof as are held upon public land shall be managed and regulated by the Panchayat which shall receive to the credit of the Panchayat Fund all dues livied or imposed in respect thereof".

श्री रामकरण जोशी—यह चीज स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—So the question is that the amendment of Shri Tejmal Bapna be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Now the question is that clause 87 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 87 is added to the Bill.

श्री एच. के .व्यास—क्लॉज ८७(ए) करने के बजाय उसे क्लॉज नं० ८८ ही कर दिया जाय ।इस तरह बिल को क्यों बिगाड़ा गया ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Clause 87 as amended.

श्री अध्यक्ष—Yes clause 87 as amended is added to the Bill.

(विराम)

Clause 88. Shree Hari Dutta. I think he waives.

श्री हरिदत्त—मैं अपने अमेन्डमेन्ट को मव नहीं करना चाहता ।

श्री शंभूसिंह—मैं अपने अमेन्डमेन्ट को मूव नहीं करना चाहता ।

श्री अध्यक्ष—So the question is that clause 88 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Page No.73

[श्री अध्यक्ष]

श्री अध्यक्ष—So the question is that clause 88 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 88 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 89. Motion moved.

(विराम)

So the question is that clause 89 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 89 is added to the Bill. Now clause 90.

श्री भैरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ९० में मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:-

"Add the words 'and wine' after the word 'fish' in part (h) of sub clause (1)."

श्री रामकरण जोशी—यह एमेन्डमेन्ट मुझे मंजूर है।

श्री अध्यक्ष—You should be glad over this. So the question is that the amendment of Shri Bhairon Singh be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

श्री भैरूसिंह—मेरा दूसरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:

"Add one more part as part (i) after the part (h). "(i) To regulate the checking of immoral traffic in women."

श्री अध्यक्ष—You may not move it.

श्री भैरू सिंह—आपकी आज्ञा के अनुसार में अपना अमेन्डमेन्ट मूव नहीं करूंगा।

So the question is that clause 90 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 90 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 91. Motion moved.

(विराम)

[श्री भेरूंसिह]

The question is that clause 91 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The clause 91 is added to the Bill clause 12.

श्री **भेरूं सिह(१६)**—क्लॉज ९२ में मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार हैः

"Substitute the words 'for a period not exceeding six months' after the words 'shall continue' in line 2 of sub clause (2)."

माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज के द्वारा सरकार ने उन समस्त कानूनों को जिनके अंतर्गत आज तक राजस्थान में पचायतें स्थापित करने की कार्यवाही हुई है, चुनाव हुए हैं और पंचायतें कायम हुई हैं। वे सारे कानून इस बिल की इस धारा के पास होजाने के बाद रिपील (repeal) हो जाते हैं और इसके साथ ही साथ वे सारी पंचायतें भी रिपील हो जाती हैं। लेकिन सरकार ने इस क्लॉज के अंतर्गत ऐसे अधिकार अपने पास रख लिये हैं कि यदि सरकार चाहे तो पंचायतों को वैसा का वैसा चालू रख सके। इस संबन्ध में मेरा निवेदन यह है कि किसी कानून की अदम मौजूदगी में यदि पंचायतों की स्थापना हुई हैं तो ठीक नहीं हुई हैं। और उनमें से बहुत सी पंचायतों के बारे में यह शिकायत है कि उनके चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं; कई जगह वार्ड नहीं बनाये गये हैं, कई जगह वाटर्स को सूचना नहीं दी गई है, कई जगह झूठे तरीके से पंचों को नोमीनेट (nominate) कर दिया गया है और इस तरह से बेजा तरीके से पंचायतें बनाई गई हैं। मैं समझता हू कि अधिकांश पंचायतें बेजा तरीके से ऐसे कानून के अंतर्गत बनाई गई हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि उन पंचायतों को सरकार जारी रखना चाहे तो ६ महीनों के लिये भले ही रख ले और फिर नये चुनाव कराले ताकि इस नये कानून के अंतर्गत जो सुविधाएं चुनाव के तरीके के अंदर या अधिकारों में मिलने वाली हैं उनसे जनता वंचित न रहे और दुनिया को यह मालूम हो कि पंचायतों के लिये एक नया कानून बनाया गया है जिसके अंतर्गत अच्छे ढंग से चुनाव होगा। मुझे इस बारे में इतना ही निवेदन करना है।

श्री **एच. के. व्यास**—I do not want to move my amendment.

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—माननीय अध्यक्ष, यह जो पंचायत कानून सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित है वह फोर्मर राजस्थान के पंचायत कानून के आधार पर बनाया गया है और जो पंचायतें अब तक काम कर रही हैं उनमें से अधिकांश फोर्मर राजस्थान ग्राम पंचायत कानून के आधार पर काम कर रही हैं। इसलिये उन पंचायतों को भंग करना अनावश्यक प्रतीत होता है। नये कानून में तो केवल नाम बदलना ही है। जो पंचायतें फोर्मर राजस्थान के ग्राम पंचायत कानून के आधार पर नहीं बनी हैं उनके चुनाव अवश्य करायें जायेंगे और जो उस कानून के आधार पर बनी हैं उनका चुनाव अभी कराना जरूरी नहीं प्रतीत होता।

Page No.75

श्री भरू सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने यह फरमाया कि पुराने राजस्थान के ग्राम पंचायत कानून के आधार पर पंचायतों के चुनाव हुए हैं और यह कानून उसी कानून के आधार पर बना है इसलिये उन पंचायतों का चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अधिकांश भाग में पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं वे दूसरे कानूनों के अंतर्गत हुए हैं। इसलिये उन पंचायतों का दुबारा चुनाव करना आवश्यक है। इसलिये मेरा संशोधन अहमियत रखने वाला है। कई माननीय सदस्यों ने चुनाव के बारे में शिकायतें की हैं। इसलिये मैं अपने अमेन्डमेन्ट को प्रेस करना चाहता हूं। सरकार चाहे तो ६ महीनों के अंदर-अंदर चुनाव करा सकती है।

श्री अध्यक्ष—Not very important to press for vote, the discretion lies with the Government.

The question is that amendment No. 171 to clause 92 be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

Now the question is that clause 92 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 92 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 93. Motion moved.

(विराम)

The question is that clause 93 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 93 is added to the Bill.

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह जो बिल पास किया जारहा है• • •

श्री अध्यक्ष—अभी क्लॉजेज बाकी हैं, पास कहां किया जारहा है ?

श्री भैरोंसिंह (खेजडला)—जो क्लॉजेज और शिड्यूल बाकी रह गये हैं उनको आयन्दा जब सदन की बैठक हो तब के लिये स्थगित किया जाय तो अच्छा रहेगा क्योंकि वे महत्वपूर्ण क्लॉजेज हैं जो सारे बिल को इफेक्ट करते हैं। इसलिये आगे के लिये पोस्टपोन कर दिया जाय तो ठीक रहेगा।

Page No.76

श्री रामकरण जोशी—मुझे यह बात स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—Is the leave granted for the postponement of further consideration of the Panchayat Bill.

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

So next, Shri Bhola Nath.

राजस्थान मुद्रांक विधि (अन्तर्ग्रहण) संशोधन विधेयक, १६५३

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—I beg to move that the Bill to amend the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952, as reported to by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

The question is that the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Amendment Bill, 1953 be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Amendment Bill, 1953 is passed.

(विराम)

Next, Shri Paliwal.

राजस्थान आवश्यक सेवा (संधारण) विधेयक, १६५३

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before anything is taken up I want to raise an important point. According to the programme given to us the Panchayat Bill must have been continued before the House. Later on the Summary Settlement was left for consideration and much later comes the Security Bill. You have changed the priority to such an extent and have not take up what was scheduled for today. If you are prepared to take up all these things, I would request you totake up that Bill

Page No.77

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

on which we are supposed to be prepared. That is my submission. I suggest that we should not take it in hurry. In this connection the Rule says that the Agenda shall be taken up.

श्री अध्यक्ष--The Agenda is being taken up. It is the order in which it is being taken.

श्री एच. के. व्यास--Two priorities we have changed and jumped to third priority which was hardly anticipated.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—The Hon'ble Member forgets that he himself was a member of the committee as well. I am in no hurry. It does not behove to say like this from a member of the Select Committee.

श्री हरिकृष्ण व्यास--On a point of information, Sir. In this Bill I was not a Member of the Select Committee. Otherwise it would not have come before the House or matured for consideration so soon.

श्री अध्यक्ष—We have circulated in today's agenda four Bills for consideration. First was the Panchayat Bill which you have practically finished. The second was Land Acquisition Bill. Third was Stamp Law (Amendment) Bill which also you have finished. Fourth comes this. It would be a sheer waste of money and time and energy if we do not proceed and I think the Hon'ble Members have tabled some amendments on this Bill. Shri Vyas has himself tabled an amendment which shows that he has not been taken by surprise.

So it is better to discuss the principles of this Bill. The Essential Services principles.

(विराम)

So we n w proceed to take the Bill.

श्री टीकाराम पालीवाल(उप-मुख्य मंत्री)–I move that the Bill to make provisions for the maintenance of certain essential services in Rajasthan, as reported to by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I move an amendment, Sir

श्री अध्यक्ष—But you could have moved it long back. The clauses are there. Yes, motion moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not the clauses.

श्री अध्यक्ष—then.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My motion is, Sir, that the Bill be circulated for eliciting public opinion.

श्री अध्यक्ष—You want to make a speech.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, जिस बिल के विचार करने के सिलसिले में हमारे सामने प्रस्ताव रखा गया है उसको पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये भेजा जाना चाहिये, ऐसी मेरी तरमीम है। मैं सदन के सामने उन कारणों को निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वजह से मैंने यह तरमीम पेश की है। जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने सुपुर्द किया गया था तब ऐसी कुछ राय सदन में व्यक्त की गई थी कि यह बहुत ही सख्त किस्म का कानून है और इसमें अधिकारों का बहुत ही जबरदस्त हनन किया हुआ है और इससे इसमें कुछ कमी करना आवश्यक होगा, इसमें कुछ रद्दोबदल करना आवश्यक होगा और इसी इरादे से ही इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया था। लेकिन सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है और उनके द्वारा विचार करने के बाद जो बिल फिर से सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है तो उससे ऐसा लगता है और साफ साफ जाहिर होता है कि जो बुनियादी बातें सदन में जाहिर की गई थीं उनकी ओर सिलेक्ट कमेटी ने लेश मात्र भी गौर नहीं किया है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा जो अलग अलग धाराओं से संबन्धित हैं किन्तु मैं सिद्धान्तों की बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत बड़ा कारण था जिसके आधार पर हमने जिस चीज को विचार करने के लिए यह बात सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द की थी वह बात यह थी कि इसमें किसी भी सरकारी अधिकारी को एक विशेष प्रकार के अधिकार दिए जा रहे हैं और वे अधिकार ये दिए जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के सिलसिले में अथवा कई व्यक्तियों के सिलसिले में एक आदेश जारी कर सकता है और ऐसे आदेश जारी कर सकता है कि वह अमुक व्यक्ति अथवा वे व्यक्ति किसी एक इलाके को छोड़ कर बाहर न जावें। माननीय अध्यक्ष, यह एक ऐसा क्लॉज है जो बहुत ही खूनी है; ऐसा मेरा मानना है। भारतीय संविधान में एक धारा है और उस धारा में प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह भारत में चाहे जहां अपने कलीग्ज के पास अपने पर्सनल काम जाय, चाहे जहां रहे; किन्तु बिल के प्रोवीजन्स मुताबिक संविधान द्वारा प्रदत्त उन अधिकारों को रोका जाता है अथवा कम किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस धारा के मातहत इन अधिकारों को कैसे रोका जा रहा है, क्या अनऑथोराइज्ड (unauthorised) तरीके से रोका जा रहा है। मेरा यह कहना है, माननीय अध्यक्ष, कि जहां तक पर्सनल रिलेशन्स और कलीग्ज का सवाल है, उस अधिकार को कम करने के सिलसिले में जो संविधान में क्वालिफिकेशन्स (qualifications) दिये हुए हैं उनका लॉ एन्ड ऑर्डर के सिलसिले में कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैं मुख्य बात कह रहा हूं उसको साफ करने के लिए थोड़ा अंग्रेजी में बता दूं:

The fundamental rights of moving freely from one place to another given in the Constitution has to some extent been qualified.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—On a point of order, Sir, it is not necessary to repeat in English.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not for taking more time.

श्री अध्यक्ष—You will be quite clear. It has been conveyed. You will be encroaching upon your own time.

श्री एच. के. व्यास—I will be able to express my idea better in English.

That is why I have changed my language, only as far as this point is concerned and I think my Hon'ble friend should listen.

श्री टीकाराम पालीवाल—I have listened very patiently.

श्री एच. के. व्यास— So what I was submitting was this that the qualification which has been given in the Constitution only relates to whatever restrictions have to be placed.

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—You will not repeat the same whatever you have already said

श्री एच. के. व्यास—Then you should better.........

श्री अध्यक्ष—No, No. It is not necessary.

श्री हरिकृष्ण व्यास (जारी)—तो मैं यह कह रहा था कि इससे किसी भी व्यक्ति को एक इलाके को छोड़ कर जाने देने या न जाने देने के सम्बन्ध में पाबन्दी रक्खी गई है। यह पाबन्दी भारतीय संविधान की धारा के विरुद्ध पाबन्दी है और यह इतनी गम्भीर है जिसे, हमारा खयाल था, सिलेक्ट कमेटी गौर करेगी और कम से कम क्या गौर किया है वह हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। पर अफसोस तो यह है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख मात्र भी नहीं है।

इससे साफ जाहिर है कि सिलेक्ट कमेटी ने गौर तक नहीं किया, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर

श्री अध्यक्ष—One minute more.

श्री हरिकृष्ण व्यास (जारी)—On the Bills when the motion is made, time is not imposed; that such time limit is not imposed.

श्री अध्यक्ष—It is, it is. I do not want you to go indefinitely.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is eight minutes only and I should......

श्री अध्यक्ष—No. Only one minute more.

श्री हरिकृष्ण व्यास— It is very important.

श्री अध्यक्ष—You should continue and finish within a minute's time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My submission is, Sir, that I should be given more time. My submission is that when such general Bills are discussed time limit is not imposed. I have carefully gone through the Rules.

श्री अध्यक्ष–I do not want to hear anything on the ruling that. I have already given.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–You may kindly allow me to make a few observations. For my friend it was not necessary to repeat in English what he has said in Hindi. Iwould like to say that it was an un-necessary waste of time. Only if he wants to make further observation on the Bill or about its history or public opinion, I think it should be allowed.

श्री अध्यक्ष—No, no. What I want is that I wanted to make it quite clear that a certain time limit should be there.

श्री टीकाराम पालीवाल—To which I have myself objected and if the Member wastes time in speaking Hindi and then translating in English and then wants additional time, that is not permissible.

श्री अध्यक्ष–Before doing so he has already wasted two-three minutes and then he wants extra time which is not permissible.

श्री हरिकृष्ण व्यास–I have spoken only on one clause. There are at least 4 or 5 clauses like this. They are of a fundamental nature.

श्री अध्यक्ष—But your motion is only that the Bill be circulated for eliciting public opinion and on this motion you are to lay emphasis why it is so needed. You are not expected to go in consideration on every clause now and when we come to them, you will come with your amendments. That is not the thing. One should utilize the best of his time. You have a right to speak but only to the extent of the relevancy. You are not relevant when you discuss the principles and waste time. Then I will have to limit.

You should continue your speech. I do not want to hear anything more on the point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं यह कह रहा था माननीय अध्यक्ष जी, कि एक यह बन्धन है जिसके बारे में सिलेक्ट कमेटी ने पूरी तरह से विचार नहीं किया। यही कारण है कि जिससे इसे पब्लिक ऑपीनियन के लिये प्रसारित किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार का एक और सैद्धान्तिक विषय है। इसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पर इसकी भी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। जब क्लॉज़ बाई क्लॉज कन्सीडरेशन का वक्त आवेगा तब विस्तार से कहूंगा। पर एक आधार जो दिया गया है उस पर खास तौर पर मैं प्रेस करना चाहता हूं।

किसी भी उद्योग में नौकरियां छोड़ने या न छोड़ने के सिलसिले में पाबन्दियां इस बिल में लगाई गई और सफाई के बारे में एक हवाला दिया गया था कि यदि कोई मनुष्य शारीरिक खतरे को वजह से काम छोड़ने के लिये मजबूर हो तो इस बिल के मातहत जुर्म करार नहीं दिया जावेगा।

इस क्लॉज के बारे में सदन में बहस हुई थी और जहां तक मुझे याद है माननीय सदस्यों ने और खुद कई उधर बैठे हुए सदस्यों ने कहा था कि यह एक ऐसी चीज है कि जिसे सोचना पड़ेगा। मिनिस्टर इन्चार्ज ने खुद ने दलील दी थी कि इस पर विचार किया जा सकता था।

पर आज सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं और उसके अमेन्डेड किये बिल को देखते हैं तो वह धारा भी उसी प्रकार से हूबहू बगैर किसी रद्दोबदल के मिलती है।

यह भी इस बात को साबित करता है कि इसके महत्व को उन्होंने नजर अन्दाज किया है। कौनसा मेजर (measure) जरूरत की चीज है इसका अन्दाज इस बात से चल जावेगा कि कल यदि कोई आदमी कहीं मुलाजिम है और वहां काम करने वक्त आग लग जावे या ऐसा ही कोई दूसरा शारीरिक खतरा पैदा हो जावे तो शारीरिक खतरे की वजह से भी अगर वह अपना काम छोड़ कर बाहर जावेगा तो इस धारा के अनुसार वह वलिड (valid) कारण नहीं समझा जावेगा। साफ है कि इस धारा के भी वैसे ही कायम रहने से और इस एक्सप्लेनेशन (explanation) के भी वैसे ही कायम रहने से सिलेक्ट कमेटी ने इसके बारे में जो बुनियादी आधार था उस पर पूरा विचार नहीं किया।

यह बिल उन चीजों की वजह से लिया जा रहा है कि जिससे कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिसमें इस प्रकार के बुनियादी अधिकार सरकार के हाथ में लिए जावें। लेकिन आज पिछले छ महीने से, एक साल से, प्रान्त की क्या परिस्थिति है इसे हम कम से कम सोच सकते हैं।

कौनसा ऐसा इलाका है जिसके अन्दर ऐसी इमर्जेन्स पैदा हो गई या कोई बहुत ही विचित्र परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनको खयाल में रख कर इस बिल को पास किया जा रहा है। जब से यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया था मिनिस्टर इन्चार्ज ने इसका जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसी परिस्थितियां प्रदेश में पैदा हो रही हैं और ऐसा खतरा पैदा हो रहा है जिस पर ध्यान करके सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार करेगी। मैंने रिपोर्ट को काफी गौर से पढ़ा और इस खयाल से पढ़ा कि शायद इसमें कोई जिक्र किया हुआ हो कि कोई गम्भीर परिस्थितियां इस प्रदेश में ऐसी पैदा हो गई हैं कि जिनको ख्याल में रख कर यह बिल तैयार किया गया है। पर रिपोर्ट में एक शब्द भी इस बात पर नहीं कहा जा रहा है कि कौनसी गम्भीर परिस्थितियों के कारण यह बिल लिया जा रहा है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस कारण से भी मेरा यह कहना है कि जिन चीजों के लिए यह बिल पेश किया गया था वे चीजें तो गौर की ही नहीं ।

अब सवाल होता है कि जब सिलेक्ट कमेटी ने गौर नहीं किया तो अब क्या चारा रह जाता है ?

इस बिल में ऐसी चीजें निहित हैं बुनियादी आधार से कि· · · ·

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास--I was just developing my last point.

श्री अध्यक्ष--No, no. You are going irrelevant. Whether there is some necessity or not is not the business of the Select Committee. It is the business of the Government to introduce as for which it thinks the necessity. It is not the business of the Select Committee. Your motion is that you want th Bill to be referred, rather circulated for eliciting public opinion and you are now criticising the Select Committee. That was none of the object of the Selec Committee So if you observe in this manner, I am afraid, I cannot allow time in this way.

श्री एच. के. व्यास—I have only to say that the products given by the Select Committee to the House....

श्री अध्यक्ष—It is none of the business of the Select Committee whether any particular amendment is necessary or not. It is only within the competence of the Government concerned to think that the particular amendments or amendment is necessary. The Select Committee looks to, after the principle is decided. It looks to the phraseology and other matters that comes in.

श्री एच. के. व्यास-My last point relates, just now referred, why it is necessary to circulate this Bill for eliciting public opinion ? That was the only thing.

श्री अध्यक्ष—I cannot allow. You must utilize your time in relevant things and not in irreleveant matters.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष जी, सदन के सामने जिस समय राजस्थान एसेन्शियल सर्विसेज बिल (Rajasthan Essential Services Bill) विचारार्थ प्रस्तुत हुआ तो मेरे एक मित्र ने यह प्रस्ताव रखा था कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिए सक्युलेट किया जाय । मैं यह समझता था कि इस समय राजस्थान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि इस प्रकार का बिल इस तरह से जल्दबाजी से पास किया जाय और इस बारे में जनता की राय न ली जाय । मैं यह मानता हूं कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जा चुका है और

Page No.83

[श्री मानसिंह महार]

सिलेक्ट कमेटी ने इस पर विचार किया है फिर भी यह इतना अहम बिल है कि जिसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सक्युलेट किया जाना बहुत आवश्यक है। इस बिल को देखा जाय तो हमको मालूम होगा और सदन को, माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये बता देना चाहता हूँ कि इस बिल को हम क्यों पब्लिक ऑपिनियन के लिए सक्युलेट करना चाहते हैं। इस बिल के अन्दर एसेन्शियल सर्विसेज केवल सरकारी नौकरियों को ही नहीं माना है। अगर सरकारी नौकरियों तक ही यह सीमित रहता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। किन्तु सरकार ने अपने दायरे को और भी आगे बढ़ा दिया है कि सरकार गजट में नोटिफाइ करवाकर किसी भी सर्विस को एसेन्शियल सर्विस मान सकती है। अगर सरकार यह महसूस करे कि किशनगढ़ मिल के मजदूर जो इस प्रकार की कार्यवाहियां कर रहे हैं अगर इस कानून का इस्तेमाल किया जाय और सरकार इसके जरिये बिना किसी वजह से इस मिल के काम को एसेन्शियल सर्विस डिक्लेयर कर सकती है और डिक्लेयर करने के बाद सरकार इस मिल के मजदूरों को मजबूर कर सकती है कि वे अपने काम पर वापिस आ जांय, सरकार उनको बाध्य कर सकती है। और यह कानून अगर पास हो जाता है तो सरकार उनको बाध्य कर सकती है। कानून द्वारा बाध्य करने पर अगर कोई काम पर न जाय तो उसको सजा दी जा सकती है। मैं यह समझता हूं कि यह हमारे राजस्थान के नागरिकों के फंडामेन्टल राइटस (fundamental rights) पर आघात होगा, अगर इस प्रकार का कानून पास किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेसी सरकार की नीयत चाहे इस बिल को पास कराने में बहुत अच्छी होगी फिर भी जनता को इस बिल से बहुत शंका और शुबहा हो रहा है। उस शंका और सन्देह को दूर करने के लिए सरकार इस बात के लिए अवश्य मन्जूर हो जायगी कि इस बिल को पब्लिक ऑपिनियन के लिए भेजा जाय। सरकार पब्लिक ओपिनियन को किसी प्रकार मौल्ड (mould) कर इस बिल के पक्ष में मत दे और फिर सरकार हमारे सामने इस बिल को लायेगी तो हम इस बिल का स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से यह बिल आज हमारे सामने लाया जाता है मैं इसको तानाशाही का बिल मानता हूं मैं इसको जनतंत्र की चीज नहीं मानता। ऐसे बिल, अगर पहले की जयपुर रियासत के जमाने में आते तो मैं आपको बताद कि इस सरकार के जितने कानून कायदे जयपुर रियासत के समय में आये थे, राजाओं के समय में आये थे, तो इन्हीं मित्रों में जो आज यह बिल प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इसको जल्दबाजी से पास करवाना चाहते हैं ऐसे कानूनों का ज्यादा से ज्यादा विरोध किया था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों ने ऐसे कानूनों का विरोध किया था वही आज ऐसे कानून सत्तारूढ होने के बाद जल्दी से जल्दी पास कराना चाहते हैं। मैं इस चीज को न्यायोचित नहीं मानता। माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वे इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए सक्युलेट करने की इजाजत अवश्य देंगे। क्योंकि अगर यह बिल पब्लिक ओपिनियन के लिए सरक्युलेट नहीं होगा तो हमारी सरकार के प्रति जनता का अविश्वास बढ़ेगा और इसका नतीजा बहुत बुरा होगा और अगर यह हुआ तो हमारे साम्यवादी दोस्तों का प्रभाव बढेगा जिसको रोकने के लिए सरकार के लिए यह बड़ा जरूरी हो जाता है कि इस कानून के लिए जो अमेन्डमेन्ट साम्यवादी सदस्य द्वारा हो क्यों नहीं पेश किया गया हो, स्वीकार करना चाहिये और इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए सक्युलेट (circulate) किया जाना चाहिये।

श्री भैरू सिंह (विभाजन संख्या १८)—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान एसेन्शियल सर्विस बिल पर जो सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसको देखने से यह साफ प्रतीत होता है कि इस बिल से जनता को डर मालूम हो रहा है। डर इस बात से मालूम हो रहा है कि अगर यह बिल पास कर दिया जाता है तो जनता के फंडामेन्टल राइट्स पर एक प्रकार से आघात होता है। इसलिये यह बिल बड़े महत्व का है। यह हमारे मौलिक अधिकारों से सम्बंध रखता है, ऐसे बिल को पब्लिक ऑपिनियन के लिए सरक्युलेट किये बिना पास करना जनता के साथ अन्याय होगा। यह ऐसा विषय है कि जिस पर शान्ति से विचार किया जाना चाहिये। यह मौलिक अधिकारों का सवाल है इसलिये इसको जल्दबाजी से पास नहीं करना चाहिये और माननीय मंत्री महोदय को भी इसे पास करने में आतुरता नहीं दिखानी चाहिये। इसको शान्ति से देखा जाय और अगले सेशन तक के लिए भी रख दिया जाय तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बिल का जनता के फंडामेन्टल राइट्स से काफी संबंध है इसलिये सहनशीलता के साथ काफी सोच विचार करके काम करना चाहिये। हमारा देश प्रजातन्त्रीय देश भी है। हम जनता के मौलिक अधिकारों पर विश्वास रखते हैं और मौलिक अधिकारों पर विश्वास रखने की वजह से हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि ज्यादा जल्दी न करते हुए शान्तिमय तरीके अख्तियार करें। यह एक ऐसा एक्ट मालूम होता है कि जैसा कि वार टाइम एक्ट (war time Act) हो। वार टाइम एक्ट को पीस टाइम (peace time) में पास करवाना कोई न्यायोचित नहीं है। इससे सरकार की यह नीति मालूम होती है कि यह शान्ति के समय में भी जनता को दबाना चाहती है। अगर वार टाइम होता और इस प्रकार का एक्ट बनाया जाता तो हमें कोई एतराज नहीं होता। आज तो वार का खयाल बड़े बड़े राष्ट्रों में भी नहीं, हमारे देश में भी कोई सवाल नहीं। राजस्थान में तो यह खयाल में भी नहीं है, तो यहां के लिए ऐसे एक्ट बनाने की जरूरत ही नजर नहीं आती, जो कि आतुरता के साथ पास किया जा रहा है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको अवश्य पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा जावे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं कोई विशेष समय नहीं ले रहा हूं। मैंने संक्षेप में अर्ज किया है कि यदि इसे पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा जावेगा तो काफी ठीक होगा और जो मेरे मित्र का ऐमेन्डमेन्ट है उसके साथ में भी अपनी राय जाहिर करता हूं।

श्री अध्यक्ष (श्री एच. के. व्यास को संबोधित करते हुए)—आप अपना अमेन्डमेन्ट पेश कर दीजिए।

श्री एच. के. व्यास—मैंने तो अपना अमेन्डमेन्ट १५ दिन पहले ही टाइप करवा कर भेज दिया था।

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, इस बारे में मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है—

"The Rajasthan Essential Services (Maintenance) Bill, 1952, be recommitted to the same Select Committee".

[श्री भैरूंसिंह]

मैं यह कहने की आवश्यकता नहीं समझता कि सिलेक्ट कमेटी ने कौन २ से मुद्दों पर विचार किया और कौन २ से मुद्दों को छोड़ दिया। लेकिन जहां तक सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों से बात चीत हुई उससे और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखने से मुझे मालम हुआ कि कमेटी के सदस्यों के सामने ओरिजिनल बिल नहीं था। बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ओबजेक्टस एन्ड रीजन्स में लिखा है कि यह बिल ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के १९४१ के कानून के अनुसार बनाया जा रहा है। जब स्टेटमेन्ट ऑफ आबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है .....

श्री अध्यक्ष—You will not repeat the same arguments which were discussed when the principles of the Bill were discussed. I think all these things have already been discussed when the Statement of Objects & Reasons were discussed at that time.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—मैने तो कोई बात नहीं कही ?

(विराम)

सिलेक्ट कमेटी को चाहिये था कि वह इस बात को मालम करती कि ऐसी कौनसी भीषण परिस्थिति पैदा हो गई है कि जिससे यह बिल पेश किया गया है और इसका मुकाबला १९४१ के ब्रिटिश जमाने से किया गया है। १९४१ के समय में विश्वयुद्ध चल रहा था। मगर फिर भी उस समय जब यह कानून लागू किया गया उस समय भारतवर्ष के कई नेताओं ने इसका बहुत जोर से विरोध किया। विश्व युद्ध होते हुए भी उन्होंने कहा था कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है। इसलिये इस कानून को बनाने से पहले सिलेक्ट कमेटी को यह चाहिये कि इस कानून को बनाने के उद्देश्य को देखती और १९४१ के ओरिजिनल कानून को देखती जिससे सिलेक्ट कमेटी को यह मालूम होता कि इस प्रकार का कानून बनाना आवश्यक है या नहीं। मगर मुझे दुखः के साथ कहना पड़ता है कि सिलेक्ट कमेटी ने १९४१ के कानून को नहीं देखा। मैंने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात् सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा कि १९४१ का कानून जिसके आधार पर राजस्थान सरकार ने यह बिल बनाया है उसकी प्रतिलिपि मुझे देखने के लिये दी जावे। लेकिन अफसोस है कि वह अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—That is in the Library.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—जब मुझे नहीं मिली तो सिलेक्ट कमेटी को भी नहीं मिली होगी और नहीं मिली। यदि मिल जाती तो जो लोग उसको देख कर कोई संशोधन रखना चाहते रख सकते थे।

इसलिये जब तक ओरिजिनल बिल पर कोई विचार नहीं किया जावे तब-वक्त सारी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट नामुकम्मिल है और नामुकम्मिल कार्यवाही पर विचार नहीं किया जाना चाहिये। जिस कानून के आधार पर कानून बनाया जा रहा है उसकी नकल सिलेक्ट कमेटी को नहीं देकर कानून

[श्री भैरूंसिंह]
बनाना मेरे खयाल से सदस्यों के अधिकारों पर एनक्रोचमेन्ट (encroachment) है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करने के लिये इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे और ओरिजिनल बिल पर अपने विचार पेश करे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मुक्तिलाल—माननीय अध्यक्ष, ...

श्री अध्यक्ष—Order ! Order ! !

(मुक्तिलाल मोदी खड़े रहे।)

श्री अध्यक्ष—You should not be misled by any other Member.

श्री हरिकृष्ण व्यास—People are provoked and not misled.

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय अध्यक्ष, ऐसी बात नहीं है कि इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी में विचार ही नहीं किया गया। विचार अवश्य किया गया लेकिन मतभेद जरूर रहा, यह मानता हूं। अब इस सदन में एक्सट्रीम (extreme) विचारों के लोगों ने भी राय दी है। मैं स्वयं सोचता हूं कि इसमें क्या किया जावे। मगर फिर भी मैं सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रूप अख्तियार करने से पहले अगर विरोधी दल के नेता अपने विचारों का लाभ प्राप्त कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा जो वे अभी तक नहीं करा सके हैं। मैं समझता हूं कि उनके विचारों का लाभ अब भी मिल जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—You cannot compel a member to speak.

श्री टीकाराम पालीवाल—I want to invite him. . . . .

श्री अध्यक्ष—But you will have to make a reply.

श्री टीकाराम पालीवाल—He is just speaking. (To Shri Jaswant Singhji) for a few minutes. Two-three minutes.

श्री अध्यक्ष—I am prepared.

श्री टीकाराम पालीवाल—Just a minute.

श्री अध्यक्ष—So I am in a position to put a question.

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं इस बात से सहमत हूं कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जावे।

श्री अध्यक्ष—Then there is no necessity of putting a question, but the motion is there. It will have to be decided by the House. So there are two motions—one moved by Shri H.K. Vyas and the other by Shri Bhairon Singh.

श्री भैंरूसिंह—मैं अपना संशोधन वपिस लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Bhairon Singh to withdraw his amendment.

(स्वीकृत)

श्री भैंरू सिंह— मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill be circulated for eliciting public opinion thereon.

(आज्ञा प्रदान हुई)

The Bill is circulated for eliciting opinion thereon.

(विराम)

Still we have 15 minutes at our disposal.

श्री आसफअली के आकस्मिक देहावसान पर शोक

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अभी अभी सूचना मिली है कि स्विट्जरलेन्ड के भारतीय राजदूत श्री आसफअली का कल रात अचानक हृदयगति रुक जाने से देहान्त हो गया और मैं समझता हूं कि हम डिस्पर्स हों इससे पहले श्री आसफअली के इस असामयिक निधन पर शोक प्रकट करें ।

श्री आसफअली वैसे तो देहली के बेरिस्टर थे और उन्होंने क्रान्तिकारी लोगों के मुकद्दमों की पैरवी करने के साथ ही साथ कांग्रेस के जमाने में राष्ट्र की सेवा करके जेलों में जाकर और स्वतन्त्रता के बाद में देश की अमूल्य सेवाएं करके अपने ही लिये नहीं बल्कि देश के लिये नाम कमाया और इस समय जबकि उनकी अवश्यकता थी उनका देहान्त हो गया । इसके लिये मैं समझता हूं सदन को उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिये और इस दुखद निधन के लिये शोक प्रकट करना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र विरोधी पक्ष के नेता भी मेरी इस भावना से सहमत होंगे और सदन एक शोक विचार प्रकट करेगा ।

श्री अध्यक्ष—I associate myself with the feelings expressed by the Leader of the House for the said demise of Shri Asaf Ali and I will request the Hon'ble Members to stand for a minute in silence as a mark of respect to the deceased.

(सदन ने एक मिनट तक मौनावस्था में खड़े रह कर श्री आसफ अली के निधन पर शोक प्रकट किया)

श्री अध्यक्ष—So we shall now disperse to meet on the 20th of this month at 8.15 A.M.

श्री गोपीलाल यादव—At 4 evening, Sir.

श्री अध्यक्ष—Why late. What are your difficulties?

श्री जसवन्तसिंह—There is much force in what he says, but morning time is the best time.

श्री गोपीलाल यादव—Let it be morning.

श्री अध्यक्ष—Evenings will be too hot and as such we will meet at 8.15 A.M. So we now disperse.

(१२ बज कर २० मिनट पर सदन की कार्यवाही दिनांक २०-४-५३ के प्रातः ८-१५ तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २–४–५३

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८८१ का उत्तर देखिये)

List of the factories which pay royalty to the State Government in Udaipur Division.

Name of pressing factories.	Rs.
1. Baila	7,224
2. Fateh Nagar	14,827
3. Gangrar	4,782
4. Nimbahera	4,464
5. Gangapur	1,483
6. Ginning factories Kotril	958
7. Bari Sadri	4,546
8. Raipur	930
9. Bhinder	1,000
10. Kasod	2,316
11. Asind	7,609
12. Kurer	3,795
13. Kachola	174
14. Bengun	1,000
15. Bigod	1,283
16. Banera	426
17. Sahada	1,000
18. Uncha	250
19. Parodia	500
20. Kankroli	3,100
21. Kushmi	2,700
22. Tanotodi	1,018
23. Bhyliya	1,283
24. Hamirdgarh 1	2,606
25. Hamirdgarh 2	35
26. Ruphaheli	131
27. Sambhugarh	1,253
28. Kanchan	1,028

	Name of pressing factories	Rs.
29.	Sangrangarh	100
30.	Khamar	692
31.	Antali	500
32.	Mohwa	150 closed.
33.	Banera	333
34.	Partapgarh	1,484
35.	Banswara	47
37.	Balabhnyar	309
38.	Bhinder (2)	140
39.	Deogarh	68
40.	Nakem	120
41.	Textile Mills Bhilwara	92,905
42.	Mahadeo Cotton Mills Bhilwara	.. Closed.
43.	Mewar Oil and Sugar Mills Bhupal Sagar	48,693
44.	Mewar Oil Mills	7,606
45.	Molala	100

Bharatpur Division.

		Amount of royalty paid by the Industries in 1951-52.
		Rs.
1.	M/s. Bharatpur Picture Palace, Bharatpur	100/13/9
2.	M/s. Udaipuria Dal and Oil Mills, Baren (Kotah)	477/12/-
3.	M/s. Rajendra Jaipuria Oil Mills and Ginning factory Bhawanimandi	..
4.	M/s. Bani Sati Ginning factory, Jhalawar	1,250/-
5.	M/s. Bharatpur Industries Corporation Bharatpur	45,789/6/-
6.	M/s. Cement works Ltd. Lakheri	2,935/13/-
7.	M/s. Laxmi Ginning and Pressing factory Ramganjmandi	6,020/10/3
8.	M/s. Associated Stone Industries Ramganjmandi	93/13/-
9.	M/s. Kanahiya Lal Indermal Ginning factory, Bakani	..
10.	M/s. Bhagwan Oil Mills, Kotah	..
11.	M/s. Tahir Ali Mulla Hussain Cotton ginning factory, Chaumenhla (Jhalawar)	..
12.	M/s. Dhania Mal factory Baran (Kotah)	..
13.	M/s. Chaturbhuj oil mills, Kotah	..

Bikaner Division.

No amount of Royalty is paid by the Industries.

Jodhpur Division.

1. Pali Mills Ltd. Pali .. .. 7½% on net profit.

Jaipur Division.

1. M/s. Allahnoor S/o Abdullah Ali, Kishengarh 40/-
2. M/s. Chimandas Kewal Ram Sarwar 115/-

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८८४ देखिए)

कृषि विभाग राजस्थान द्वारा किये गये कार्य का संक्षिप्त सिंहावलोकन

विभाग को केवल दो वर्ष का समय ही कृषकों की आवश्यकताओं की जांच तथा राजस्थान की स्थिति के अनुकूल कृषि के उपलब्ध तरीकों के प्रचार को मिला।

कृषि के उन्नत उपायों को कार्यान्वित करने को यह आवश्यक है कि उनकी पहले सरकारी खेतों में जांच की जावे और फिर इस अनुभव के आधार पर उनकी कृषि को कार्यान्वित करने की सिफारिश की जावे।

सन् १९५१-५२ में अनुमानतः १७५ हजार मन उन्नत किया हुआ बीज और सन् १९५२-५३ में ९००० मन बीज अब तक वितीर्ण किया है। आने वाले वर्ष में हमारा संकल्प है कि २१५ हजार मन बीज उन्नत प्रकार के गेहूं, चावल, मक्का, और दूसरी फसलों के वितरण करेंगे। यह जानकर भी हर्ष होगा कि हमने हमारे खेतों पर दो वर्ष के समय में भिन्न भिन्न प्रकार के गेहूं, चना, जौ, जीरा, मूंग, बाजरा और मक्का के बीज वितरण हेतु पैदा किये हैं जिससे पैदावार में २० प्रतिशत अधिकता हुई है। इनमें उल्लेखनीय गेहूं आर. जे. एस. ३१.१, जौ आर. जे. एस. १७, चना आर. जे. एस. १०, बाजरा टी. फ. इंव की किस्म हैं।

अधिक उपजाऊ खाद का वितरण—राजस्थान के कृषक अधिक उपजाऊ खाद के प्रयोग को सदेह की निगाह से देखते हैं। किन्तु इस पर भी इस विभाग द्वारा किये गये जोरदार प्रचार के फलस्वरूप कृषक इसकी उपयोगिता से प्रभावित होते जा रहे हैं। सन् १९५१-५२ में १९६०० मन एमोनियम सल्फेट वितरण किया गया। सन् १९५२-५३ में १००९८ मन अबतक वितरण किया जा चुका है। सन् १९५३-५४ के लिए हमारा संकल्प है कि २०००० टन अमोनियम सल्फेट वितरण करेंगे। फॉस्फेटेड का प्रयोग भी प्रचलित किया गया है। और वर्तमान वर्ष में ६३ टन वितरण किया जा चुका है।

तकावी ऋण ट्रेक्टर वा उन्नत कृषि यंत्र खरीदने हेतु—कृषकों को कृषि यंत्रों के खरीदने के लिए सरकार ने सन् १९५१-५२ में १० लाख रुपये तकावी कर्ज स्वीकृत किया। सन् १९५२-५३ में ५ लाख रुपये ट्रेक्टर खरीदने के लिए कृषकों को इस शर्त पर दिये गये कि इतनी ही रकम वह भी अपने पास से लगावें। इस कर्ज का ब्याज ४.१११६ प्रतिशत लिया जावेगा। इस समय करीब ५०६ ट्रेक्टर राजस्थान के खेतों में चल रहे हैं।

क्षुद्र सिंचाई कार्य—चालू वर्ष में इस विभाग ने छोटे सिंचाई के कार्यों की प्रगति के लिये अपनी कार्यवाहियों में वृद्धि की। आर्थिक अभाव के होते हुये भी सारे ही यंत्रों को जो पहले पूंजी के अभाव से निष्क्रिय पड़े थे पूर्णरूप से कार्य में लगाये गए हैं। चारों कम्प्रेसर तथा तीनों बोरिंग की मशीनें कृषकों के खेतों में काम कर रही हैं। इस वर्ष के थोड़े ही समय में २५७ कूए चट्टान तोड़कर गहरे किये गये

और ३० कुओं में कार्य प्रगति पर है। ३ नल कूप निर्मित किये जा चुके हैं और तीन में कार्य प्रगति पर है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रकम की प्राप्ति के कारण अगले वर्ष बड़े पैमाने पर कार्य किये जाने का निश्चय किया गया है।

चम्बल जलविद्युत योजना में मिट्टी परीक्षण—चम्बल का जलविद्युत योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की मिट्टी परीक्षण का कार्य इस विभाग द्वारा शुरू किया, विस्तृत परीक्षण चालू है। कोटा में एक सुसज्जित प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त यह प्रयोगशाला कृषकों की भूमि का विश्लेषण कर उन्हें भूमि की कमियों को मिटाने के सुझाव दे कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

लाभ प्रतियोगता—कुछ मुख्य मुख्य फसलों में प्रति एकड अधिक से अधिक उपज करने वाले कृषकों को पुरस्कार देने के लिए प्रतियोगिताओं का प्रबन्ध किया गया था व किया जा रहा है। गत वर्ष गेहूं की उपज ५२ मन २२ सेर स्थापित की गई। इस वर्ष यह जानकर अत्यन्त संतोष होगा कि राजस्थान को आलू का अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त करने की आशा है।

कपास विकास योजना—कपास का क्षेत्र अनुमानतः ३.७५ लाख एकड भूमि है। कपास की किस्मों के विकास तथा उसके क्षेत्र की वृद्धि के लिये १७,००० मन लगभग सुधरी हुई किस्मों की कपास का बीज; जैसे २१६ एफ, सी इन्दोर एक, सी ५२० वगैरह वितरित किया गया। यह गौरव की बात है कि अमेरिकन कपास का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगले मौसम के लिये कृषकों को वितरण करने के लिये हमने २,७०० मन सुधरी हुई किस्मों के बीज प्राप्त करने का प्रबन्ध कर लिया है।

चांवल की पैदावार की जापानी पद्धति—चांवल की फसल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर और गंगानगर जिलों में होती है। यद्यपि भारत की अन्य रियासतों की तुलना में यहां चांवल का क्षेत्र छोटा है तो भी चांवल-उत्पादक जिलों में नई पद्धति का विचार करने के उपाय किये गये हैं। वक्तव्यों व पत्रकों के वितरण का प्रथम आयोजन अभी अभी गंगानगर में समाप्त हुआ। खाद्य साधनों को आंकने के लिये मुख्य मुख्य खाद्य फसलों के Ranom Sampling technique and crop cutting experiments पर आधारित उत्पादकान का अनुमान करने के लिये विज्ञान द्वारा आविष्कृत को अपनाया गया।

कुछ समय पूर्व ही इस विभाग ने प्रथमबार एक पुस्तिका प्रकाशित की है। जिसमें भिन्न भिन्न फसलों के क्षेत्र भूमि की उपयोगिता की क्रमबद्ध गणना तथा सिंचाई वगैरह का विस्तृत वर्णन किया गया है।

फसलों के बचाव का कार्य कीड़े, टिड्डियों व बीमारियों से—विकास कार्य के अतिरिक्त इस विभाग द्वारा खाद्य, फल सब्जी के बीमारियां के कीडों की रोक थाम के लिये प्रत्यक्ष कार्य किया गया है। १९५१ में लगभग ५.२५ लाख मन उपज और १९५२ में ६.८२ लाख मन उपज को नष्ट होने से बचाया। इसके अतिरिक्त फल उत्पादक स्थानों; जैसे अलवर, भरतपुर व कोटा में आम व अन्य

फलों के कीडों की रोक थाम के उपायों का प्रचार किया गया। कृषि विभाग द्वारा राजस्थान के उपजाऊ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टिडिड्यों से होने वाली हानि को रोका गया।

पशु-चिकित्सा सम्बन्धी कार्य–राज्य के पशुओं की बीमारी की समस्या को हल करने तथा पशुओं का स्वस्थ रखने के लिये सारे राजस्थान में फैले हुए १३२ चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं। १९५१-५२ में १० लाख तथा इसी वर्ष ८ लाख पशुओं का उपचार किया गया। साधारण कार्य के अतिरिक्त १.७५ लाख पशुओं के माता की बीमारी व अन्य छूतदार बीमारियों के विरुद्ध टीके लगाये गये। ३४ सहस्त्र पशु बधिया किये गये। राजस्थान की आम बीमारियों की खोज व परीक्षण का कार्य प्रगति पर है।

पशु विकास कार्य–राजस्थान में पशुधन के सुधार के लिये कई महत्वपूर्ण योजनायें कार्यान्वित हो रही हैं उनमें पशुओं की भिन्न भिन्न नस्लों की सुधार के लिये कोटा में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना विशेष उल्लेखनीय है। पशुओं की नस्ल सुधार के लिये अखिल भारतीय केन्द्र ग्राम योजना पर विचार किया जा रहा है।

मछलियों के विकास व रक्षा हेतु एक फिशरीज़ एक्ट बनाया गया है जो शीघ्र ही विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जावेगा।

राजस्थान में स्थित १२५ से ऊपर गौशालाओं के एकीकरण व सामुहिक विकास एवं कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने के हेतु गोशाला एक्ट बनाया गया है। पशु सुधार व छूतदार बीमारियों के एक्ट भी तैयार किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट ३

(वे अतारांकित प्रश्न तथा उत्तर जा सदन कि मेज पर रखे गए)

१२. (१११) श्री केसरीसिंह एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७५-क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(१) राजस्थान के देहाती इलाकों में अभी सरकार की ओर से कितने शफाखाने व डिस्पेन्सरियां हैं ?

(२) बूंदी जिले के देहाती इलाकों में कितने शफाखाने व डिस्पेन्सरियां हैं ?

(३) इनमें से कितनी डिस्पेन्सरियां सरकारी इमारतों में हैं और कितनी प्राइवेट इमारतों में?

(४) प्राईवेट इमारतों का किराया किस हिसाब से दिया जाता है ?

(५) यह किराया माहवार के माहवार दिया जाता है या नहीं ?

(६) अगर नहीं, तो क्यों और इसका क्या कारण है ?

(७) सार्वजनिक आयुर्वेदिक दवाखाने जो बूंदी में हैं उनको सरकार की ओर से सहायता दी जाती है या नहीं ?

(८) अगर दी जाती है तो ऐसे कितने हैं और नहीं दी जाती है तो ऐसा क्यों ?

(९) क्या सरकार से सहायता की आशा की जा सकती है ?

उत्तर--

१. राजस्थान के देहाती इलाकों में अभी सरकार की ओर से १९ शफाखाने व २६७ डिस्पेन्सरियां हैं ।

२. बूंदी जिले के देहाती इलाकों में ९ डिस्पेन्सरियां हैं ।

३. इनमें से ७ सरकारी व दो किराये की इमारतों में हैं ।

४. प्राइवेट इमारतों का किराया सरकार और मकान मालिक के समझौते के अनुसार दिया जाता है ।

५. किराया माहवार की माहवार देने का प्रबन्ध इस महकमे से कर दिया गया है ।

६. प्रबन्ध कर दिया गया है ।

७. सार्वजनिक आयुर्वेदिक दवाखानों में एक दवाखाना, बाल स्वास्थ्य केन्द्र को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है ।

८. एक औषधालय को ही सहायता मिलती है, अन्य का अभी नहीं दी जाती । ग्रान्ट इन एड सहायता प्राप्त वैद्यों को नियम बनने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

१३. (१२८ आर. एम)श्री जगतसिंह झाला एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ६४— क्या राजस्व मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) जिला चित्तौड़ में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए हरएक तहसीलवार कितनी कितनी रकम मंजूर की गई है ?

(आ) इसमें से किस कदर रकम खर्च की गई व किस कदर शेष रही ?

उत्तर—

(1) The following amounts have been sanctioned for tehsils of Chittorgarh district as noted against each —

Name of Thesil.	Amount. Sanctioned
	Rs.
1. Bhadesar	2,000/-
2. Doongla	2,000/-
3. Bari Sadri	2,000/-
4. Choti Sadri	4,000/-
5. Kapasin	2,000/-
6. Pratapgarh	3,000/-
7. Achnera	3,000/-
8. Bhainsrorgarh	2,000/-
TOTAL	20,000/-

(2) The total amount has been spent and no amount remained unspent.